

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA
IN THE MATTER OF:
Original Application No. 55/2025/EZ
NEWS ITEM TITLED: 5 JHARKHAND FOREST OFFICERS ATTACKED BY STONE
MAFIA, APPEARING IN THE TIMES OF INDIA DATED 24.03.2025**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Counter Affidavit filed by Divisional Forest Officer, Medininagar, Jharkhand.	1 - 9
2.	Verification	10 - 11
3.	ANNEXURE - A	12
4.	ANNEXURE - B	13
5.	ANNEXURE - C	14
6.	ANNEXURE - D & D1	15 - 27
7.	ANNEXURE - E & E1	28 - 29
8.	ANNEXURE - F	30 - 42
9.	ANNEXURE - G	43 - 146
10.	ANNEXURE - H	147 - 161
11.	ANNEXURE - I	162 - 163
12.	ANNEXURE - J	164 - 167
13.	ANNEXURE - K	168 - 170

AISHWARYA RAJYASHREE
Advocate
Bar Association Room No. 5,
High Court, Calcutta
Chamber: 8/1, K.S. Roy Road,
Kolkata: 700001.
(M)9874995669
Email: advaish.hc@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA
IN THE MATTER OF:



Original Application No. 55/2025/EZ

NEWS ITEM TITLED: 5 JHARKHAND FOREST OFFICERS ATTACKED BY STONE
MAFIA, APPEARING IN THE TIMES OF INDIA DATED 24.03.2025

...Applicant(s)

COUNTER AFFIDAVIT FILED BY OF DIVISIONAL FOREST OFFICER,
MEDININAGAR, JHARKHAND, (i.e. RESPONDENT NO. 3 HEREIN).

I, SATYAM KUMAR, son of SUDHANSHU KUMAR SINGH, aged about 43
years, by Religion - HINDU, by Occupation - Service under Government of
Jharkhand in the office of Divisional Forest Officer, Medininagar, Jharkhand,
having its office at MEDININAGAR, PALAMU, JHARKHAND, Pincode -
822101, Jharkhand, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That, I am the Divisional Forest Officer, Medininagar, Jharkhand, (Respondent no. 3 herein) and that I am aware of the facts and records in the instant case and have gone through the allegations and contentions in the Original Application as such I am competent to make and affirm the instant Affidavit.
2. That, I am a law-abiding Citizen of India and very much respect the Constitution and Judicial System of India.
3. That in pursuance and in compliance to the order dated 07.04.2025 of the Hon'ble Tribunal in the instant Original Application this Counter Affidavit

Book No. 62
SL. No. 17486
Date 08/07/25



is being filed by Divisional Forest Officer, Medininagar, Jharkhand, (Respondent no. 3 herein).

4. That this affidavit is being filed for bringing necessary facts and statements on record for just and proper adjudication of this case.
5. That on 15.02.2025 secret information was received that stone is being illegally excavated from Bachkoma protected forest (P.F.) and being transported through tractors. Upon receipt of such information, the forest officials reached the place of occurrence on or about about 6:30 P.M., where they found that one stone laden tractor is going towards Itakdag from Bachkoma. When the forest officials chased the tractor in order to apprehend it, one Sarffudin Ansari along with 30-35 unknown persons attacked the vehicle of the forest officials. The forest officials somehow managed to escape from there and save their lives, whereas the accused persons managed to flee away along with the stone laden tractor. The Forest Guard Registered Offence Report No. 2208 dated 15.02.2025 which was forwarded to the Learned Chief Judicial Magistrate, Medininagar upon which Complaint Case No. 831/2025 was registered against the accused persons under Sections 33, 41 & 42 of the Indian Forest Act, 1927.



6. That for assaulting the forest officials and preventing them from carrying out their official duty, F.I.R. was also registered against the accused persons being Chhatarpur P.S. Case No. 26/2025 dated 17.02.2025.

Photocopy of Chhatarpur P.S. Case No. 26/2025 dated 17.02.2025 is annexed herewith and marked as Annexure- A.

7. That on 17.02.2025 a Shri Navneet B.R, IFS (P), Range Forest Officer (RFO) Chhatarpur East Forest Range along with Ajay Kumar Toppo, RFO, Patan Afforestation Forest Range, Umesh Kumar Dubey, RFO Patan Forest Range and other forest officials conducted as inspection of Bachkoma P.F., Hutukdhag P.F., & Charai P.F., during which illegal mining was found to be taken place. During the inspection of the aforementioned protected forest, the villagers stated that illegal mining activities are being conducted with the active support and collusion of several crusher owners.

8. Thereafter, Shri Navneet B.R, IFS (P), Range Forest Officer (RFO) Chhatarpur East, requested the Sub-Divisional Magistrate (SDM), Chhatarpur, to appoint an Executive Magistrate and deploy Police personnel to conduct a raid on the nearby crushers vide letter no. 34 dated 17.02.2025.

Photocopy of letter no. 34 dated 17.02.2025 is annexed herewith and marked as Annexure- B.

9. The Sub-Divisional Magistrate (SDM), Chhatarpur vide Letter No. 200 dated 17.02.2025 appointed Executive Magistrate and deployed Police Forces accordingly.

Photocopy of SDM letter no. 200 dated 17.02.2025 is annexed herewith and marked as Annexure- C.

10. That on 18.02.2025 in the presence of the Executive Magistrate and police personnel, various crushing units, located at Basdiha and Charai village of Chhatarpur were inspected by Shri Navneet B.R. IFS (P), Range Forest




Officer Chhatarpur East under the power conferred under Section 52D of the Indian Forest Act, 1927 (Bihar Amendment Act, 1989). During the inspection, illegal stone material sourced from the forest was found at several crushers.

11. The Local Forest Guard issued Offence Report No. 2156 dated 18.02.2025 and Offence Report No. 2158 dated 18.02.2025. This report was subsequently forwarded by the Beat Forest Officer, Chhatarpur to the Learned Chief Judicial Magistrate, Palamu for legal action under Sections 33, 41 and 42 of the Indian Forest Act. Pursuant to this, two Complaint Case No. 895/2025 and Complaint Case No. 898/2025 were registered in the Court of Learned Chief Judicial Magistrate, Palamu against the crushers involved in illegal mining within the forest area.

Photocopy of Offence Report No. 2156 dated 18.02.2025 and Offence Report No. 2158 dated 18.02.2025 are annexed herewith and marked as Annexure- D & D1.

12. The Shri Navneet B.R. IFS (P), Range Forest Officer, Chhatarpur East vide letter No. 102, dated 25.03.2025 and letter no. 103 dated 25.03.2025 requested the Divisional Forest Officer, Medininagar Forest Division (DFO) to initiate confiscation proceedings in respect of the illegally seized stone from various crushers, including the petitioner's unit. Accordingly, Confiscation Case No. 09/2025 and Confiscation Case No. 10/2025 were initiated by the Authorized Officer-cum-Divisional Forest Officer Medininagar, and the same was duly intimated to the Learned Judicial



Magistrate, First Class, Palamu vide letter no. 777 dated 26.03.2025 and letter no. 782 dated 26.03.2025.

Photocopy of letter No. 777 dated 26.03.2025 and letter no. 782 dated 26.03.2025 are annexed herewith and marked as Annexure- E & E 1.

13. That the Circle Officer appointed as Executive Magistrate by Sub-Divisional Magistrate, Chhatarpur, has also reported to Sub-Divisional Magistrate, Chhatarpur regarding that petitioner has violated the CTO/CTE norm and petitioner has not shown him valid documents, such as stock records, issue, dispatch registers etc., and also reported to Sub-Divisional Magistrate, Chhatarpur, regarding their involvement in illegal mining from Forest and GM Land vide letter no. 273 dated 10.03.2025.

Photocopy of letter No. 273 dated 10.03.2025 is annexed herewith and marked as Annexure- F.



14. The District Mining Officer (DMO) has also been requested by the Range Forest Officer, Chhatarpur East Range, to initiate legal action against the crushers involved in forest offences.

15. Based on the report received from the Range Forest Officer (RFO) and the Executive Magistrate, a letter has been sent to the Jharkhand State Pollution Control Board requesting initiation of legal action against 13 crushers 1.) M/s Jai Maa Stone Chips, Prop. Mukesh Kumar Singh, 2.) Jai Maa Sherawali Stone Chips Prop. Manoj Kumar Gupta, 3.) M/s Gupta Stone Chips, Prop. Mayanand Prasad, 4.) M/s Vaishno Mata Stone Chips, Prop.

Papu Kumar, 5.) Mahadeva Stone Chips Prop. Basant Kumar Gupta, 6.) M/s Jai Maa Lilori Stone Crusher, Partner Om Prakash Jaiswal 7.) M/s Maa Stone Crusher, Prop. Krishna Prasad Sahu, 8.) Sarvashri Jai Maa Vindhya Vasini Stone Chips Crusher, Prop. Rakesh Kumar Singh, 9.) Jai Mata Stone Crusher, Prop. Ram Pravesh Prasad, 10.) Ravindra Kumar Singh Stone Chips, Prop. Ravindra Kumar Singh, 11.) M/s Sahara Stone Chips, Prop. Allamudih Ansari, 12.) M/s Ashok Kumar Singh Crusher, Prop. Ashok Kumar Singh Crusher, 13.) M/s Jai Maa Satchandi Stone Crusher, Prop. Birbal Yadav involved in illegal mining and for violations of the conditions of Consent to Operate (CTO) and Consent to Establish (CTE).

16. That the Complaint Case No. 831/2025, Complaint Case No. 895/2025 & Complaint Case No. 898/2025 prosecution report has been duly submitted before the Court of the Learned Judicial Magistrate, First Class, and the matter is presently under Judicial consideration before the said Learned Court.

Photocopy of prosecution report is annexed herewith and marked as Annexure- G.



17. That while conducting routine forest patrolling under the instructions of the Range Forest Officer, Chhatarpur East, a team of 12 forest personnel intercepted two tractor-trailers bearing (1) Tractor no.- Zero, Model no. 5039D, chassis number- 1VY5039DHLA008654, Engine no.- PY3029D 590730, Trailer no.- Zero and (2) Tractor no.- Zero, Model no. B275 DI, Serial no. PYNB00177GE, chassis number & Engine no.- unreadable, Trailer no.- Zero illegally transporting quarried stone. One vehicle driver, Sanjay

Yadav, was apprehended and admitted involvement in illegal mining in Basdiha Forest and supplying of illegal quarried stone to crushers of Mukesh Kumar Singh, while the second driver, Vinay Yadav, fled.

18. That the soon after, a mob of 35 – 40 armed individuals, including identified assailants (Laldev Yadav, Bishundev Yadav, Udeswar Yadav, Dhananjay Bhuiya, and Manoj Yadav, all from Basdiha Village), launched a violent attack on the forest team using rods, sticks, crowbars, and sharp weapons. The assailants forcibly took away the driver Sanjay Yadav who had been apprehended by forest officials and also took away the vehicles seized by forest department.

19. That during the aforementioned assault five forest officials suffered serious fatal injuries and were admitted first to Chhatarpur Sub-Divisional Hospital, who were further referred to Medinirai Medical College and Hospital, Medininagar, Palamu (MMCH).

20. That the incident appears to be a pre-planned criminal conspiracy, potentially orchestrated by persons involved in illegal mining, to obstruct lawful duty and eliminate forest personnel involved in anti-illegal mining operations.



21. That the local Forest Guard issued Offence Report No. 2164 dated 22.03.2025 this subsequently forwarded by the Beat Forest Officer, Chhatarpur to the Learned Chief Judicial Magistrate, Palamu for legal action under Sections 33, 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927. Pursuant to this, Complaint Case No. 1247/2025 was registered in the

Court of Learned Chief Judicial Magistrate, Palamu against the persons involved in illegal mining within the forest area.

Photocopy of Offence Report No. 2164 dated 22.03.2025 is annexed herewith and marked as Annexure- H.

22. That for assaulting the Forest Officials and preventing them from carrying out their official duty, F.I.R. was also registered against the accused persons being Chhatarpur P.S. Case No. 52/2025 dated 23.03.2025.

Photocopy of Chhatarpur P.S. Case No. 52/2025 dated 23.03.2025 is annexed herewith and marked as Annexure- I.

23. That the vide letter no. 767 dated 25.03.2025, the Divisional Forest Officer, Medininagar, requested the Superintendent of Police, Palamu, to Direct the Officer-in-Charge, Chhatarpur Police Station, to immediately recover the looted seized vehicles and stone-laden tractors and trailers and ensure the prompt arrest of all individuals involved in the said criminal act.

Photocopy of letter no. 767 dated 25.03.2025 is annexed herewith and marked as Annexure- J.

24. That on 26.03.2025 while conducting routine forest patrolling by forest personnel with the help of Executive Magistrate and Police Forces deployed by Sub-Divisional Magistrate, Chhatarpur, forest officials seized one tractor loaded with illegally quarried stone. Accordingly, Complaint



Case No. 1283/2025 was initiated against the person involved before the Court of the Learned Chief Judicial Magistrate.


Photocopy of Complaint Case No. 1283/2025 is annexed herewith and marked as Annexure- K.

25. That for effective control over illegal mining activities and to prevent recurrence of such attacks on forest personnel, the Divisional Forest Officer (DFO), Medininagar, has deployed 22 (Twenty Two) Armed Home Guards to assist forest staff in field operations.

26. That this Counter Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice. It is therefore prayed that Your Lordships, may kindly be pleased to accept the instant Counter Affidavit.

27. That the answering respondent seeks leave to file any further affidavits, if required, as per direction of the Hon'ble Tribunal.

28. I state that the statements contained in paragraphs Nos. 1 to 4 are true to my knowledge, the statements contained in paragraph Nos. 5 to 25 are true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.



VERIFICATION

I, SATYAM KUMAR, son of SUDHANSHU KUMAR SINGH, aged about 43 years, by Religion - HINDU, by Occupation - Service under Government of Jharkhand in the office of Divisional Forest Officer, Medininagar, Jharkhand, having _____ its _____ office _____ at MEDININAGAR, PALAMU, JHARKHAND, Pincode - 822101, Jharkhand is filing this instant Counter Affidavit on this the _____ day of July, 2025.

Date: Medininagar

Place: 08/07/2025

Kumar

 Deponent

Identified by me:

[Signature]
 Advocate 08/07/2025



DEPONENT Mr. Satyam Kumar
 identified by Sr. N.K. Dubey
 Advocate who appeared
 before me and swear on oath that the
 contents of Affidavit
 is true & correct to the best of his/her
 knowledge information and belief

08/07/2025
S.K. Sharan
 Notary Palamu

थाना प्रभारी महोदय
हतरपुर थाना, पलामू

विषय :- FIR दर्ज कराने के संबंध में।

महोदय,

निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (उम्र 36 वर्ष), पिता-लालन पाण्डेय, ग्राम-मडुलिमा थाना पाटन जिला-पलामू का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं हतरपुर डूवी वन प्रक्षेत्र अंतर्गत डूडूकडाग सब-बीट में पदस्थापित हूँ। दिनांक 15.02.2025 को शाम लगभग साढ़े दू. बजे अपने सहयोगी वनकर्मियों के साथ नियमित गश्ती पर था। हमलोग गश्ती के दौरान जैसे ही बच्चोमा-डूडूकडाग राष्ट्रीय पर पहुँचे तभी 01 सरफूदिन अंसारी पिता स्व. विजय अंसारी उर्फ जमीन दिन अंसारी ग्राम बच्चोमा (मूसमडाग) थाना-हतरपुर, पलामू के नेतृत्व में 30-35 अज्ञात हमलावरों ने हम वनरक्षियों की निशाना बना कर हमला कर दिया जिससे हमारा सरकारी वाहन HJM01 0985 को क्षतिग्रस्त कर दिया सभी वनकर्मियों इसी वाहन में सवार थे। सभी हमलावर लाठी-डंडे, परखर एवं शेंक जैसे हथियारों से लैस थे। तत्काल इसकी सूचना हमने सहयोगी वन इन्सपेक्टर के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों एवं आपकी दूरभाष के माध्यम से दी। वहाँ से हमलोग किसी तरह बच कर निकले उनलोगों ने हमारा पिछा कुदिरा मोड़ कर लिया। हमलावरों की मेधा हमें भारी जान-माल की क्षति पहुँचाकर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना एवं सरकारी कर्मियों में भ्रम उत्पन्न करना था ताकि वे अपना वन अपराध बिना किसी बाधा के लगातार जारी रख सकें।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमलावरों की पहचान कर तत्काल डा पर डांचित कार्रवाई करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी
लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (36 वर्ष)
पिता- लालन पाण्डेय
ग्राम- मडुलिमा, थाना-पाटन
जिला- पलामू।
मौ०- 6201721479

Registered Charanpur P.S. Case no - 26/25 dt- 17/02/25
S. Praveen or
BNS 2012 & 3 Praveen or
191(2)/191(3)/190/2-1/132
A.P. 1984. S.I. Suniti Orason
of damage to property
will file investigate the case
P. Praveen

पत्र संख्या 34 /

कार्यालय- वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

प्रेषक

वन क्षेत्र पदाधिकारी
छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

सेवा में

अनुमण्डल पदाधिकारी,
छतरपुर।

दिनांक 17/02/2025/

विषय:-

दिनांक 18.02.2025 को छतरपुर वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित क्रशरों पर भण्डारित पत्थरों के विरुद्ध छापामारी करने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि छतरपुर वन प्रक्षेत्र में वन भूमि से अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर निकटस्थ क्रशरों में भण्डारण कर उसका उपयोग की सूचना प्राप्त हो रही है। दिनांक 18.02.2025 को छतरपुर वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित क्रशरों पर वन विभाग द्वारा छापामारी करना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 18.02.2025 को वन विभाग के सहयोग हेतु एक दण्डाधिकारी एवं सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभजन,


वन क्षेत्र पदाधिकारी,
छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।



कार्यालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।

E-Mail- sdo-cthpur-palamu@jharkhandmail.gov.in

आदेश

वन क्षेत्र पदाधिकारी, छत्तरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र ने अपने पत्रांक- 34 दिनांक- 17.02.2025 के द्वारा सूचित किया है कि छत्तरपुर वन प्रक्षेत्र अंतर्गत वन भूमि से अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर निकटस्थ क्रशर में भण्डारण कर उसका उपयोग किये जाने कि सूचना है। अवैध उत्खनन के विरुद्ध में दिनांक- 18.02.2025 को वन क्षेत्र पदाधिकारी, छत्तरपुर पूर्वी वन क्षेत्र के द्वारा छापाकारी किया जाना है। उक्त कार्य हेतु एक दण्डाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किये हैं।

अतः उक्त कार्य हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर को दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है। उन्हे निदेश दिया जाता है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी से समनवय स्थापित कर स-समय उपस्थित होकर जाँच में सहयोग करेंगे।

थाना प्रभारी, छत्तरपुर को निदेश है कि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के साथ समूचित संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए विधिव्यवस्था पर सत्त निगरानी बनाये रखेंगे।

ह0/-
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

ज्ञापांक- 200, दिनांक- 17.02.2025

- प्रतिलिपि:- श्री उपेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (मो0 नं0-6203256250) सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- थाना प्रभारी, छत्तरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी से समनवय स्थापित कर स-समय पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल उपलब्ध कराना सूनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, छत्तरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, छत्तरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

कार्यालय :- वन परिसर पदाधिकारी
इतरपुर वन परिसर, इतरपुर

पत्रांक - 23

दि० - 18-02-2025

सेना में,
मुख्य - गागीक दण्डाधिकारी
मेटिनीनगर पतागा

विषय- अ० प्र० सं० - 2156 दिनांक - 18-02-2025 की सूचना समाप्त
करने के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में साक्षर सूचित करना है कि वनरक्षी
श्री लक्ष्मीकांत पाण्डेय का अ० प्र० सं० - 2156 दिनांक - 18-02-2025
प्राप्त हुआ। घटना का पूर्ण विवरण वनरक्षी के अपराध प्रतिवेदन में
अंकित है।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (विहार वन संगोष्ठ
अधिनियम 1989-90) की धारा 33 एवं 41.42 के तहत दण्डनीय एवं गैर
जमानतीय अपराध किया गया है।

अतः प्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्तों के उपर सुसंगत धाराओं
के तहत वानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने की कृपा करें। माननीय
न्यायालय को जांचोपरान्त इतिहास ही उचित माध्यम द्वारा पूर्ण विवरणी
प्रतिवेदन समाप्त किया जाएगा।

अनुभवकः-

- ① अ० प्र० सं० - 2156
दिनांक - 18-02-2025
- ② जपी सूचि

आपका विश्वासी
सरसिज झाँव

प्रभारी वनपाल इतरपुर वन
परिसर इतरपुर पूर्वी प्रखंड
दिनांक - 18-02-2025



895/25

HL

19.02.25

महाशय, द्वारा उचित माध्यम ।

साथ ही सूचित करना है कि दि० 15.02.2025 को बचकोमा पी० रुफ० में अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर शाम 6:30 बजे लगभग पचले पृष्ठ पर विरल जवाहा के साथ गश्ती करते हुए अवैध खनन की रोक-थाम हेतु जा रहे थे। इसी बीच असमाप्त तत्वों द्वारा हमलों को दोहरा पथराव करने के पश्चात् शाना प्रभारी को सूचित किया गया पुलिस बल के नहीं पहुँचने के कारण हमले रात्रि में घटना स्थल पर नहीं पहुँच पाए तथा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भी दी गई। तत्पश्चात् दि० 17.02.2025 को सूबह लगभग 10 बजे उक्त पी० रुफ० का निरीक्षण श्री नवनीत जी० आर० भा० व० से० (परिस्थिमान) प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, हतरपुर डूबी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कुं शोष्पी, वन क्षेत्र पदाधिकारी पाटन वनरोपण प्रक्षेत्र एवं अन्य वनकर्मियों के साथ अधोस्तर क्षरी द्वारा किया गया। उक्त निरीक्षण में उक्त पी० रुफ० में अवैध खनन किया पाया गया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर पत्थर का उत्खनन श्री मुकेश कुं सिंह के द्वारा करवाकर उनके निजी क्रेशर में लाकर चिपस बनाकर बेचा जाता है।

तत्पश्चात् दि० 18.02.2025 को श्री नवनीत जी० आर० भा० व० से० (परिस्थिमान) प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, हतरपुर डूबी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कुं शोष्पी, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन वनरोपण क्षेत्र, श्री उमेश कुं शुबे, वन क्षेत्र पदाधिकारी पाटन वन प्रक्षेत्र एवं अन्य वनकर्मियों द्वारा श्री मुकेश कुं सिंह का बरडीहा स्थित क्रेशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उक्त क्रेशर पर लगभग 500 CFT जंगल से उत्खनित पत्थर पाया गया, जिसे जप्त कर वन क्षेत्र कार्यालय परिसर हतरपुर लाया गया जॉच के दौरान यह भी जात हुआ कि उनके अलावा जंगल के क्रेशर पर भी जंगल से पत्थर उत्खनन कर लाया जाता है; तत्पश्चात् जंगल से स्थित श्री राम प्रवेश प्रसाद के क्रेशर से जंगल से उत्खनित 200 CFT पत्थर, श्री कृष्णा यादव के क्रेशर से जंगल से उत्खनित 200 CFT पत्थर एवं श्री शकेश कुं सिंह के क्रेशर से जंगल से उत्खनित 500 CFT पत्थर को जप्त कर वन क्षेत्र कार्यालय परिसर हतरपुर लाया गया। इस प्रकार श्री मुकेश कुमार सिंह एवं अन्य के द्वारा जंगल से पत्थर का अवैध उत्खनन एवं परिवहन किया गया जो कि भारतीय वन अधिन० 1927 की धारा 33, पाठ्य 42 के तहत सजाय एवं जैर जमानतीय अपराध किया गया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त सभी अभियुक्तों पर सुसंगत धाराओं के तहत उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी
 लक्ष्मी कान्त जाण्डेय (वनरक्षी)
 बरडीहा एवं इडक राग सब-वीट
 हतरपुर डूबी वन प्रक्षेत्र
 दि० 18.02.2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार

जप्ती सूची

- जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- गोकुल जय शो स्टोन निचरस प्रो. भी मुनेश कुमार सिंह
गाँव - बरडोड़ा, थाना - हतरपुर, खण्डा संरक्षा - 14 टॉवर
संख्या - 596
- जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय - लगभग 11:00 बजे
दिनांक - 18-02-2025
- किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41 42
के उल्लंघन के कारण भा. व. अ. की धारा 52 के तहत
- जप्त पदार्थ का विवरण :- 500 cft पत्थर
- (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके)
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) मुकेश कुमार सिंह, पिता - भी अवध बिहारी सिंह
ग्राम + पो. + थाना - हतरपुर पलामू
- (ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर
① विनोद कुमार बनरजी
② राहुल कुमार "
③ लक्ष्मीकांत पाण्डेय "
④ मोहाफोज अंसारी "
⑤ शंकरा रौशन प्र० वनपाल लक्ष्मी
⑥ पंकज कुमार " पंकज कुमार बनरजी
- गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर सरसिज इरॉव प्रभारी वनपाल
हतरपुर वन पारिसर
सरसिज इरॉव
- जप्त करने वाले घदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, झालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झालटनगंज (उत्तरी) / यनों के
क्षेत्र पदाधिकारी, हतरपुर पूर्वी प्रमण्डल को जुर्म प्रतिवेदन संख्या 2156
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरसिज इरॉव

वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी

दि. - 18-02-2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- मैसर्स जय माता स्टोन क्रशर, प्रो. भी राम प्रवेश प्रसाद
मौजा - बरडीहा, थाना - दत्तपुर, खाता संख्या - 14 प्लॉट -
संख्या - 596
 2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय :- लगभग 11:15 बजे
दिनांक - 18-02-2025
 3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1924 की धारा 33 एवं 41.42
के उल्लंघन के कारण भा.व.अ. की धारा 52 के तहत
 4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 200 cft पत्थर
 5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) भी राम प्रवेश प्रसाद, पिता - भी राजेश्वर प्रसाद
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) ग्राम - बरडीहा, पोस्ट - चराई दत्तपुर पलामू
 - (ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर -
 6. गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ① विनोद कुमार बनरजी | विनोद कुमार बनरजी |
| ② राहुल कुमार " | राहुल कुमार बनरजी |
| ③ लक्ष्मीकांत पाण्डेय " | लक्ष्मीकांत पाण्डेय बनरजी |
| ④ मोहाजीज अंसारी " | मोहाजीज अंसारी |
| ⑤ राकेश रौशन प्रबन्धनपाल लहेका - | राकेश रौशन |
| ⑥ पंकज कुमार " | पंकज कुमार बनरजी |
7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्रभारी वनपाल
दत्तपुर वन परिसर

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, झालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झालटनगंज (उत्तरी) / वनों के
क्षेत्र पदाधिकारी, दत्तपुर पूर्वी प्रखण्ड को जर्म प्रतिवेदन संख्या ...2156
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरसिज उराँव
सरसिज उराँव वन पदाधिकारी
वनपाल/व.क्ष.पदाधिकारी दत्तपुर वन परिसर
दि - 18-02-2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- सर्वेक्षी जय मां विदेवाखणी इलाका चिपस डेप्युटी प्रो.
राकेश कुमार सिंह मोंजा-वरडीया ग्राम-इतरपुर
खामा सं.- 25 रॉटर संख्या- 600
2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय:- लगभग 11:30 बजे
दिनांक:- 18-02-2025
3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41, 42
के उल्लंघन के कारण आ. व. अ. की धारा 52 के तहत
4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 500 cft पत्थर
5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) श्री राकेश कुमार सिंह, पिता- श्री अनन्दा विहारी सिंह
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) ग्राम-पौ. + ग्राम-इतरपुर, पलामू
- (ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर -
6. गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

① विनोद कुमार बनरसी	विनोद कुमार बनरसी
② गङ्गा कुमार "	गङ्गा कुमार बनरसी
③ अहमदाबाद पाण्डेय "	अहमदाबाद पाण्डेय, बनरसी
④ मोहाफीज अंसारी "	मोहाफीज अंसारी
⑤ राकेश रौशन	प्र. वनपाल लहेला, राकेश रौशन
⑥ पंकज कुमार "	पंकज कुमार बनरसी
7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्रभारी वनपाल
इतरपुर वन परिसर
सरसिज उराँव

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज (जप्ती) / वनों के
क्षेत्र पदाधिकारी, इतरपुर पूर्वी पक्ष को पुर्ण प्रतिवेदन संख्या 2156
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरसिज उराँव
वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी

दि- 18-02-2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- कुरुणा यादव का क़रार, गाँजा - बरडीहा, थाना - दतपुर
जिला - पलामू, झारखंड
2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय :- लगभग - 11:50 बजे
दिनांक :- 18-02-2025
3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 42.42
के उल्लंघन के कारण गो. व. अ. की धारा 52 के तहत
4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 200 cft पत्थर
5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके कुरुणा यादव पिता - योगेन्द्र यादव ग्राम - कोकरो
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) थाना - दतपुर जिला पलामू

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर -

6. गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

① विनोद कुमार बनरसी	विनोद कुमार बनरसी
② राहुल कुमार	राहुल कुमार
③ लक्ष्मीकान्त पाण्डेय	लक्ष्मी कान्त पाण्डेय, बनरसी
④ मोहाफीज अंसारी	मोहाफीज अंसारी
⑤ राकेश रौशन	प्र० वनपाल नरेगा - लक्ष्मी कान्त
⑥ पंकज कुमार	पंकज कुमार बनरसी
7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्रभारी वनपाल
दतपुर वन परिसर
सरसिज उराँव

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज (उत्तरी) / वनों के
क्षेत्र पदाधिकारी, दतपुर पूर्वी प्रक्षेत्र को पुर्म प्रतिवेदन संख्या 2156
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सचचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सरसिज उराँव

प्र० वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी

दि० - 18-02-2025

हनुमानगढ़ जिले का पुलिस अधीक्षक
हनुमानगढ़ जिला पुलिस, हनुमानगढ़

पत्रांक - 24

दिनांक - 15-02-2025

श्रेणी में,
मुख्य जमाशुदा टोटाधेनारी
मेरिनीनगर पलामू ।

विषय: अ.प्र.सं.- 2158 दिनांक- 15-02-2025 की सूचना समाप्त करने के संबंध में।

माहान्य,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि जनरली पी लहरीकांत पाण्डेय का अ.प्र.सं.- 2158 दिनांक 15-02-2025 प्राप्त हुआ। घटना का पूर्ण विवरण जनरली के अपराध प्रतिवेदन में संकेत है।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1924 (बिसर वन संशोधन अधिनियम, 1989-90) की धारा 33 एवं 41, 42 के तहत टोटाधेनारी एवं जैत जमानतीय अपराध किया गया है।

अतः प्रमाण से निवेदन है कि अभियुक्तों के उपर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कारवाई प्रारंभ करने की कृपा करें। माननीय न्यायालय को जौनपोषांत उद्दिष्ट ही उचित माध्यम द्वारा पूर्ण विवरण प्रतिवेदन समाप्त किया जायगा।

अनामजन्क:

- ① अ.प्र.सं.- 2158
- दिनांक - 15-02-2025
- ② जमी सूची

आपका विश्वारी

सरसिज उरोव

प्रभारी वनपाल हनुमानगढ़ जिला
पॉरेयर हनुमानगढ़ पूर्वी प्रखेन

दिनांक - 15-02-2025

हनुमानगढ़ जिला पुलिस
हनुमानगढ़ जिला पुलिस

898/25

19-2-25

द्वारा उचित माध्यम

महाशय

सादर सूचित करना है कि दिनांक 17.02.2025 को इंदूरकदवाग एवं पराई पी० रूफ० में अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 17.02.2025 को सुबह लगभग 10 बजे उक्त ^{दोनों स्थानों} पी० रूफ० का निरीक्षण करी-करी श्री नवनीत वी० आर० मा० व० से. (परीक्ष्यमान) एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी हतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कुं टोप्यो, वन क्षेत्र पदाधिकारी पाटन वनरोपण प्रक्षेत्र एवं अन्य वनकर्मियों के साथ अधोस्वाक्षरी द्वारा किया गया। उक्त निरीक्षण में देखा गया कि उक्त स्थल पर पत्थर का उत्खनन पिछले पृष्ठ पर लिखे अभियुक्तों एवं क्रेशर संचालकों के संरक्षण एवं मिलीमजत से कराया जाता है। तदुपर्यात दिनांक 18.02.2025 को श्री नवनीत वी० आर० मा० व० से. (परीक्ष्यमान) प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, हतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कुं टोप्यो, वन क्षेत्र पदाधिकारी पाटन वनरोपण प्रक्षेत्र, श्री उमेश कुं डूबे, वन क्षेत्र पदाधिकारी पाटन वन प्रक्षेत्र एवं अन्य वनकर्मियों द्वारा बरडीहा एवं चराई में स्थित पिछले पृष्ठ पर लिखे क्रेशरों सभी क्रेशरों से 100-100 (एकसौ-एकसौ) CFT जंगल से उत्खनित पत्थर का जप्त कर वन क्षेत्र कार्यालय परिसर, हतरपुर लाया गया।

इस प्रकार पर पृष्ठ पर लिखे अभियुक्तों द्वारा जंगल से पत्थर का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कराया गया जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, 34 एवं 42 के तहत सजाय एवं जमानतीय अपराध किया गया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त सभी अभियुक्तों पर सूक्ष्म धाराओं के तहत उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी
 लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (वनरक्षी)
 इंदूरकदवाग एवं बरडीहा-बखरीर
 हतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र
 दि० 18.02.2025

वन विभाग, झाखण्ड सरकार
जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- महादेवा स्टेशन निचले ऊपर प्रो. श्री बंसन कुमार गुप्ता
ग्राम - बरडीहा जामा - हनरपुर खण्ड मंडला-21 एमौर संख्या-5
2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय :- लगभग दोपहर 12:00 बजे
दिनांक - 15-02-2025
3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41, 42
के अन्तर्गत के द्वारा प्रो. व. अ. की धारा 52 के तहत
4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 100 cft काष्ठ

5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) महादेवा स्टेशन निचले ऊपर प्रो. बंसन कुमार गुप्ता पिता - श्री व्यक्त
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) प्रसाद गुप्ता, ग्राम + पो. + थाना - हनरपुर पताम्

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर

6. गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

① महादेवा अंसारी	हनरपुर पूर्वी प्रखण्ड महादेवा अंसारी
② चन्द्र कुमार	" किशोर कुमार
③ लक्ष्मीकांत पांडेय	" लक्ष्मीकांत पांडेय (हनरपुर)
④ राजू कुमार	" शफूत कुमार
⑤ पंकज कुमार	" हनरपुर पश्चिमी प्रखण्ड - पंकज कुमार
⑥ राजू राजू	" शकूत शकूत
7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्र. वनपाल
हनरपुर वन परिसर
सरसिज उराँव

प्रतिस्तिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलाय, डालतनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालतनगंज (उत्तरी) वनों के
क्षेत्र पदाधिकारी, हनरपुर पूर्वी प्रखण्ड को पुर्ण प्रतिवेदन संख्या 2158
दिनांक 15-02-2025 के साथ क्रम में सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सरसिज उराँव
वनपाल/प.क्षे. पदाधिकारी

वन विभाग, झारखण्ड सरकार जप्ती सूची

- 1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- एवं की जय में त्रिभोरी इलाका कुंभार पार्क. श्री ओमप्रकाश जयसवाल एवं अन्य मौजा - चराई, नामा - हनरपुर नामा संख्या - 295 खाना संख्या - 05 एलॉट संख्या - 673
- 2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय :- लगभग दोपहर 12:20 बजे
दिनांक - 15-02-2025
- 3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32 एवं 41, 42 के उल्लंघन के कारण भा. व. अ. की धारा 52 के तहत
- 4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 100 cft पत्थर

5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) एवं की जय में त्रिभोरी इलाका कुंभार पार्क. श्री ओमप्रकाश जयसवाल एवं अन्य मौजा - चराई, नामा - हनरपुर नामा संख्या - 295 खाना संख्या - 05 एलॉट संख्या - 673
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर -

- 1) मोहाजीज खंहरा मोहाजीज खंहरा
- 2) विनोद कुमार विनोद कुमार
- 3) लक्ष्मीकान्त पाण्डेय लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (वस्त्री)
- 4) गहन कुमार शकुन्त कुमार
- 5) पंकज कुमार पंकज कुमार
- 6) गज रजय 215th लोक

6. गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्रभारी वनपाल
हनरपुर वन परिसर
सरसिज उराँव

प्रतिस्तिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालतनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालतनगंज (छापी) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, हनरपुर पूर्व प्रमिन् को जुर्न प्रतिवेदन संख्या 2158 दिनांक 15-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरसिज उराँव
वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- M/s Gupta Stone chips प्रो. श्री महाजनन्द प्रसाद
गाँव - बरहीडा गाँव - हनरपुर जिला सरैया - 41 एकर क्षेत्र
597
2. जप्ती का समय एवं दिनांक :-
समय - लगभग रात्रि 12:30 बजे
दिनांक - 15-02-2025
3. किस धारा के अन्तर्गत जप्ती की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41, 42 के अन्तर्गत
के कारण आ. व. अध. की धारा 52 के तहत
4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 100 cft पत्थर
5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके)
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) M/s Gupta Stone chips प्रो. श्री महाजनन्द प्रसाद
पता - गमजी हाट ग्राम - जौरा मंडोल हनरपुर जिला

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर

- ① मोहाफीज अंसारी वनरही मोहाफीज अंसारी
- ② विनोद कुमार " विनोद कुमार
- ③ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय " लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
- ④ राहुल कुमार " राहुल कुमार
- ⑤ पंकज कुमार " पंकज कुमार
- ⑥ राजू राज " पंकज कुमार

शक्ति शक्ति

जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर

सरसिज उराँव प्र. बन्पात
हनरपुर वन पारसर
सरसिज उराँव

विवरण :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डाल्टनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डाल्टनगंज (चंडी) / वनों के

पदाधिकारी, हनरपुर वन प्रमण्डल को पुर्न प्रतिवेदन संख्या 2158

दिनांक 15-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरसिज उराँव

पाल/व. प्र. पदाधिकारी

15-02-2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार

जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स क्रुगर प्रो. पप्पू कुमार
मौजा - चराई थाना - इतरपुर खाता सं. - 08 प्लॉट सं. - 673
2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय - दोपहर लगभग 12:50 बजे
दिनांक - 18-02-2025
3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41, 42 के उल्लंघन के कारण भा. व. अध. की धारा 52 के तहत
4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 100 cft पत्थर
5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स प्रो. श्री पप्पू कुमार
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) पिता - श्री कृपिन्देव सिंह, ग्राम - मसिहानी, पो. - थाना - इतरपुर
पलामू

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर

1. मोहाफीज अंसारी वनरक्षी मीरजापुर जंगल
 2. विनोद कुमार " विनोद कुमार
 3. लक्ष्मीकांत पाण्डेय " लक्ष्मीकांत पाण्डेय
 4. राहुल कुमार " राहुल कुमार
 5. पंकज कुमार " पंकज कुमार
 6. राजू राजकु " राजू राजकु
7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्र. वनपाल
इतरपुर वन परिसर
सरसिज उराँव

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, झालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झालटनगंज (उत्तरी) / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, इतरपुर पूर्वी प्रखण्ड को जुरम प्रतिवेदन संख्या 2158
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सरसिज उराँव
प्र. वनपाल/व.क्षे. पदाधिकारी

दि. - 18-02-2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार

जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- श्री स्टोन क्रुजर प्रो. श्री कृष्ण प्रसाद साहू
मौजा - चराई, थाना - हतरपुर, खामा ख. - 08 प्लॉट सं. - 673
2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय - दोपहर लगभग 1:00 बजे
दिनांक - 18-02-2025
3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41.4 के उल्लंघन के कारण आ. व. अ. की धारा 52 के तहत
4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 100 cft पत्थर
5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) श्री स्टोन क्रुजर प्रो. श्री कृष्ण प्रसाद साहू पिता - श्री जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई भगवान साहू ग्राम - चराई, हतरपुर पलामू

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर

- ① मोहाफीज अंसारी वनरक्षी मोहाफीज अंतारी
 - ② विनोद कुमार " विनोद कुमार
 - ③ लक्ष्मीकांत पाण्डेय " लक्ष्मीकांत पाण्डेय
 - ④ शरूल कुमार " शरूल कुमार
 - ⑤ पंकज कुमार " पंकज कुमार
 - ⑥ राजू राजू " राजू राजू
6. गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर
7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्र. वनपाल
हतरपुर वन परिसर
सरसिज उराँव

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज (उत्तरी) / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, हतरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र को जुर्रम प्रतिवेदन संख्या 2158
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सरसिज उराँव
प्र. वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी

उत्तरी

दि - 18-02-2025

न्यायालय:-प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक...../दिनांक...../

सेवा में,

श्री परनानन्द उपाध्याय, प्रथम श्रेणी,
न्यायिक दण्डाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर।

विषय:- कम्पलेन वाद संख्या-895/2025, दिनांक 18.02.2025 में जप्त 1400 सी0एफ0टी0 पत्थर के विरुद्ध अधिहरण वाद आरम्भ करने के संबंध में।

प्रसंग:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र का ज्ञापांक 102 दिनांक 25.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र से प्राप्त कम्पलेन वाद संख्या-895/2025 में दिनांक 18.02.2025 में जप्त 1400 सी0एफ0टी0 पत्थर के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम,1927 (बिहार संशोधन,1990) की धारा-33, 41 एवं 42 के उल्लंघन एवं इसी अधिनियम की धारा-52 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में अधिहरण वाद की कार्रवाई आरम्भ की जा रही है, जिसकी अधिहरण वाद संख्या-09/2025 है।

अतः अनुरोध है कि कम्पलेन वाद संख्या-895/2025 में जप्त 1400 सी0एफ0टी0 पत्थर को मुक्त नहीं करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक...../दिनांक...../

प्रतिलिपि:-प्रभारी सहायक लोक अभियोजक, मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक ~~102~~ /

दिनांक 26/3/25 /

प्रतिलिपि:-वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद का अभियोजन प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

न्यायालय:-प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक...../दिनांक...../

सेवा में,

श्री परनानन्द उपाध्याय, प्रथम श्रेणी,
न्यायिक दण्डाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर।

विषय:- कम्पलेन वाद संख्या-898/2025, दिनांक 18.02.2025 में जप्त 500 सी0एफ0टी0 पत्थर के विरुद्ध अधिहरण वाद आरम्भ करने के संबंध में।

प्रसंग:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र का ज्ञापांक 103 दिनांक 25.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र से प्राप्त कम्पलेन वाद संख्या-898/2025 में दिनांक 18.02.2025 में जप्त 500 सी0एफ0टी0 पत्थर के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम,1927 (बिहार संशोधन,1990) की धारा-33, 41 एवं 42 के उल्लंघन एवं इसी अधिनियम की धारा-52 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में अधिहरण वाद की कार्रवाई आरम्भ की जा रही है, जिसकी अधिहरण वाद संख्या-10/2025 है।

अतः अनुरोध है कि कम्पलेन वाद संख्या-898/2025 में जप्त 500 सी0एफ0टी0 पत्थर को मुक्त नहीं करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक...../दिनांक...../

प्रतिलिपि:-प्रभारी सहायक लोक अभियोजक, मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक 782/ दिनांक 26/3/25/

प्रतिलिपि:-वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद का अभियोजन प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।



कार्यालय :- अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।

E-mail- cohhattarpur@gmail.com

पत्रांक दिनांक

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

विषय :- क्रशर प्लांट का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय ज्ञापांक 200 / दिनांक 17.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि भवदीय निर्देशानुसार छत्तरपुर अंचल अंतर्गत संचालित कुल 12 क्रशर प्लांट का वन क्षेत्र पदाधिकारी, छत्तरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र एवं सशस्त्र बलों के साथ दिनांक 18.02.2025 दिन मंगलवार को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:30 बजे अपराह्न तक बरडीहा, केरकी खुर्द, मुरुमदाग, बचकोमा इत्यादि जगहों पर अवस्थित क्रशर प्लांट का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसका संशोधित जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक :- कुल 12 पन्नों में 12 क्रशरों
का जाँच प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

50

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

ज्ञापांक 273 दिनांक 10.03.2025

प्रतिलिपि:-
प्रतिलिपि:-

वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, छत्तरपुर को सूचनाथ प्रेषित।
प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, पलामू को सूचनाथ प्रेषित।

10/03/25

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

↓

जय माँ स्टोन चिप्स, बरडीहा का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
जय माँ स्टोन चिप्स, बरडीहा	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-14, प्लॉट सं०-596	3.40 एकड़	31.05.2025

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-

1. क्रशर प्लांट के गीन तरफ से टीन का लगभग 5 फीट ऊँचाई की चहारदीवारी की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्पींकलर की व्यवस्था है, परंतु उपयोग में नहीं पाया गया।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-17332693/2024/414, Dated 16.03.2024 बैधता की तिथि 31.05.2025 दर्ज है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है। स्टॉक के बारे में पुछने पर स्व-हस्तलिखित बयान दिया गया कि इस प्लांट में कुल 8000 CFT पत्थर का भण्डारण मौजूद है, परन्तु अमीन द्वारा मापी करने पर एक भण्डारण स्थल पर लगभग 17000 CFT पत्थर मौजूद है तथा दूसरे भण्डारण स्थल पर लगभग 2000 CFT पत्थर मौजूद है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं, जिसके जाँच हेतु नमूना वनक्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा लिया गया है।

स्थानीय लोगों के द्वारा यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक से स्टॉक्स के बारे में पुछने पर विरोधाभाषी बयान देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।

अंचल अमीन
छत्तरपुर।

राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर

अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

32

2.

जय माता स्टोन क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
जय माता स्टोन क्रशर	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-14, प्लॉट सं०-596	0.54 एकड़	30.05.2025

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मि मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-19081129/2024/701 Dated 16.04.2024 बैधता की तिथि 30.05.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
6. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजेश्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

महादेव स्टोन चिप्स क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
महादेव स्टोन चिप्स क्रशर	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-21, प्लॉट सं०-597	0.48 एकड़	31.03.2025

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मी मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-18685181/2024/519, Dated 26.03.2024 बैधता की तिथि 31.03.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाइट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजरज उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

जय माँ सतचंडी स्टोन क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।


क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
जय माँ सतचंडी स्टोन क्रशर	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-21, प्लॉट सं०-597	0.50 एकड़	31.03.2025

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
8. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मि मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-18866129/2024/1191, Dated 25.07.2024 बैधता की तिथि 31.03.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
4. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
5. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
6. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाइट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर,


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

5. 35

जय माँ विन्ध्यवासिनी स्टोन चिप्स क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
जय माँ विन्ध्यवासिनी स्टोन चिप्स क्रशर	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-25, प्लॉट सं०-600	0.48 एकड़	31.05.2025


भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मी मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-7968322/2024/1197, Dated 26.07.2024 बेधता की तिथि 31.05.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
8. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रैनाइट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं, जिसके जाँच हेतु नमूना, (लगभग 100 CFT) वनक्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा लिया गया है।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरुआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

जय माँ शेरवाली स्टोन चिप्स क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
जय माँ शेरवाली स्टोन चिप्स क्रशर	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-25, प्लॉट सं०-600	0.40 एकड़	31.03.2025

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु बाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मी मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सीटीओ की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-17858960/2024/138, Dated 30.01.2024 बैधता की तिथि 31.03.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाइट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

7.

M/S अशोक कुमार सिंह, क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
M/S अशोक कुमार सिंह	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-25, प्लॉट सं०-600	0.40 एकड़	30.06.2026


भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मी मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-16478943/2023/1301, Dated 19.07.2023 बैधता की तिथि 30.06.2026 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरुआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

8.

M/S माँ स्टोन क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
M/S माँ स्टोन क्रशर	मौजा-चराई, खाता सं०-08, प्लॉट सं०-673	1.00 एकड़	30.06.2025


भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मी मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सीटीओ की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-14754026/2023/68, Dated 09.01.2023 बैधता की तिथि 30.06.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाइट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

9.
M/S वैष्णों माता स्टोन चिप्स क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
M/S वैष्णों माता स्टोन चिप्स क्रशर	मौजा-चराई, खाता सं०-08, प्लॉट सं०-673	0.50 एकड़	30.06.2026


भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मि मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-16017436/2023/891, Dated 21.05.2023 बैधता की तिथि 30.06.2026 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

जय माँ लिलोरी स्टोन चिप्स क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
जय माँ लिलोरी स्टोन चिप्स क्रशर (वर्तमान संचालक - ओमप्रकाश जयसवाल एवं दीपक कुमार जयसवाल)	मौजा-चराई, खाता सं०-08, प्लॉट सं०-673	1.00 एकड़	31.03.2026

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मि मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-16018236/2023/960, Dated 29.05.2023 बैधता की तिथि 31.03.2026 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संभारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजेश्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

सहारा स्टोन चिप्स क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
सहारा स्टोन चिप्स क्रशर	मौजा-मुरुमदाग, खाता सं०-16, प्लॉट सं०-877	0.55 एकड़	31.05.2025


भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मी मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-18019614/2024/734, Dated 19.04.2024 बैधता की तिथि 31.05.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजश्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

M/S रविन्द्र कुमार सिंह स्टोन क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
M/S रविन्द्र कुमार सिंह स्टोन क्रशर	मौजा-मुरुमदाग	-	-

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-

1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रींकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मि मौजूद नहीं थे। किसी भी प्रकार का दस्तावेज अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गौरमजरुआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजेश्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

अनुसूची 18 फारम सं0 21

वन विभाग, झारखण्ड

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल मेदिनीनगर
अपराध रिपोर्ट सं0 06P ता0 19/06/2025
छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र (राजस्व केन्द्र)
(रेंज)

कम्पलेन वाद संख्या-831/25

अपराध का स्वरूप

अवैध खनन एवं परिवहन।

पता चलने की तारीख और समय - दिनांक-15.02.2025 समय-लगभग शाम 06:30 बजे अपराहन।

घटना-स्थल- बचकोमा पी0एफ0

किसने लगाया - श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, वनरक्षी

वन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा का निर्देश!

(यह प्रमण्डल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

भारतीय वन अधिनियम 1927 (विहार संशोधन 1990) की धारा 33, 41 एवं 42

अभियुक्तों के नाम

नाम	पिता	निवास स्थान		
		गांव	थाना	जिला
1- सरफूदीन अंसारी,	स्व0 जमीरुदीन अंसारी उर्फ स्व0 बिगन अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू।
2- निजामुदीन अंसारी उर्फ खुनखुन अंसारी	स्व0 जमीरुदीन अंसारी उर्फ स्व0 बिगन अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू।
3- अलमुदीन अंसारी,	स्व0 जमीरुदीन अंसारी उर्फ स्व0 बिगन अंसारी	मुरुमदाग	छतरपुर	पलामू।
4- नौशाद आलम	स्व0 जमीरुदीन अंसारी उर्फ स्व0 बिगन अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू।
5- इश्तेखार अंसारी	शेराज अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू।
6- अयुब मियाँ	इश्तेहाँक अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू।
7- नूर आलम	खुशीद अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू।
8- अजय यादव	हरनाथ यादव	मुरुमदाग	छतरपुर	पलामू।
9- सितम्बर यादव	स्व0 बिगन यादव	ईटकदाग	छतरपुर	पलामू।

साक्षियों के नाम

1- श्री संतोष उराँव	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	पलामू
2- श्री राजु रजक	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		
3- श्री राहुल कुमार	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		
4- श्री पंकज कुमार	वनरक्षी	छतरपुर पश्चिमी वन प्रक्षेत्र		
5- श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		
6- श्री सरसिज उराँव,	प्र0 वनपाल	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		

तथ्यों की पूरी रिपोर्ट पन्ने की दूसरी ओर है

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट
(यह घटना के दूसरे दिन तक ही तैयार कर ली जाए।)

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

द्वारा:- उचित माध्यम।

विषय :- कम्पलेन वाद संख्या-831/2025 का जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि कम्पलेन वाद संख्या-331/2025 का अपराध प्रतिवेदन संख्या 2208 दिनांक 15.02.2025 श्री लक्ष्मीकांत पाण्डेय, वनरक्षी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र द्वारा समर्पित किया गया है। जिसकी मूल प्रति माननीय न्यायालय को इस कार्यालय के पत्रांक 22 दिनांक 15.02.2025 के द्वारा समर्पित किया गया है तथा इसकी प्रतिलिपि श्रीमान् को उचित माध्यम द्वारा समर्पित किया गया है।

इस संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 15.02.2025 को बचकोमा पी0एफ0 में अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर वनकर्मियों के साथ गश्ती करते हुए अवैध खनन की रोकथाम हेतु जा रहे थे। इसी बीच असमाजिक तत्वों द्वारा वनकर्मियों को घेरकर पथराव किया गया। वनकर्मियों द्वारा थाना प्रभारी को सूचित किया गया, परन्तु पुलिस बल नहीं पहुँच पाए तथा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भी दी गयी।

सरकारी कर्मियों पर जानलेवा हमला करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के कारण लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, वनरक्षी द्वारा छतरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जिसका छतरपुर थाना काण्ड संख्या-26/2025 दिनांक 17.02.2025 है, (छाया प्रति संलग्न)।

तत्पश्चात् दिनांक 17.02.2025 को उक्त पी0एफ0 का निरीक्षण श्री नवनीत बी0आर0, भा0व0से0, परीक्ष्यमान पदाधिकारी, प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कुमार टोप्पो, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन वनरोपण प्रक्षेत्र एवं अन्य वनकर्मियों के साथ उक्त बचकोमा पी0एफ0 का निरीक्षण किया गया तथा अवैध खनन किया हुआ पाया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा उक्त पी0एफ0 के वन भूमि में पत्थरों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कर क्रशरों पर अवैध रूप से बेचा जाता है।

जाँच के क्रम में स्थानीय ग्रामीणों एवं चरवाहों द्वारा यह भी पता चला कि उक्त अपराध में सरफूदीन अंसाारी के साथ-साथ 1.निजामुदीन अंसाारी उर्फ खुनखुन अंसाारी, पिता-स्व0 जमीरुद्दीन अंसाारी उर्फ स्व0 बिगन अंसाारी, ग्राम-बचकोमा, थाना-छतरपुर, पलामू 2.अलमुदीन अंसाारी, पिता-स्व0 जमीरुद्दीन अंसाारी उर्फ स्व0 बिगन अंसाारी, ग्राम-मुरुमदाग,

थाना- छतरपुर, पलामू 3. नौशाद आलम, पिता- स्व० जमीरुद्दीन अंसारी उर्फ स्व० बिगन अंसारी, ग्राम-बचकोमा, थाना-छतरपुर, पलामू 4. इश्तेखार अंसारी, पिता-सेराज अंसारी, ग्राम-बचकोमा, थाना- छतरपुर, पलामू 5. अयुब मियाँ, पिता-इश्तेहॉक अंसारी, ग्राम-बचकोमा, थाना-छतरपुर, पलामू 6. नूर आलम, पिता-खुरशीद अंसारी, ग्राम-बचकोमा, थाना-छतरपुर, पलामू 7. अजय यादव, पिता- हरनाथ यादव, ग्राम-मुरुमदाग, थाना-छतरपुर, पलामू 8. सितम्बर यादव, पिता-स्व० बिगन यादव, ग्राम-ईटकदाग, थाना-छतरपुर, पलामू भी शामिल है।

दिनांक 26.03.2025 को बचकोमा पी०एफ० में सामूहिक गश्ती के क्रम में ग्रामीणों द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि में ट्रैक्टर, टेलर पर पत्थर लोड किया जा रहा है। उक्त घटना स्थल बचकोमा पी०एफ० में वनकर्मी पहुँचे तो देखा कि एक ट्रैक्टर, टेलर पर पत्थर लोड किया जा रहा है। वनकर्मी को देखते ही चालक एवं मजदूर भाग गये, उक्त जाहन एवं उस पर लदे पत्थर को जप्त किया गया तथा माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पलामू के न्यायालय में वन वाद दायर किया गया, जिसका कम्पलेन वाद संख्या 1283/2025 है।

वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर का पत्रांक 126 दिनांक 30.05.2025, पत्रांक 129 दिनांक 03.06.2025, पत्रांक 131 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अभियुक्तों को नोटिस दिया गया। दिनांक 10.06.2025 को अभियुक्त सं०-09 सितम्बर यादव, ग्राम-ईटकदाग, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू उपस्थित हुआ एवं अपना ब्यान दर्ज कराया जो इस पत्र के साथ संलग्न है तथा शेष अन्य सभी अभियुक्त अनुपस्थित रहे।

दिनांक 17.06.2025 को संबंधित वनरक्षी, उल्टे पृष्ठ पर लिखे गवाहों, मूल मानचित्र एवं अन्य अभिलेखों के साथ घटना स्थल बचकोमा पी०एफ० में गया। बचकोमा पी०एफ० के उत्खनित स्थल का जाँच किया। घटना स्थल का मूल मानचित्र से मिलान किया तो पाया गया कि उक्त घटना बचकोमा पी०एफ०, थाना छतरपुर, थाना संख्या-327, जिला-पलामू के प्लॉट संख्या-226 में पाया गया। उक्त बचकोमा पी०एफ० के प्लॉट संख्या-226 में अभियुक्तों द्वारा लगभग 25 डिसमील वन भूमि में लगभग 10000 सी०एफ०टी० पत्थर उत्खनन कर परिवहन किया गया है। वनरक्षी का कथन सत्य पाया। उक्त प्लॉट अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि है, जिसका अधिसूचना संख्या-10154/52-145R दिनांक 09.01.1953 है। घटना स्थल का मानचित्र गवाहों के समक्ष तैयार किया गया।

आस-पास के ग्रामीणों एवं चरवाहों से पूछताछ करने पर पता चला कि अभियुक्तों द्वारा अधिसूचित वनों से अवैध पत्थर का उत्खनन कर तथा परिवहन कर चराई, बरडीहा एवं मुरुमदाग स्थित क्रशरों पर बेचा जाता है।

जाँच के दौरान यह भी पता चला कि अभियुक्तों द्वारा उक्त बचकोमा पी०एफ० के अलावा डड्डूटा पी०एफ० एवं मुरुमदाग पी०एफ० में भी अवैध उत्खनन किया गया है,

जिसके विरुद्ध वन वाद दायर किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	अभियुक्तों का नाम	पिता का नाम एवं पता	कम्पलेन वाद सं०
1	सरफुदीन अंसारी	स्व० जमीरुदीन अंसारी उर्फ स्व० बिगन अंसारी, ग्राम-बचकोमा	288 / 2019, 807 / 2020, 74 / 2022, 659 / 2022, 992 / 2022, 802 / 2023, 955 / 2023, 756 / 2025
2	निजामुदीन अंसारी उर्फ खुनखुन अंसारी	स्व० जमीरुदीन अंसारी उर्फ स्व० बिगन अंसारी, ग्राम-बचकोमा	436 / 2019, 74 / 2022, 954 / 2022, 955 / 2023, 1402 / 2024, 3128 / 2024 3453 / 2024
3	अलमुदीन अंसारी	स्व० जमीरुदीन अंसारी उर्फ स्व० बिगन अंसारी, ग्राम-मुरुमदाग	288 / 2019, 1961 / 2021, 74 / 2022, 659 / 2022, 954 / 2022, 992 / 2022, 1421 / 2022, 1292 / 2023, 1315 / 2023
4	इश्तेखार अंसारी	सेराज अंसारी, ग्राम-बचकोमा	1289 / 2024, 1402 / 2024, 3837 / 2024, 1283 / 2025
5	अयुब मियाँ	इश्तेहाँक अंसारी, ग्राम-बचकोमा	2065 / 2019, 603 / 2020, 1521 / 2021, 1402 / 2024, 756 / 2025
6	नूर आलम	खुशीद अंसारी, ग्राम-बचकोमा	756 / 2025
7	अजय यादव	हरनाथ यादव, ग्राम-मुरुमदाग	285 / 2019, 877 / 2020, 659 / 2022, 1315 / 2023, 1289 / 2024, 3128 / 2024 3453 / 2024, 409 / 2025

अभियुक्तों को बार-बार नोटिश निर्गत करने के बावजूद उपस्थित नहीं होना, स्थलीय जाँच, अभियुक्त सं०-09 सितम्बर यादव का ब्यान, स्थानीय ग्रामीणों, चरवाहों के पुछताछ एवं अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में दायर वन वाद से स्पष्ट होता है कि सभी अभियुक्त आदतन वन अपराधी है तथा उनके द्वारा अधिसूचित वनों से पत्थर का अवैध उत्खनन एवं परिवहन किया गया है।

सभी अभियुक्त आदतन वन अपराधी हैं। इनका उद्देश्य जंगल से पत्थर का अवैध खनन कर कारोबार करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अभियुक्त सं०-09 सितम्बर यादव का ब्यान से स्पष्ट है कि अभियुक्तों के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए वनकर्मियों पर हमला किया गया है, जो उनके दबंगई एवं दुःसाहस को दर्शाता है।

अनुसूची 18 फारम सं० 21

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1990) की धारा 33, 41 एवं 42 का उल्लंघन किया गया है, जो संज्ञेय, गैर जमानतीय एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः अनुरोध है कि इस वाद को न्याय हेतु न्यायालय में भेजने की कृपा की जाए।

अवैध खनित पत्थर का राजस्व एवं क्षतिपूर्ति निम्नवत् है:-

पत्थर का राजस्व 10000 Cft @ 1500/- प्रति 100 Cft =	150000.00
वन भूमि का क्षति 25 डी० @ 3878/- प्रति डी० =	96950.00
क्षतिपूर्ति - =	450000.00
कुल =	696950.00

(छः लाख छियानबे हजार नौ सौ पच्चास रुपये मात्र)

संलग्न-

- 1-अग्रसारण की छाया प्रति।
- 2-अपराध प्रतिवेदन संख्या-2208
दिनांक 15.02.2025 की छाया प्रति।
- 3-नोटिस की मूल प्रति।
- 4-छतरपुर थाना में दायर प्राथमिकी।
छतरपुर थाना काण्ड संख्या-26/2025 की छाया प्रति संलग्न।
- 5-अभियुक्त संख्या-09 का ब्यान की प्रति।
- 6-घटना स्थल का ट्रेस मानचित्र।
- 7-अधिसूचना संख्या-10154/52-148R दिनांक 09.01.1953
की अभिप्रमाणित प्रति।

विश्वासभाजन,
सरसिद्ध इरॉव
19-06-2025
प्रभारी वनपाल,
छतरपुर वन परिसर।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

महाशय,

दिनांक- 19/06/2025 को उक्त वाद का जाँच किया। जाँच में प्रभारी वनपाल का जाँच प्रतिवेदन सत्य पाया।

अतः अनुरोध है कि इस वन वाद को उचित न्याय हेतु न्यायालय भेजने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी
Geetanjali
19.06.2025
वन क्षेत्र पदाधिकारी
छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

वन विभाग, झारखण्ड

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।
 अपराध रिपोर्ट सं०..... 06P
 ता०..... 19/06/2025

छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र (राजस्व केन्द्र।)
 (रेंज।)

ज्ञाप सं०..... 182
 त०..... 19/06/2025

उप वन संरक्षक मेदिनीनगर वन प्रमण्डल
 को जप्ती रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी
 करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

..... प्रभारी पदाधिकारी।
 19.06.2025
 Range Forest Officer (राजस्व केन्द्र)
 Chhattarpur East Range
 (रेंज।)

ज्ञाप सं०..... 1589

ता०..... 20/06/25

श्री अमृत मल्ली, प्रभार श्रेणी मजिस्ट्रेट पतामू..... को

आदेशिका तामिल करने के लिए एक आवेदन और
 निम्नलिखित दस्तावेजें भेजी जाती है :-

बंसा की अभियोजन प्रतिवेदन से
 धंक्ति को स्वीकृत प्राप्त है।

..... प्रभारी वन-संरक्षक
 वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रमण्डल
 मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

न्यायालय:- परिसर पटाधिकारी
हतरपुर वन परिसर, हतरपुर

पत्रांक - 22

दिनांक - 15-02-2025

श्रेता गं,

मुख्य न्यायिक टाटाधिकारी
गतिनीनगर पलामू ।

विषय:- अ.प्र.सं.- 2208 दिनांक- 15-02-2025 की सूचना
समर्पित करने के संबंध में।

Comp
831/2025

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि
वनरक्षी श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय का अ.प्र.सं.- 2208 दिनांक-15-02-2025
प्राप्त हुआ। घटना का पूर्ण विवरण वनरक्षी के अपराध प्रतिवेदन में
अंकित है।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1924 (बिहार
वन संशोधन अधिनियम 1989-90) की धारा 33 एवं 41, 42
के तहत दणनीय एवं गैर जमानतीय अपराध किया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्तों के उपर
सुसंगत दाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने की कृपा
करे। माननीय न्यायालय को जांचोपरांत गीद्री ही इचित मादथम
द्वारा पूर्ण विवरणी प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

अनुभव:-

अ.प्र.सं.- 2208

दिनांक - 15-02-2025

आपका विश्वासी

सरसिज डरौव

प्रभारी वनपाल हतरपुर वन
परिसर हतरपुर पूर्वी प्रखंड

दिनांक - 15-02-2025

Forest Department, Jharkhand.

जंगल विभाग।

अपराध प्रतिवेदन सं०. 2208

Division
मेदिनीनगर डिवीजन।

Note - This report is to be submitted within 24 hours of the detection.

नोट : यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

Offence Report No.

Date

जर्म नम्बर

तारीख 15.02.2025.

Place of occurrence-
घटना स्थान -

बचकौमा पी०एफ०, थाना - हतरपुर

Date and hour of detection -
पकड़ने का समय और तारीख -

शाम लगभग साढ़े दूँ बजे, दि० 15.02.2025

Name(s), parentage and residence
of offenders -

नाम अपराधी और उसके पिता का नाम
और पता -

1. सरफूकिन अंसारी पिता - मिर्जान अंसारी उर्फ
जमीशदीन अंसारी
ग्राम - बचकौमा, थाना - हतरपुर, पलामू
खेव अन्य अज्ञात 30-35 व्यक्ति

Property seized, if any-
जप्ती माल, अगर कोई -

Custody of seized property
जप्ती माल का जिम्मेवार

Name (s), parentage and residence
of witness (es) if any-

नाम, गवाह और उसके पिता का नाम और पता -

1. सतोष उराव वनरक्षी, हतरपुर पूर्वी प्रखंड
2. सरसीज उराव प्र० वनपाल
3. राजू रजक वनरक्षी
4. पंकज कुमार " हतरपुर पश्चिमी प्रखंड
5. राहुल कुमार " हतरपुर पूर्वी प्रखंड

Nature of offence and facts the case
तफसील और बयान जर्म -

सैना में, वन क्षेत्र पटाधिकारी
हतरपुर पूर्वी वन प्रखंड

द्वारा उचित माध्यम

महाशय,

सादर सूचित करना है कि आज दिनांक 15-02-2025 को गुप्त सूचना मिली कि वचकोमा पी.एफ. से पट्टर को अवैध खनन कर ट्रेक्टर से डूलाई किया जा रहा है। सूचना के आधार पर तत्काल अपने सहयोगी वनकमीटियों जिनका नाम विद्वान पट्टर पर अंकित है के साथ घटना स्थल पर शान के लक्षण सादे हाथ वाले पहुँचा तो देखा कि एक पट्टर लदा ट्रेक्टर वचकोमा से डूकदाग खान वाले रास्ते पर जा रहा है हम लोगों ने उसका पिछा का पीले हि शेकना चाहा तभी विद्वान पट्टर पर लिखे अमिचुम्ब एवं अन्य 30-35 अज्ञात लोगों ने हमारी गाड़ी पर हमला कर ट्रेक्टर को मजाल ले गए तथा मारफिट की वृत्त से हमें बर्देन ले गए हम लोग वहाँ ले मिली तरह लचक निकले उन सभी हमलावरों को मजाल हमें मारी जान-माल की हानि पहुँचाने की थी। इसकी सूचना हमने डूकदाग के माध्यम से अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं थान की डूकदाग के माध्यम से दे दी थी।

आतं. श्रीमान से निवेदन है कि अपराधियों के उपर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें

आपका विश्वासी
 चरमी कान्त पाण्डेय (वनरक्षी)
 डूकदाग स्थान वीट
 चतरपुर पूर्वी वन प्रखंड
 दिनांक 15-02-2025

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक...126...../दिनांक 30-05-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	सरफूदीन अंसारी	बिगन अंसारी उर्फ जमीरुद्दीन अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 831/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 04.06.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराँव
 वन परिसर पदाधिकारी,
 छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।
 प्रभारी
 वन परिसर पदाधिकारी
 छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 129 / दिनांक 03-06-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	सरफूदीन अंसारी	बिगन अंसारी उर्फ जमीरुदीन अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
2	निजामुदीन अंसारी	बिगन अंसारी उर्फ जमीरुदीन अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
3	अलमुदीन अंसारी	बिगन अंसारी उर्फ जमीरुदीन अंसारी	मुरुमदाग	छतरपुर	पलामू
4	नौशाद आलम	बिगन अंसारी उर्फ जमीरुदीन अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
5	इश्तेखार अंसारी	शेराज अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
6	अयुब मियाँ	इश्तेहॉक अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
7	नूर आलम	खुशार्दी अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
8	अजय यादव	हरनाथ यादव	मुरुमदाग	छतरपुर	पलामू
9	सितम्बर यादव	स्व० बिगन यादव	ईटकदाग	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 831/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 10.06.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज डरॉव

वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रमुख

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 131 / दिनांक 10-06-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	सरफूदीन अंसारी	बिगन्, अंसारी उर्फ जमीरुदीन अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
2	निजामुदीन अंसारी	बिगन् अंसारी उर्फ जमीरुदीन अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
3	अलमुदीन अंसारी	बिगन् अंसारी उर्फ जमीरुदीन अंसारी	मुरुमदाग	छतरपुर	पलामू
4	नौशाद आलम	बिगन् अंसारी उर्फ जमीरुदीन अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
5	इश्तेखार अंसारी	शेराज अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
6	अयुब मियाँ	इश्तेहॉक अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
7	नूर आलम	खुर्शीद अंसारी	बचकोमा	छतरपुर	पलामू
8	अजय यादव	हरनाथ यादव	मुरुमदाग	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 831/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 17.06.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराँव

वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रभारी
वन परिसर पदाधिकारी

थाना प्रभारी महोदय
हतरपुर थाना, पलामू

विषय :- FIR दर्ज कराने के संबंध में।

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (उम्र 36 वर्ष) पिता-लालन पाण्डेय, ग्राम-महुलिया थाना पाटन, जिला-पलामू का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं हतरपुर पूर्वी वन प्रसंग अंतर्गत इट्ठकदाग सब-बीट में पदस्थापित हूँ। दिनांक 15.02.2025 को शाम लगभग साढ़े दू. बजे अपने सहयोगी वनकर्मियों के साथ नियमित गश्ती पर था। हमलोग गश्ती के दौरान जैसे ही वनकोमा-इट्ठकदाग रास्ते पर पहुँचे तभी 01 सरफूदिन अंसारी पिता स्व. विजय अंसारी उर्फ जमीन दिन अंसारी ग्राम वनकोमा (मूसमदाग) थाना-हतरपुर, पलामू के नेतृत्व में 30-35 अज्ञात हमलावरों ने हम वनरक्षियों को निश्चाना बना कर हमला कर दिया जिससे हमारा सरकारी वाहन एमओ 0985 केबल मारिशल की क्षतिग्रस्त कर दिया सभी वनकर्मियों इसी वाहन में सवार थे। सभी हमलावर लाठी-डंडे, परखर श्वेक शेंड जैसे हथियारों से लैस थे। तत्काल इसकी सूचना हमने सहयोगी के दूरभाष के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों श्वेक आपकी दूरभाष के माध्यम से दिया। वहाँ से हमलोग मिली तरह बच कर निकले उन लोगों ने हमारा पिछा कुदिरा मोड़ तक किया। हमलावरों की संज्ञा हमने भारी जान-भाल की क्षति पहुँचाकर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना एवं सरकारी कर्मियों में भ्रम उत्पन्न करना था ताकि वे अपना वन अपराध खिना किसी बाधा के लगेता जा सके।


आवश्यकता से निवेदन है कि हमलावरों की पहचान कर तत्काल उन पर उचित कानूनी कारवाही करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी
लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (उम्र 36 वर्ष)
पिता-लालन पाण्डेय
ग्राम-महुलिया, थाना-पाटन
जिला-पलामू।
मौ०- 6201721479

Registered Chaturpur PS Case no - 26/25 dt- 17/02/25
U/S - 191(2)/191(3)/190/2-1/132-BNS 2025 & 3 provisions on
of Damage to Public Property Act, 1984. SI & u/s 1 Oranon
will file. investigate the case

मेरा नाम - सितम्बर यादव - पिता - राज विजय यादव
 ग्राम इत्कदाग - दिनांक 15/02/2025 को जो इन्टर गाड़ी
 मुकदाग तरफ से आ रहे थी जो कि पिछा कर
 रहे थे लाइक से जिसमें मेरा गांव इत्कदाग हुआ
 मैं अपना घर के दरवाजा पर खड़े थे जो कि
 पिछा करने वाले पहचाने में मेरा एक आदमी ने
 जिसका नाम - सुनसुन अंसारी जिसका पिता के
 नाम विजय अंसारी जिस में बाकी लोग के
 नहीं पहचाने है। इस घटना में मैं शामिल
 अपना काम कर रहे थे काम चल रहा था
 कर रहा था जिसका नाम विरेन्द्र इसमें सुनसुन
 पिछा करने वाले लोग लाइक से थे 10.15 आदमी
 लोग ने गिनती नहीं किया है

कतिब
 - Bishesh Kumar
 विमलेश कुमार यादव
 पिता का नाम - सितम्बर यादव
 No- 6207877954



सितम्बर यादव
 पिता का नाम - विजय यादव

54

The 9th January 1953.

NOTICE—10154/52—145-R.—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (Act XVI of 1927), the Governor of Bihar is pleased to declare the forest-lands and waste-lands specified in the Schedule hereto annexed and situated in the District of Palamau.

The forest-lands and waste-lands comprised in this notification shall be called a "protected forest".

The nature and extent of the rights of Government and of private persons in or over the forest-lands and waste-lands comprised in this notification have not yet been enquired into and recorded as laid down in sub-section (3) of section 20 of the said Act, but as the State Government thinks that such enquiry and record will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of Government and as the enquiry and record of rights will hereafter be made, this notification is issued subject to all existing rights of individuals or communities.

SCHEDULE.

Serial no.	Name of owner.	Village.	Thana.	Thana no.	District.	Area.	Plot no.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Acres.	
1	State of Bihar.	Khandhra Khurd.	Harihar-ganj.	228	Palamau	527-38	977, 979, 1, 2, 3, 8, 25, 27, 28, 29, 31, 41, 44, 51, 55, 61, 66, 69, 71, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 86, 97, 98, 99, 112, 117, 123, 130, 137, 139, 140, 147, 149, 151, 158, 164, 180, 221, 247, 285, 260, 305, 308, 352, 601, 700, 733, 708, 733, 734, 749, 742, 761, 765, 748, 774, 782, 790, 794, 798, 800, 805, 811, 814, 816, 818, 811, 823, 830, 854, 870, 880, 886, 923, 911, 946, 972, 975, 931, 996, 998, 1004, 1010, 1011, 1018, 1023, 1025, 1029, 1086, 1080, 1040, 1043, 1053, 1056, 1057, 1084, 1062, 1093, 1103, 1110, 1112, 1117, 1119, 1124, 1139, 1152 and 986/1168.
2	Ditto	Karnima	Ohharapur.	376	Do.	246-89	1, 2, 3, 17, 18, 20, 29, to 33, 35, 37, 40, 48, 51, 52, 58, 60, 63, 65, 68, 73, 77, 78, 79, 85, 86, 99, 96, 100, 105, 114, 115, 119, 123, 137, 141, 141, 151, 154, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 175 and 95/170.

Handwritten signature and date: 21/5/53

उपरोक्त अधिसूचना निदेशक
बिहार राज्य वन विभाग
महिषासुर सहायक एवं सहायक विभाग
बिहार, मु.क. १२५: १०१०१५

402.91
148.84
237.5
58.83
26.61
53.52
90.60
353.11
45.16
1021.97
854.44
513.2
18.71
120.0
720.11
108.23
697.03

55

1228

THE BIHAR GAZETTE, MAY 18, 1933

[PART I]

Serial no.	Name of owner.	Village.	Thana	Tanna no.	District.	Area.	Plot no.
1	2	3	4	5	6	7	8
162	State of Bihar.	Palwa	Ohbatarpur	303	Palamau	308.92	3, 41, 43, 76, 80, 83, 86, 91, 110, 727, 130, 132, 137, 142, 144, 1/149, 160, 162 and 165.
163	Ditto	Basautpur	Ditto	312	Do.	1016.28	1, 2, 11, 14, 133/152.
164	Ditto	Laidag	Ditto	313	Do.	338.50	1, 2, 3, 24, 41, 42, 59, 74, 125, 131, 138 and 197.
165	Ditto	Chipo	Ditto	315	Do.	618.46	1, 12, 20, 97, 142, 147, 152, 154, 158 and 170.
166	Ditto	Rajdarwa	Ditto	316	Do.	619.66	1, 64, 68 and 72.
167	Ditto	Hulsam	Ditto	317	Do.	1197.49	770, 1131, 1139 to 1144, 1167, 1210, 1224, 1312, 1391, 1412, 1420, 1442 to 1461, 1467, 1496, 1520, 1560, 1563, 1566, 1583, 1588, 1595, 1607 and 1648.
168	Ditto	Barantani alias Kahuakhar.	Ditto	321	Do.	1282.42	10, 30, 39, 60, 66, 69, 94, 101, 108, 109, 111, 119, 120, 124, 125, 130, 140, 142, 146, 152, 154, 172, 210 and 254.
169	Ditto	Quadag	Ditto	322	Do.	570.26	2, 29, 81, 113 and 162.
170	Ditto	Hutukdag	Ditto	325	Do.	335.76	2, 13, 18, 19, 22, 25, 46, 50, 52, 88, 93, 181, 183, 259, 339, 498, 504, 509, 530, 542, 546, 668, 763, 775, 792, 796 to 799, 808, 853, 874, 892, 938, 968, 1001, 1003, 1029, 1035, 1045, 1053, 1054, 1072, 1078, 1079, 1088, 1105, 1122, 1125, 1126, 1155, 1157, 1160, 1164 and 1183.
171	Ditto	Itukdag	Ditto	326	Do.	122.05	1, 222, 253 and 265.
172	Ditto	Buchkoma	Ditto	327	Do.	665.38	2, 5, 9, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26 to 31, 38, 43, 44, 49, 50, 56, 58, 62, 64, 74, 88, 82, 124, 127 to 129, 204, 2 5, 223 to 228, 231, 233, 240, 248, 255, 262, 268, 401, 366, 378, 379, 481, 478, 482, 512, 524, 538, 540, 544, 646, 648, 550, 554, 565, 570, 571, 572, 581, 589, 296, 600, 605, 606, 607, 82/612, 129/617, 129/618, and 43/633.

वन विभाग, झारखण्ड

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल मेदिनीनगर
अपराध रिपोर्ट सं०...02P... ता०...15/05/2025
छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र (राजस्व केन्द्र)
(रेंज)

कम्प्लेन वाद संख्या-895/25 अपराध का स्वरूप
अवैध खनन एवं परिवहन।

पता चलने की तारीख और समय - दिनांक- 18.02.2025 समय- लगभग 11:00 बजे पूर्वाह्न।
घटना-स्थल- मौजा-बरडीहा (बचकोमा पी०एफ०)
किसने लगाया - श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, वनरक्षी

वन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा का निर्देश!

(यह प्रमण्डल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1990) की धारा 33, 41 एवं 42

अभियुक्तों के नाम

नाम	पिता	निवास स्थान		
		गांव	थाना	जिला
1- मुकेश कुमार सिंह, प्रो०-मेसर्स जय माँ स्टोन चिप्स,	अवध बिहारी सिंह	छतरपुर	छतरपुर	पलामू।
2- राकेश कुमार सिंह, प्रो०- सर्वश्री जय माँ विंध्यवासिनी स्टोन चिप्स क्रशर.,	अवध बिहारी सिंह	छतरपुर	छतरपुर	पलामू।
3- राम प्रवेश प्रसाद, प्रो०-मेसर्स जय माता स्टोन क्रशर,	राजेश्वर साव	कंगालीडीह, टोला- कुमियाही	छतरपुर	पलामू।
4- कृष्णा यादव	सोनू यादव उर्फ सुखाड़ी यादव	कोकरो	छतरपुर	पलामू।
5- बीरबल यादव, प्रो०-जय माँ सतचण्डी स्टोन क्रशर,	बालकेश्वर यादव	बसडीहा	छतरपुर	पलामू।

साक्षियों के नाम

1- श्री सरसिन्धु उरॉव	प्रभारी वनपाल	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र	मेदिनीनगर वन	पलामू
2- श्री बिनोद कुमार	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र	प्रमण्डल	
3- श्री राहुल कुमार	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		
4- श्री मोहाफिज अंसारी	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		
5- श्री राकेश रौशन	प्रभारी वनपाल	छतरपुर पश्चिमी वन प्रक्षेत्र		
6- श्री पंकज कुमार,	वनरक्षी	छतरपुर पश्चिमी वन प्रक्षेत्र		
7- श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		

तथ्यों की पूरी रिपोर्ट पन्ने की दूसरी ओर है

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट
(यह घटना के दूसरे दिन तक ही तैयार कर ली जाए।)

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

द्वारा:- उचित माध्यम।

विषय :- कम्पलेन वाद संख्या-895/2025 का जॉच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि कम्पलेन वाद संख्या-895/2025 का अपराध प्रतिवेदन संख्या 2156 दिनांक 18.02.2025 श्री लक्ष्मीकांत पाडेय, वनरक्षी, बरडीहा एवं हुटुकदाग उप वन परिसर, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र द्वारा समर्पित किया गया है। जिसकी मूल प्रति माननीय न्यायालय को इस कार्यालय के पत्रांक 23 दिनांक 18.02.2025 के द्वारा समर्पित किया गया है तथा इसकी प्रतिलिपि श्रीमान् को उचित माध्यम द्वारा समर्पित किया गया है। उक्त दायर वाद में 1- मेसर्स जय मॉ स्टोन चिप्स, प्रो० मुकेश कुमार सिंह, पिता-श्री अवध बिहारी सिंह, ग्राम+पो०+थाना-छतरपुर, पलामू, 2- सर्वश्री जय मॉ विन्ध्यवासिनी स्टोन चिप्स क्रशर, प्रो०-राकेश कुमार सिंह, पिता-श्री अवध बिहारी सिंह, ग्राम+पो०+थाना-छतरपुर, पलामू, 3-श्री जय माता स्टोन क्रशर, प्रो० श्री राम प्रवेश प्रसाद, पिता-राजेश्वर साव, ग्राम-बरडीहा, पो०-चेराई, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू एवं 4-कृष्णा यादव, पिता-सोनू यादव, ग्राम-कोकरो, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू के क्रशरों से लगभग कुल 1400 सी०एफ०टी० पत्थर, जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन, 1990) की धारा-33, 41 एवं 42 के उल्लंघन के आरोप तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन, 1990) की धारा 52 के तहत जप्त किया गया। जप्त पत्थरों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रक्षेत्र कार्यालय प्रांगण, छतरपुर में लाकर रखा गया है।

इस संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 15.02.2025 को बचकोमा पी०एफ० में अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर वनकर्मियों के साथ गश्ती करते हुए अवैध खनन की रोकथाम हेतु जा रहे थे। इसी बीच असमाजिक तत्वों द्वारा वन कर्मियों को घेरकर पथराव करने के पश्चात् थाना प्रभारी को सूचित किया गया, परन्तु पुलिस बल नहीं पहुँच पाये तथा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गयी।

सरकारी कर्मियों पर जानलेवा हमला करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के कारण लक्ष्मीकान्त पाडेय, वनरक्षी द्वारा छतरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जिसका छतरपुर थाना काण्ड संख्या-26/2025 दिनांक 17.02.2025 है (छाया प्रति संलग्न)।

तत्पश्चात् दिनांक 17.02.2025 को उक्त पी०एफ० का निरीक्षण श्री नवनीत बी०आर०, भा०व०से०, परीक्ष्यमान पदाधिकारी, प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कुमार टोप्पो, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन वनरोपण प्रक्षेत्र एवं अन्य कर्मियों के साथ उक्त पी०एफ० का निरीक्षण किया गया था तथा अवैध खनन किया हुआ पाया गया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर पत्थर का उत्खनन श्री मुकेश कुमार सिंह के द्वारा करवाकर उनके निजी क्रशर में लाकर चिप्स बनाकर बेचा जाता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर अनुमण्डल द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी अंचल पदाधिकारी, छतरपुर एवं पुलिस बल के साथ दिनांक 18.02.2025 को भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन, 1990) की धारा 52 (D) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में श्री नवनीत बी०आर०, भा.व.से., परीक्ष्यमान पदाधिकारी, प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कुमार टोप्पो, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन वनरोपण क्षेत्र, श्री उमेश कुमार दूबे, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन वन प्रक्षेत्र एवं अन्य वन कर्मियों के साथ बरडीहा स्थित क्रशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में मुकेश कुमार सिंह के क्रशर पर गया तथा जॉच के क्रम में पाया कि एक भण्डारण स्थल पर लगभग 17000 सी०एफ०टी० मिश्रित जिसमें ज्यादा काले पत्थर मौजूद था तथा दूसरे भण्डारण स्थल पर लगभग 2000 सी०एफ०टी० पत्थर मौजूद था, जिसमें लगभग 500 सी०एफ०टी० काले पत्थर (जिसमें कुछ बिना टूटा हुआ गोलकार पत्थर था), जो हाल ही का तोड़ा हुआ पत्थर था, जो कि एक तरफ से किनारे में रखा हुआ था, जो कि Mines के Blasting के बाद बिना टूटा हुआ पाया जाना संभव नहीं है। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्टॉक रजिस्टर यथा क्रशर के आगत-निर्गत पंजी, भंडारण पंजी, बिक्री पंजी, Online तथा Offline दिखाने हेतु बोले गए, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार के पंजी को नहीं दिखाया गया सिर्फ यह बताया गया कि उनके क्रशर पर 8000 सी०एफ०टी० पत्थर है, जो कि उनके द्वारा नावाबाजार एवं बसडीहा के Mines से लाया गया है, तदोपरांत उक्त स्टॉक की मापी अंचल अमीन एवं राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा वनकर्मियों की उपस्थिति में किया गया, उक्त मापी में एक भण्डारण स्थल पर मिश्रित लगभग 17000 सी०एफ०टी० पत्थर तथा दूसरे भण्डारण स्थल पर मिश्रित लगभग 2000 सी०एफ०टी० पत्थर पाया गया। इस प्रकार उनके क्रशर पर कुल 11000 सी०एफ०टी० अधिक पत्थर पाया गया, जो कि जंगल से अवैध रूप से लाया गया पत्थर को अन्य पत्थर के साथ मिश्रित कर दिया गया।

अंचल अधिकारी, छतरपुर जो अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर को संबंधित अभियुक्तों के संबंध में जॉच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त पत्र की प्रति वन विभाग को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उक्त प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मुकेश कुमार सिंह संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकार्ड का संधारण नहीं किया गया है। स्टॉक के बारे में पूछने पर स्व-हस्तलिखित बयान दिया गया है कि इस प्लांट में कुल 8000 सी०एफ०टी० पत्थर का भण्डारण मौजूद है एवं वे पत्थर अपने बसडीहा एवं नावाबाजार स्थित Mines से प्राप्त करते हैं, परन्तु अमीन द्वारा मापी करने पर एक भण्डारण स्थल पर लगभग 17000 सी०एफ०टी० पत्थर मौजूद है तथा दूसरे भण्डारण स्थल पर लगभग 2000 सी०एफ०टी० पत्थर मौजूद है।

स्थानीय लोगों के द्वारा यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आस-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैर मजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक से स्टॉक्स के बारे में पूछने पर विरोधाभासी बयान दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मुकेश कुमार सिंह द्वारा नावा एवं बसडीहा स्थित माईन्स से पत्थर लाने की बात कही गयी है। वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र का ज्ञापांक 145 दिनांक 17.04.2025 द्वारा प्राप्त उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 781 दिनांक 28.03.2025 (छाया प्रति संलग्न) प्राप्त हुआ है, जिसमें मुकेश कुमार सिंह का मौजा-बसडीहा, थाना-छतरपुर, थाना संख्या-280, खाता संख्या-01, प्लॉट संख्या-139 में अवस्थित पत्थर खनन पट्टा का स्वीकृति का जाँच जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा दिनांक 04.01.2025 को किया गया, निरीक्षण के क्रम में कुल 8 बिन्दुओं पर अनियमितता पाया गया, जिसमें कंडिका 2 में उल्लेखित किया गया है कि स्थल पर उत्पादन एवं प्रेषण पंजी नहीं पाया गया, कंडिका 3 में उल्लेखित किया गया है कि स्थल पर पत्थर का भंडार शून्य पाया गया, कंडिका 4 में उल्लेखित किया गया है कि स्थल से काफी कम मात्रा में पत्थर खनिज का उत्खनन किया गया है एवं अन्य त्रुटियाँ पाया गया, अनियमितता पाये जाने के कारण जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा अपने पत्रांक 43 दिनांक 07.01.2025 से मुकेश कुमार सिंह से 30 दिनों का वैधानिक नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण दाखिल करने हेतु निदेश दिया गया था। दो माह के अवधि व्यतित हो जाने के बाद भी उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर/पक्ष दाखिल नहीं किया गया। जिसके कारण उपायुक्त, पलामू का पत्रांक 781 दिनांक 20.03.2025 द्वारा उक्त स्वीकृत खनन पट्टा को शेष अवधि के लिए परिसमाप्त किया गया है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी का ज्ञापांक- 87 दिनांक- 08.03.2025 के द्वारा मुकेश कुमार सिंह का स्वहस्तलिखित ब्यान में यह बताया गया है कि वह अपने क्रशर में पत्थर बसडीहा एवं नावा बाजार स्थित माईन्स से प्राप्त करते हैं (ब्यान की छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त निरीक्षण से स्पष्ट है कि उनके बसडीहा माईन्स में दिनांक 04.01.2025 को ही पत्थर का भंडार शून्य था तथा उक्त माईन्स से काफी कम मात्रा में पत्थर खनिज का उत्खनन किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि मुकेश कुमार सिंह द्वारा अपने Mines से पत्थर प्राप्त न कर वन भूमि एवं गैर मजरूआ भूमि से अवैध पत्थर का उत्खनन कर अपने क्रशर पर Crushing करते हैं।

जांच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि उनके अलावा अगल-बगल के क्रशर पर भी जंगल से पत्थर उत्खनन कर लाया जाता है। अगल-बगल के क्रशर पर वन कर्मियों के जाने के पूर्व क्रशर संचालक क्रशर स्थल से भाग गये, तत्पश्चात् राकेश कुमार सिंह के क्रशर से जंगल से उत्खनित लगभग 500 सी0एफ0टी0 पत्थर, राम प्रवेश प्रसाद के क्रशर से जंगल से उत्खनित लगभग 200 सी0एफ0टी0 पत्थर, कृष्णा यादव के क्रशर से जंगल से उत्खनित लगभग 200 सी0एफ0टी0 पत्थर को जप्त कर वन क्षेत्र कार्यालय प्रांगण, छतरपुर में लाया गया।

जाँच में पाया कि अभियुक्त संख्या-4 कृष्णा यादव के नाम से क्रशर नहीं है, बल्कि जय माँ सतचण्डी स्टोन क्रशर, प्रो० बीरबल यादव, पिता-बाल केशवर यादव, ग्राम-बसडीहा, थाना-छतरपुर, पलामू के नाम से क्रशर है। कृष्णा यादव के द्वारा उक्त क्रशर का संचालन किया जाता है।

अंचल अधिकारी, छतरपुर जो अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर को संबंधित अभियुक्तों के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त पत्र की प्रति वन विभाग को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। उक्त प्रतिवेदन में सूचित

किया गया है कि किसी भी क्रशर संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।

स्थानीय लोगों के द्वारा यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आस-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैर मजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र का ज्ञापांक 145 दिनांक 17.04.2025 द्वारा प्राप्त जिला खनन पदाधिकारी, पलामू का पत्रांक 913 दिनांक 17.04.2025 (छाया प्रति संलग्न) प्राप्त हुआ है, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी ने सर्व श्री जय माँ विध्यवासिनी स्टोन चिप्स क्रशर, प्रो० राकेश कुमार सिंह, मेसर्स जय माता स्टोन क्रशर, प्रो० राम प्रवेश प्रसाद, जय माँ सतचण्डी स्टोन क्रशर, प्रो० बीरबल यादव क्रशरों का जाँच किया गया, जाँच में अनियमितता पाये जाने के कारण उक्त क्रशरों का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है।

उपरोक्त निरीक्षण से स्पष्ट से है कि उक्त क्रशर स्वामियों द्वारा भी वन भूमि एवं गैर मजरूआ भूमि से अवैध पत्थर का उत्खनन कर अपने क्रशर पर Crushing करते हैं।

वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर का पत्रांक 30 दिनांक 28.02.2025, पत्रांक 31 दिनांक 28.02.2025, पत्रांक 32 दिनांक 28.02.2025, पत्रांक 33 दिनांक 28.02.2025, पत्रांक 54 दिनांक 06.03.2025, पत्रांक 55 दिनांक 06.03.2025, पत्रांक 62 दिनांक 11.03.2025, पत्रांक 63 दिनांक 11.03.2025, पत्रांक 63(a) दिनांक 11.03.2025, पत्रांक 73 दिनांक 18.03.2025, पत्रांक 74 दिनांक 18.03.2025, पत्रांक 74(a) दिनांक 18.03.2025, पत्रांक 75 दिनांक 18.03.2025 एवं पत्रांक 76 दिनांक 18.03.2025 एवं पत्रांक 80 दिनांक 28.03.2025 द्वारा संबंधित अभियुक्तों को नोटिश दिया। जाँच के क्रम में पता चला कि अभियुक्त सं०- 3 का ग्राम- बरडीहा के बदले कंगालीडीह, टोला- कुमियाही, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू है, इस कार्यालय के पत्रांक- 110 दिनांक- 25.04.2025 पुनः पत्रांक- 121 दिनांक- 02.05.2025 द्वारा नोटिश दिया गया परन्तु सभी अभियुक्त अनुपस्थित रहे।

दिनांक 12.05.2025 को संबंधित वनरक्षी, उल्टे पृष्ठ पर लिखे गवाहों, मूल मानचित्र एवं अन्य अभिलेखों के साथ घटना स्थल बचकोमा पी०फ० में जप्त पत्थर के नमूना के साथ गया। बचकोमा पी०फ० के उत्खनित स्थल पर पड़े पत्थर एवं जप्त से मिलान किया गया। दोनों पत्थर में एकरूपता पायी गयी। वनरक्षी का कथन सत्य पाया गया। घटना स्थल का मूल मानचित्र से मिलान किया तो पाया गया कि उक्त घटना बचकोमा पी०फ०, थाना छतरपुर, थाना संख्या-327, जिला- पलामू के प्लॉट संख्या-28 में पाया गया। उक्त बचकोमा पी०फ० के प्लॉट संख्या 28 में अभियुक्तों द्वारा लगभग 50 डिसमील वन भूमि में लगभग 17,500 सी०फ०टी० पत्थर उत्खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त प्लॉट अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि है, जिसका अधिसूचना संख्या-10154/52-145R दिनांक 09.01.1953 है।

घटना स्थल का मानचित्र गवाहों के समक्ष तैयार किया गया। अधिसूचित क्षेत्र के वन भूमि पर अवैध रूप से पत्थर तोड़ना निषिद्ध एवं संज्ञेय अपराध है, जिससे पर्यावरण को क्षति होता है।

आस-पास के ग्रामीणों एवं चरवाहों से पूछताछ करने पर पता चला कि अभियुक्तों द्वारा उक्त अधिसूचित वनों से अवैध पत्थर का उत्खनन करवा कर अपने क्रशर

59A

अनुसूची 18 फारम सं० 21

6

पर परिवहन कर ले जाया जाता है।

अभियुक्तों को बार-बार नोटिश निर्गत करने के बावजूद उपस्थित नहीं होने एवं अभियुक्तों द्वारा किसी भी प्रकार के संधारित पंजी को क्रशर पर नहीं दिखाया जाना, उपायुक्त, पलामू का पत्रांक 781 दिनांक 28.03.2025 द्वारा उक्त स्वीकृत खनन पट्टा को शेष अवधि के लिए परिसमाप्त किया जाना तथा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू का पत्रांक 913 दिनांक 17.04.2025 द्वारा जॉच में अनियमितता पाये जाने के कारण उक्त वाद में संलिप्त तीन क्रशरों का अनुज्ञप्ति रद्द करने से अभियुक्तों का जंगल से अवैध पत्थर का खनन कर कारोबार करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1990) की धारा 33, 41 एवं 42 का उल्लंघन किया गया है, जो संज्ञेय, गैर जमानतीय एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः अनुरोध है कि इस वाद को न्याय हेतु न्यायालय में भेजने की कृपा की जाए।

अवैध खनित पत्थर का राजस्व एवं क्षतिपूर्ति निम्नवत् है:-

पत्थर का राजस्व 17500 Cft @ 1500/- प्रति 100 Cft	=	262500.00
वन भूमि का क्षति 50 डी० @ 3878/- प्रति डी०	=	193900.00
क्षतिपूर्ति -	=	787500.00
कुल	=	1243900.00

(बारह लाख तेतालीस हजार नौ सौ रूपये मात्र)

संलग्न-

- 1-अग्रसारण की छाया प्रति।
- 2-अपराध प्रतिवेदन संख्या-2156
दिनांक 18.02.2025 की छाया प्रति।
- 3- छतरपुर थाना में दायर प्राथमिकी।
छतरपुर थाना काण्ड संख्या-26/2025 की छाया प्रति संलग्न।
- 4- जप्ती सूची।
- 5- नोटिस की मूल प्रति।
- 6-अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन।
- 7-वन क्षेत्र पदाधिकारी का ज्ञापांक 145 दिनांक 17.04.2025
द्वारा उपायुक्त पलामू का ज्ञापांक 781 दिनांक 28.03.2025
तथा जिला खनन पदाधिकारी, पलामू का पत्रांक 913
दिनांक 17.04.2025 की छाया प्रति।
- 8- घटना स्थल का ट्रेस मानचित्र।
- 9- अधिसूचना संख्या-10154/52-145R दिनांक 09.01.1953
की अभिप्रमाणित प्रति।
- 10- वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र का
ज्ञापांक-87 दिनांक-08.03.2025 की छायाप्रति।

विश्वासभाजन,
सरचिफ़ ड्राईंग
12-03-25
प्रभारी वनपाल,
छतरपुर वन परिसर।

60

अनुसूची 18 फारम सं0 21

7

सेवा में,


वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

महाशय,

दिनांक- 14/05/2025 को उक्त वाद का जाँच किया। जाँच में प्रभारी वनपाल का जाँच प्रतिवेदन सत्य पाया।

अतः अनुरोध है कि इस वन वाद को उचित न्याय हेतु न्यायालय भेजने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी



14.05.2025

वन क्षेत्र पदाधिकारी
छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

वन विभाग, झारखण्ड

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

अपराध रिपोर्ट सं०..... 02P
ता०..... 15/05/2025छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र (राजस्व केन्द्र।)
(रेंज।)ज्ञाप सं०..... 159
ता०..... 15/05/2025

उप वन संरक्षक मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

को जप्ती रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी
करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।..... प्रभारी पदाधिकारी।
Range Forest Officer (राजस्व केन्द्र)
Chhattarpur East Range (रेंज।)

ज्ञाप सं०..... 1555

ता०..... 20/06/25

श्री रामभू भट्टा, प्रवक्ता श्री. मजिस्ट्रेट, पलामू..... को

आदेशिका तामिल करने के लिए एक आवेदन और
निम्नलिखित दस्तावेजें भेजी जाती है :-जैसा की अधियोगन प्रतिवेदन में
अंकित की स्वीकृत किया जाता है।..... प्रभारी वन - संरक्षक
..... प्रमण्डल
.....
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

कार्यालय :- वन परिषद पदाधिकारी
दततपुर वन परिषद, दततपुर

पत्रांक - 23

दि० - 18-02-2025

श्रीमानों,
मुख्य - गाणीक दण्डाधिकारी
मंटिनीनगर पलामू

विषय - अ० प्र० सं० - 2156 दिनांक - 18-02-2025 की सूचना समाप्ति
करने के संबंध में।

साहस्य,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि जनरली
भी लक्ष्मीकांत पाण्डेय का अ० प्र० सं० - 2156 दिनांक - 18-02-2025
प्राप्त हुआ। घटना का पूर्ण विवरण जनरली के अपराध प्रतिवेदन में
आंकित है।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (विहार वन संग्रह-
अधिनियम 1989-90) की धारा 33 एवं 41.42 के तहत दण्डनीय एवं गैर
जमानतीय अपराध किया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्तों के उपर सुसंगत धाराओं
के तहत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने की कृपा करें। माननीय
न्यायालय को जॉन्चोपरॉन जीवित ही उचित माध्यम द्वारा पूर्ण विवरणी
प्रतिवेदन समाप्ति किया जाएगा

अनुसूचक :-

① अ० प्र० सं० - 2156
दिनांक - 18-02-2025

② जप्रा सूचि

आपका विश्वासी
सरसिज उराँव

प्रभारी वनपाल दततपुर वन
परिसर दततपुर पूर्वी प्रखंड
दिनांक - 18-02-2025

वन परिषद पदाधिकारी
दततपुर वन परिषद दततपुर

9/5/25

HL

19-02-25

द्वारा उचित माह्रम ।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि दि० 15.02.2025 को बचकोमा पी०एफ० में अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर शाम 6:30 बजे लगभग स्थल पर विरते जवाही के साथ गश्ती करते हुए अवैध खनन की रोक-थाम हेतु जा रहे थे। इसी बीच असमाजिक तत्वों द्वारा हमलों को बढ़कर पथराव करने के पश्चात् थाना प्रभारी को सूचित किया गया पुलिस बल के नहीं पहुँचने के कारण हमलों रात्रि में घटना स्थल पर नहीं पहुँच पाए तथा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भी बी गई। तत्पश्चात् दि० 17.02.2025 को सुबह लगभग 10 बजे उक्त पी०एफ० का निरीक्षण श्री नवनीत जी०आर० भा०व०से० (परिस्थिमान) प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, इतरपुर डूवी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कु० शौण्डी, वन क्षेत्र पदाधिकारी पाटन वनरोपण प्रक्षेत्र एवं अन्य वनकर्मियों के साथ अवैध खनन द्वारा किया गया। उक्त निरीक्षण में उक्त पी०एफ० में अवैध खनन किया पाया गया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर पत्थर का उत्खनन श्री मुकेश कु० सिंह के द्वारा करवाकर उनके निजी क्रेशर से लेकर मिलाकर बेनाकर लेंचा जाता है।

तत्पश्चात् दि० 18.02.2025 को श्री नवनीत जी०आर० भा०व०से० (परिस्थिमान) प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, इतरपुर डूवी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कु० शौण्डी, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन वनरोपण प्रक्षेत्र, श्री उमेश कु० शौण्डी, वन क्षेत्र पदाधिकारी पाटन वन प्रक्षेत्र एवं अन्य वनकर्मियों द्वारा श्री मुकेश कु० सिंह का बरडीहा स्थित क्रेशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उक्त क्रेशर पर लगभग 500 CFT जंगल से उत्खनित पत्थर पाया गया, जिसे जप्त कर वन क्षेत्र कार्यालय परिसर इतरपुर लाया गया जॉच के दौरान यह भी बात हुआ कि उनके अलावा जंगल के क्रेशर पर भी जंगल से पत्थर उत्खनन कर लाया जाता है, तत्पश्चात् जंगल में स्थित श्री राम प्रवेश प्रसाद के क्रेशर से जंगल से उत्खनित 200 CFT पत्थर, श्री कृष्णा यादव के क्रेशर से जंगल से उत्खनित 200 CFT पत्थर एवं श्री शकेश कु० सिंह के क्रेशर से जंगल से उत्खनित 500 CFT पत्थर को जप्त कर वन क्षेत्र कार्यालय परिसर इतरपुर लाया गया। इस प्रकार श्री मुकेश कुमार सिंह एवं अन्य के द्वारा जंगल से पत्थर का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करवाया गया जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, 34 एवं 42 के तहत सजाय एवं गैर जमानतीय अपराध किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त सभी अभियुक्तों पर सुसंगत धाराओं के तहत उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी
 लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (वनरक्षी)
 बरडीहा एवं इतरपुर सब-वीट
 इतरपुर डूवी वन प्रक्षेत्र
 दि० 18.02.2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- मोसम जंगल में इरोन निचल्य प्रो. श्री मुकेश कुमार सिंह
गाँव - हतरपुर, जिला - हतरपुर रजमा संख्या - 14 टॉवर
संख्या - 596
2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय - लगभग 11:00 बजे
दिनांक - 18-02-2025
3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41 42
के अन्तर्गत के कारण गा. नं. अ. की धारा 52 के तहत
4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 500 cft पत्थर
5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके)
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई मुकेश कुमार सिंह, पिता - श्री अवध विहारी सिंह
ग्राम + पो. + थाना - हतरपुर जलामू
- (ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर
6. गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① विनोद कुमार बनरजी | विनोद कुमार बनरजी |
| ② राहुल कुमार " | राहुल कुमार बनरजी |
| ③ लक्ष्मीकांत पांडेय " | लक्ष्मीकांत पांडेय बनरजी |
| ④ मोहम्मद अंसारी " | मोहम्मद अंसारी |
| ⑤ राकेश रॉशन प्र० वनपाल लक्ष्मी | राकेश रॉशन |
| ⑥ पंकज कुमार " | पंकज कुमार बनरजी |
7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्रभारी वनपाल
हतरपुर वन पारिसर
सरसिज उराँव

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज (उत्तरी) / वनों के
क्षेत्र पदाधिकारी, हतरपुर पूर्वी प्रमण्डल को जुर्म प्रतिवेदन संख्या 2156
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरसिज उराँव

वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी

दिनांक 18-02-2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

- जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- मैसर्स जय माता स्टोन क्रूजर, प्रो. श्री राम प्रवेश प्रसाद
मौजा- बरडीहा, थाना- दत्तरपुर, खाता संख्या- 14 प्लॉट-
संख्या- 596
- जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय:- लगभग 11:15 बजे
दिनांक - 18-02-2025
- किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41.42
के उल्लंघन के कारण भा.व.अ.की धारा 52 के तहत
- जप्त पदार्थ का विवरण :- 200 CFJ पत्थर
- (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) श्री राम प्रवेश प्रसाद, पिता- श्री राजेश्वर प्रसाद
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) ग्राम- बरडीहा, पोस्ट- चराई दत्तरपुर पलामू
- (ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर -

① विनोद कुमार वनरक्षी	विनोद कुमार वनरक्षी
② राहुल कुमार "	राहुल कुमार वनरक्षी
③ लक्ष्मीकांत पाण्डेय "	लक्ष्मीकांत पाण्डेय वनरक्षी
④ मोहाफीज अंसारी "	मोहाफीज अंसारी
⑤ राकेश रौशन प्रवन्तपाल लहेका -	राकेश रौशन
⑥ पंकज कुमार "	पंकज कुमार वनरक्षी
- जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्रभारी वनपाल
दत्तरपुर वन परिसर

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, झालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झालटनगंज (उत्तरी) / वनों के
क्षेत्र पदाधिकारी, दत्तरपुर पूर्वी प्रखण्ड..... को जुर्म प्रतिवेदन संख्या 2156.....
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सरसिज उराँव
सरसिज उराँव
प्र.वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी
दि. - 18-02-2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- सर्वेक्षी जय मां विदेवास्मी स्टेशन चिप्स क्रशर प्रो-
राकेश कुमार सिंह गोंजा-वरडीहा, खाना-दतारपुर
खाना सं-25 लॉट संख्या-600
2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय:- लगभग 11:30 बजे
दिनांक:- 18-02-2025
3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-33 एवं 41, 42
के उल्लंघन के कारण गा.व.अ. की धारा-52 के तहत
4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 500 cft पत्थर
5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) श्री राकेश कुमार सिंह, पिता- श्री अन्ध विहारी सिंह
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) ग्राम+पो+खाना-दतारपुर, पलामू

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर

- ① विमोट कुमार बनरसी
- ② राहुल कुमार "
- ③ अहमीकान्त पाण्डेय "
- ④ मोहाफीज अंसारी "
- ⑤ राकेश रौशन प्रवनपाल महेश राकेश शैमा
- ⑥ पंकज कुमार " पंकज कुमार बनरसी

7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्रभारी वनपाल
दतारपुर वन परिसर
सरसिज उराँव

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, झालदनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झालदनगंज (उत्तरी) / यनों के
क्षेत्र पदाधिकारी, दतारपुर पूर्वी पक्ष को जुर्म प्रतिवेदन संख्या 2156
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सरसिज उराँव
वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी

दि- 18-02-2025

वन विभाग, झाखण्ड सरकार
जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- कृष्णा खाटव का क्रम, गाँजा-बरडीहा, थाना-दुतरपुर
जिला-पलामू, झाखण्ड
2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय:- लगभग- 11:50 बजे
दिनांक:- 18-02-2025
3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41.42
के उल्लंघन के कारण भा. व. अ. की धारा 52 के तहत
4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 200 cft पत्थर
5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) कृष्णा खाटव, पिता- सोनू खाटव ग्राम- कोकरो
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) थाना- दुतरपुर, जिला- पलामू

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर -

6. गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

① विनोद कुमार बनरसी	विनोद कुमार बनरसी
② राहुल कुमार "	राहुल कुमार बनरसी
③ लक्ष्मीकांत पांडेय "	लक्ष्मीकांत पांडेय, बनरसी
④ मोहाफीज अंसारी "	मोहाफीज अंसारी
⑤ राकेश रौशन प्रबन्धन नरेश्वर	राकेश रौशन
⑥ पंकज कुमार "	पंकज कुमार बनरसी
7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उरौव प्रभारी वनपाल
दुतरपुर वन परिसर
सरसिज उरौव

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज (जारी) / वनों के
क्षेत्र पदाधिकारी, दुतरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र को पुर्ण प्रतिवेदन संख्या 2156
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सचचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरसिज उरौव

प्र- वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी

दि- 18-02-2025

थाना प्रभारों महसूय 67

हतरपुर थाना, पलामू

विषय:- FIR दर्ज कराने के संबंध में।

महोदय,

निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (उम्र 36 वर्ष), पिता-ललन पाण्डेय, ग्राम-महुलिया थाना पाटन, जिला-पलामू का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं हतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र अंतर्गत इटुकदाग सब-बीट में पदस्थापित हूँ। दिनांक 15.02.2025 को शाम लगभग साढ़े दू. बजे अपने सहयोगी वनकर्मियों के साथ नियमित गश्ती पर था। हमलोग गश्ती के दौरान जैसे ही बचकौमा-इटुकदाग रास्ते पर पहुँचे तभी 01 सरफूदिन अंसारी पिता स्व. बिजन अंसारी उर्फ जमीन दिन अंसारी ग्राम बचकौमा (मूसमदाग) थाना-हतरपुर, पलामू के नेतृत्व में 30-35 अज्ञात हमलावरों ने हम वनरक्षियों को निशाना बना कर हमला कर दिया जिससे हमारा सरकारी वाहन एमएच01 0985 कोल मार्शल की क्षतिग्रस्त कर दिया सभी वनकर्मियों इसी वाहन में सवार थे। सभी हमलावर लाठी-डंडे, परचर एवं शेंक जैसे हथियारों से लैस थे। तत्काल इसकी सूचना हमने सहयोगी के इरनाथ के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों एवं आपको धूरमाथ के माध्यम से दिया। वहाँ से हमलोग किसी तरह बच कर निकले उनलोगों ने हमारा पिछा कुदिसा मोड़ कर लिया। हमलावरों की मेरवा हमें भारी जान-माल की क्षति पहुँचाकर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना एवं सरकारी कर्मियों में भद्र उत्पन्न करना था ताकि वे अपना वन अपराध बिना किसी बाधा के लगातार जारी रख सकें।

आतंकीयता से निवेदन है कि हमलावरों की पहचान कर तत्काल उन पर डालित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी
 लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (उम्र 36)
 पिता-ललन पाण्डेय
 ग्राम-महुलिया, थाना-पाटन
 जिला-पलामू।
 मो०० 6201721479

Registered Chatawpur PS Case No - 26/25 dt - 17/02/25
 3 persons on
 BNS 2023 & 3 persons on
 1984. SI & Subi Oranon
 1984. SI & Subi Oranon
 of damage to public property
 will file investigation the case

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 30 / दिनांक 28-02-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	मेसर्स जय माँ स्टोन चिप्स, प्रो०- मुकेश कुमार सिंह	श्री अवध बिहारी सिंह	छतरपुर	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 05.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज ड्राँव
प्र० वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक... 31 / दिनांक... 28-02-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	सर्वश्री जय माँ विध्यवासिनी स्टोन चिप्स, क्रशर, प्रो०- राकेश कुमार सिंह	श्री अवध बिहारी सिंह	छतरपुर	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 05.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज डरौव
प्र० वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 32 / दिनांक 28-02-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	श्री जय माता स्टोन क्रशर, प्र० राम प्रवेश प्रसाद	श्री राजेश्वर साव	बरडीहा	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 06.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज झाँव
वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक...33...../दिनांक...28-02-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	कृष्णा यादव (क्रशर)	सोनू यादव	कोकरो	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 06.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

अरसिज उरॉव
प्र-वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 54 / दिनांक 06-03-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	मेसर्स जय माँ स्टोन चिप्स, प्रो०- मुकेश कुमार सिंह	श्री अवध बिहारी सिंह	छतरपुर	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 17.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराँव
वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक.....55...../दिनांक.....06-03-2025.....

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	सर्वश्री जय माँ विध्यवासिनी स्टोन चिप्स, क्रशर, प्रो०- राकेश कुमार सिंह	श्री अवध बिहारी सिंह	छतरपुर	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 17.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराँव
प्र० वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 62 / दिनांक 11-03-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	श्री जय माता स्टोन क्रशर, प्र० राम प्रवेश प्रसाद	श्री राजेश्वर साव	बरडीहा	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 18.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराँव
वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रकारी
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक.....63...../दिनांक.....11-03-2025.....

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	कृष्णा यादव (क्रशर)	सोनू यादव	कोकरो	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 18.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

अरविज डरॉव
प्र०वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रकाश
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 63(a) / दिनांक 11-03-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	मेसर्स जय माँ सत्यचण्डी स्टोन क्रशर प्रो०- बिरबल यादव	बालकेश्वर यादव	बसडीहा	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 18.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज शर्मा

वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रभारी

वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक.....७३...../दिनांक.....१४-०३-२०२५

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	मेसर्स जय माँ स्टोन चिप्स, प्रो०- मुकेरा कुमार सिंह	श्री अवध बिहारी सिंह	छतरपुर	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 24.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज डरॉव
वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रभारी
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक.....74...../दिनांक..18-03-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	कृष्णा यादव (क्रशर)	सोनू यादव	कोकरो	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 24.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरस्विज डरौव
वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रकाश
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:— वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक...74(a)...../दिनांक...18-03-2025.....

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	मेसर्स जय माँ सत्यचण्डी स्टोन क्रशर प्रो०— बिरबल यादव	बालकेश्वर यादव	बसडीहा	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०— 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक— 24.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

अरसिज उरैव

वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रभारी

वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:— वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक.....75...../दिनांक.....18-03-2025.....

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	सर्वश्री जय माँ विध्यवासिनी स्टोन चिप्स, क्रशर, प्रो०— राकेश कुमार सिंह	श्री अवध बिहारी सिंह	छतरपुर	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०— 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक— 24.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज डराँव
प्र. वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रकार
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक.....76...../दिनांक.....18-03-2025.....

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	श्री जय माता स्टोन क्रशर, प्र० राम प्रवेश प्रसाद	श्री राजेश्वर साव	बरडीहा	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 24.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

अरसिज उराव
प्र० वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रकारी
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 80 / दिनांक 28-03-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	मेसर्स जय माँ सत्यचण्डी स्टोन क्रशर प्रो०- बिरबल यादव	बालकेश्वर यादव	बसडीहा	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 05.04.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

श्रीधर कुमार

प्रभारी

वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:— वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक...110...../दिनांक...25-04-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	श्री जय माता स्टोन क्रशर, प्र० राम प्रवेश प्रसाद	श्री राजेश्वर साव	कंगालीडीह, टोला— कुमीयाही	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०— 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक— 02.05.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिद्ध राँव

वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रभारी

वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 121 / दिनांक 02-05-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	श्री जय माता स्टोन क्रशर, प्र० राम प्रवेश प्रसाद	श्री राजेश्वर साव	कंगालीडीह, टोला- कुमीयाही	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि बचकोमा पी० एफ० एवं आस-पास के पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 895/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 07.05.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराँव
वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रभारी
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर



कार्यालय :- अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।

E-mail- coehattarpur@gmail.com

पत्रांक दिनांक

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

सेवा में -

अनुमण्डल पदाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

विषय :- क्रशर प्लांट का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय ज्ञापांक 200 / दिनांक 17.02.2025
महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि भवदीय निर्देशानुसार छत्तरपुर अंचल अंतर्गत संचालित कुल 12 क्रशर प्लांट का वन क्षेत्र पदाधिकारी, छत्तरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र एवं सशस्त्र बलों के साथ दिनांक 18.02.2025 दिन मंगलवार को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:30 बजे अपराह्न तक बरडीहा, केरकी खुर्द, मुरुमदाग, बचकोमा इत्यादि जगहों पर अवस्थित क्रशर प्लांट का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसका संशोधित जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक :- कुल 12 पन्नों में 12 क्रशरों
का जाँच प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

२०

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

ज्ञापांक 273 दिनांक 10.03.2025

प्रतिलिपि:- वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, छत्तरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

10/03/25


जय माँ स्टोन चिप्स, बरडीहा का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
जय माँ स्टोन चिप्स, बरडीहा	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-14, प्लॉट सं०-596	3.40 एकड़	31.05.2025


भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट के ~~मीन~~ ^{मीन}तरफ से टीन का लगभग 5 फीट ऊँचाई की चहारदीवारी की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था है, परंतु उपयोग में नहीं पाया गया।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-17332693/2024/414, Dated 16.03.2024 वैधता की तिथि 31.05.2025 दर्ज है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है। स्टॉक के बारे में पुछने पर स्व-हस्तलिखित बयान दिया गया कि इस प्लांट में कुल 8000 cft पत्थर का भण्डारण मौजूद है, परन्तु अमीन द्वारा मापी करने पर एक भण्डारण स्थल पर लगभग 17000 cft पत्थर मौजूद है तथा दूसरे भण्डारण स्थल पर लगभग 2000 cft पत्थर मौजूद है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं, जिसके जाँच हेतु नमूना वनक्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा लिया गया है।

स्थानीय लोगों के द्वारा यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक से स्टॉक्स के बारे में पुछने पर विरोधाभासी बयान देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

जय माँ विन्ध्यवासिनी स्टोन चिप्स क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
जय माँ विन्ध्यवासिनी स्टोन चिप्स क्रशर	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-25, प्लॉट सं०-600	0.48 एकड़	31.05.2025


भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-

1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मि मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-7968322/2024/1197, Dated 26.07.2024 बैधता की तिथि 31.05.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
8. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रैनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं, जिसके जाँच हेतु नमूना, (लगभग 100 cft) वनक्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा लिया गया है।
स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

2.

जय माता स्टोन क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
जय माता स्टोन क्रशर	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-14, प्लॉट सं०-596	0.54 एकड़	30.05.2025

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मि मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-19081129/2024/701 Dated 16.04.2024 बैधता की तिथि 30.05.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संघारण नहीं किया गया है।
6. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरुआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजेश उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

जय माँ सतचंडी स्टोन क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
जय माँ सतचंडी स्टोन क्रशर	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-21, प्लॉट सं०-597	0.50 एकड़	31.03.2025

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
8. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मी मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-18866129/2024/1191, Dated 25.07.2024 बैधता की तिथि 31.03.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
4. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
5. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
6. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाइट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर,


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।



90
झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक 913 / एम०,
दिनांक 17-04-25

17/4/25
प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

विषय :- दिनांक 05.03.2025 को जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद तथा जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त, पलामू की अध्यक्षता में परिसदन, पलामू के सभा कक्ष में आयोजित अन्तरराज्यीय जिला समन्वयक (Interstate District Co-ordination) से संबंधित बैठक के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय ज्ञापांक 921, दिनांक 07.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि पलामू जिलान्तर्गत स्वीकृत पत्थर खनन पट्टों एवं भंडारण अनुज्ञप्ति के जांच के क्रम में अनियमितता पाये जाने पर रद्द किये गये खनन पट्टों एवं भंडारण अनुज्ञप्ति की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय को अवलोकनार्थ भेजी जा रही है।
अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर।

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल
प्राप्त पत्र सं० 1536
दिनांक 17/4/25

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 1041 / दिनांक 17/4/25

प्रतिलिपि वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।


17/4/25

90A

कार्यालय:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

ज्ञापांक.....145...../दिनांक.....17/04/2025...../

प्रतिलिपि:- प्रभारी वनपाल, छतरपुर वन परिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


17.04.2025
वन क्षेत्र पदाधिकारी,
छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

कार्यालय, जिला खनन पदाधिकारी, पलामू, मेदिनीनगर।

e-mail - dmo-palamau@jharkhandmail.gov.in

पलामू जिलान्तर्गत लघु खनिज के रदद अनुज्ञप्तिधारियों (डीलर लाइसेंस) की सूची।

क्र० सं०	अनुज्ञप्तिधारियों का नाम एवं पता	क्षेत्र का विवरण	लाइसेंस संख्या	लाइसेंस रदद का पत्रांक/दिनांक	शा
1	सर्वश्री बालाजी ट्रेडिंग, प्रो० श्री प्रदीप केजरीवाल, कुण्ड मुहल्ला, डालटनगंज, पलामू।	मौजा नावाडीह, थाना चैनपुर थाना संख्या 10, खाता संख्या 120,17 प्लॉट संख्या 297, 314, 318 एवं 359 रकबा 3.54 एकड़	J041106230	162,28.01.25	पत
2	M/s PAWAN KUMAR, Prop- श्री उपेन्द्र प्रसाद, पिता श्री सुर्यदेव साव, ग्राम करसो, थाना चैनपुर, पलामू	मौजा करसो, थाना चैनपुर खाता संख्या 58, प्लॉट संख्या 1733(P) रकबा 00.37½ डी०	J041118013	161,28.01.25	पत
3	सर्वश्री जय माता देी स्टोन एण्ड चिप्स, पार्ट० श्री दया नन्द प्रसाद वल्द स्व० यमुना साव, 2 श्री रंजीत कुमार वल्द श्री शिवचन्द प्रसाद, नावाडीह, रामगढ़, चैनपुर, पलामू	मौजा नावाडीह, थाना रामगढ़, चैनपुर, खाता संख्या 82, प्लॉट संख्या 549, रकबा 1.00 एकड़।	J041114406	163,28.01.25	पत
4	मेसर्स जय माता स्टोन क्रसर, प्रो० श्री राम प्रवेश प्रसाद, पिता श्री राजेश्वर साव, ग्राम बरडीहा, पोस्ट चराई, छतरपुर, पलामू।	मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर, खाता संख्या 14, प्लॉट संख्या 596, रकबा 00.54 एकड़	J041110354	398,04.03.25	पत
5	मेसर्स जय मों सतचण्डी स्टोन क्रसर, प्रो० श्री बोरबल यादव, पिता श्री बालकेरवर यादव, बसडीहा, छतरपुर, पलामू।	मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर, खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 597, रकबा 00.50 एकड़	J041111317	451,07.03.25	पत
6	सर्वश्री जय मों विध्यासनी स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री राकेश कु० सिंह, वल्द श्री अवध बिहारी सिंह ग्राम+पो०+थाना छतरपुर, पलामू।	मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर थाना सं० 294, खाता सं० 25, प्लॉट संख्या 600(अंश), रकबा 00.48 एकड़	J041114287	397,04.03.25	पत
7	M/S Gupta Stone chips प्रो० श्री मायानन्द प्रसाद, पिता श्री रामजी साव, ग्राम जौरा, मंझौली, छतरपुर, पलामू।	मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर, खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 597, रकबा 00. 0 एकड़	J041115644	396,04.03.25	पत
8	सर्वश्री जय मों लिलोरी स्टोन क्रसर, पार्ट० श्री ओम प्रकाश जयसवाल, वल्द स्व० राम सुन्दर जयसवाल एवं श्री दीपक कुमार, वल्द श्री उदय शंकर प्रसाद, ग्राम+पो० जम्होर, औरंगाबाद, बिहार।	मौजा चराई, थाना छतरपुर थाना सं० 298, खाता संख्या 08, प्लॉट संख्या 673, रकबा 1.00 एकड़	J041115058	447,07.03.25	पत
9	मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री पपू कुमार, श्री कपिलदेव सिंह, ग्राम मसिहानी, पोस्ट एवं थाना छतरपुर, पलामू।	मौजा चराई, थाना छतरपुर खाता संख्या 08, प्लॉट संख्या 673, रकबा 00.50 एकड़	J041115277	448,07.03.25	पत
10	महादेवा स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री बसंत कुमार गुप्ता, पिता श्री ललन प्रसाद गुप्ता, ग्राम पोस्ट एवं थाना छतरपुर, पलामू	मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 597, रकबा 00.48 एकड़	J041121027	450,07.03.25	पत
11	मों स्टोन क्रसर, प्रो० श्री कृष्ण प्रसाद साहु, पिता श्री भगवान साहु, ग्राम चराई, छतरपुर, पलामू।	मौजा चराई, थाना छतरपुर, खाता संख्या 08, प्लॉट संख्या 673, रकबा 1.00 एकड़	J041123679	449,07.03.25	पत
12	मेसर्स बाबा भोले स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री प्रतीक कुमार, पिता श्री प्रमोद कुमार, देवी मंदिर शाहपुर, चैनपुर, पलामू	मौजा खुरा खुर्द, थाना चैनपुर, थाना संख्या 94, खाता संख्या 30, प्लॉट संख्या 192/3, रकबा 00.20 एकड़	J041114620	638,26.03.25	पत
13	श्री सुधीर भाई, वल्द श्री अभिमन्यु तिवारी मुहल्ला जेलहाता, पोस्ट मेदिनीनगर, पलामू।	मौजा खुरा खुर्द, थाना चैनपुर, थाना सं० 94, खाता संख्या 16 एवं 24, प्लॉट संख्या 194 एवं 195 रकबा 00.43 एकड़	37/14-15	640,26.03.25	पत
14	मेसर्स आयुष स्टोन चिप्स, प्रो० श्री सतीश कुमार, वल्द स्व० राम स्वरूप राम, नई मुहल्ला, डालटनगंज, पलामू।	मौजा खुरा खुर्द, थाना चैनपुर, थाना संख्या 94, खाता संख्या 15, प्लॉट संख्या 178, रकबा 00.37½ एकड़।	J041114215	639,26.03.25	पत
15	मेसर्स सिंह स्टोन क्रसर, प्रो० श्री राजन कुमार, पिता स्व० बृजमोहन प्रसाद, ग्राम लादी, पोस्ट एवं थाना चैनपुर, पलामू	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, खाता संख्या 185, प्लॉट संख्या 1786, रकबा 00.37 एकड़	J041123024	650,26.03.25	पत
16	सर्वश्री न्यू सत्यम प्रो० श्री राजीव रंजन, वल्द स्व० हरिनन्दन सिंह, मुहल्ला आबादगंज, डालटनगंज, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना संख्या 97, खाता संख्या 185, प्लॉट संख्या 1792, रकबा 1.78 एकड़।	J041115489	649,26.03.25	पत
17	बारुणी स्टोन चिप्स, प्रो० श्री सुनिल प्रसाद गुप्ता, पिता श्री राजेश्वर गुप्ता, ग्राम सलतुआ, चैनपुर, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना संख्या 97, खाता संख्या 80, प्लॉट संख्या 1740, रकबा 00.50 एकड़।	J041114095	648,26.03.25	पत
18	मेसर्स मों वैष्णवी स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री पिन्दु प्रसाद, पिता श्री संतोष कुमार गुप्ता, ग्राम सलतुआ, चैनपुर, पलामू	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना संख्या 97, खाता संख्या 185, प्लॉट संख्या 1792, रकबा 00.75 एकड़।	J041114105	647,26.03.25	पत
19	मेसर्स भवानी स्टोन क्रसर, प्रो० श्री उदय प्रताप सिंह, पिता स्व० बृज मोहन सिंह, ग्राम लादीगड़, थाना चैनपुर, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना संख्या 97, खाता संख्या 185 एवं 18 प्लॉट संख्या 1786 एवं 1792, रकबा 00.37½ एकड़	J041113539	645,26.03.25	पत
20	मेसर्स संतोष कुमार स्टोन चिप्स, प्रो० श्री संतोष कुमार, पिता श्री तुलसी प्रसाद, ग्राम सलतुआ, चैनपुर, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना संख्या 97, खाता संख्या 18, प्लॉट संख्या 1786, रकबा 00.80 एकड़।	J041113146	644,26.03.25	पत
21	सर्वश्री मों इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह, वल्द श्री श्यामा प्रसाद सिंह, हमीदगंज, 2 श्री अखिलेश प्रसाद वल्द श्री इन्द्रदेव प्रसाद, जेलहाता, डालटनगंज, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना सं० 97, खाता संख्या 185 एवं 218 प्लॉट सं० 1786 एवं 1792, रकबा 00.37½ एकड़।	J041110898	643,26.03.25	पत
22	मेसर्स महादेव स्टोन क्रसर, प्रो० श्री दिलीप प्रसाद, पिता श्री अयोध्या साव, ग्राम एवं पोस्ट सलतुआ, चैनपुर, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, खाता संख्या 18 एवं 185, प्लॉट संख्या 1786 एवं 1792, रकबा 00.37½ एकड़	J041113796	642,26.03.25	पत
23	जय मों काली इण्टरप्राइजेज प्रो० श्री अनिल कुमार सिंह, पिता स्व० राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम लादी, पोस्ट एवं थाना चैनपुर, पलामू	मौजा सलतुआ थाना चैनपुर, खाता संख्या 185 प्लॉट संख्या 1786 रकबा 10 कट्टा	J041109907	641,26.03.25	पत

पलामू जिलान्तर्गत लघु खनिज के रदद खनन पट्टा की सूची।

क्र० सं०	खनन पट्टाधारियों का नाम एवं पता	क्षेत्र का विवरण	अवधि	खनन पट्टा रदद का पत्रांक/ दिनांक	अभियुक्ति
1	माँ विन्धवासिनी कन्सट्रक्सन, पार्ट० श्री शिव कुमार सिंह, वल्द श्री कृष्णा सिंह, 2). श्री राजेश कुमार सिंह, वल्द श्री शेषनाथ सिंह, दोनों का ग्राम बन्दुआ, पोस्ट शाहपुर, थाना चैनपुर, पलामू।	मौजा बन्दुआ, थाना चैनपुर थाना संख्या 109, खाता संख्या 63 एवं 145, प्लॉट संख्या 1041, 1042, 1065, 1023 एवं 1038, रकबा 2.31 एकड़, पत्थर	09.11.17 से 10 वर्ष	2292, 22.10.24	—
2	मेसर्स जय माँ शेरावाली स्टोन चिप्स, पार्ट० श्री गणेश यादव, वल्द श्री रामदेव यादव, ग्राम चिरु टोला, मुनकेरी, छत्तरपुर, पलामू एवं अन्य।	मौजा रसीदा, थाना नौडीहा बाजार (छत्तरपुर), थाना संख्या 367 खाता संख्या 23, प्लॉट संख्या 413, 415 एवं 416 (अंश), रकबा 8.00 एकड़ पत्थर	06.11.17 से 10 वर्ष	2293, 22.10.24	माननीय खान आयुक्त के न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण वाद संख्या 37/2024 में पारित न्यायादेश दिनांक 24.01.2025 पत्रांक 512, दिनांक 20.02.2025 के अनुपालन में उपायुक्त महोदय द्वारा सुनवाई कर परिष्ठापति आदेश वापस किया गया।
3	श्री मुकेश कुमार सिंह, वल्द श्री अवध बिहारी सिंह, ग्राम नौडीहा, थाना छत्तरपुर, पलामू।	मौजा बसडीहा, थाना छत्तरपुर, खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या 139, रकबा 2.35 एकड़ पत्थर	25.06.15 से 10 वर्ष	781, 28.03.25	—



93

कार्यालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू, मेदिनीनगर।

(खनन शाखा)

पत्रांक 781 / एम०, दिनांक 28.03.25।

प्रेषित,

श्री मुकेश कुमार सिंह, वल्द श्री अवध बिहारी सिंह,
ग्राम नौडीहा, थाना छत्तरपुर, पलामू।

विषय:- पलामू जिलान्तर्गत मौजा बसडीहा, थाना छत्तरपुर, थाना संख्या 280, खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या 139, रकबा 2.35 एकड़ क्षेत्र पर धारित पत्थर लघु खनिज के खनन पट्टा को शेष अवधि के लिए परिसमाप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :- जिला खनन कार्यालय, पलामू का पत्रांक 43, दिनांक 07.01.2025

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि पलामू जिला के मौजा बसडीहा, थाना छत्तरपुर, थाना संख्या 280, खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या 139, रकबा 2.35 एकड़ क्षेत्र में दिनांक 25.06.2015 से 24.06.2025 तक के लिए पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे का निरीक्षण, जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा दिनांक 04.01.2025 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में उक्त स्थल पर निम्न अनियमितताएँ पायी गयी थी :-

1. पट्टा क्षेत्र में पक्का सीमा स्तम्भ नहीं लगाया गया है।
2. स्थल पर उत्पादन एवं प्रेषण पंजी नहीं पाया गया है।
3. स्थल पर पत्थर का भंडार शून्य पाया गया।
4. स्थल से काफी कम मात्रा में पत्थर खनिज का उत्खनन किया गया है।
5. पौधा रोपण नहीं पाया गया।
6. स्थल पर खनन कार्य खनन योजना के अनुरूप नहीं किया गया है।
7. उत्खनित ओभरबर्डन का स्टॉक खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर किया गया है।
8. पट्टा स्थल के समीप घर, स्कूल, नदी आदि अवस्थित है। तथा खान को मजबूत एवं आधार प्रदान नहीं किया गया है जिससे समीप के बच्चे खदान में डुबने/गिरने की प्रबल संभावना है।

उपरोक्त अनियमितता के बावत जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा आपको प्रसांगिक पत्रांक 43, दिनांक 07.01.2025 के माध्यम से 30 दिनों का वैधानिक नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण दाखिल करने हेतु निदेश दिया गया था। दो माह के अवधि व्यतित हो जाने के बाद भी आपके द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर/पक्ष दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आपको नियम संगत तरीके से खनन पट्टा के संचालन में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम-27(2) के तहत आपके पक्ष में स्वीकृत पत्थर खनन पट्टा को शेष अवधि के लिए परिसमाप्त किया जाता है।

आपको निदेश दिया जाता है कि पट्टा क्षेत्र में लगाये गये सभी मशीनरी, संयंत्र, भवन अथवा अन्य कार्यों सुविधाओं को जिन्हें आपके द्वारा स्थापित किया गया है, बनाया गया है अथवा उक्त भूमि पर खड़ा किया गया है उसे सात दिनों के अंदर अविलंब हटाना सुनिश्चित करें, तथा जिला खनन कार्यालय, पलामू को क्षेत्र का क्षेत्राधिकार सौंप दें।

इसे अतिआवश्यक समझें।

जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर

ज्ञापांक 781 / एम०, दिनांक 28.03.25।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, छत्तरपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थल पर भविष्य में अवैध खनन न हो यह सुनिश्चित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर

उपायुक्त
पलामू

सुश्रद्धा नाम - बचकौमा, चाहर नम्बर - 9

थाना - छतरपुर, थाना नम्बर - 326

जिला - पलामू

पैमाना छट्टियाव 96" = 9 फीट

खत - 9892-9893

अधिसूचना सं. - 10154/52-145R

दिनांक - 09.01.1953

सीमा - वन सीमा

धरणी स्थल XXX

अधिसूचित वन भूमि - 28

XXX

28
[Signature]

अरविज डरॉव

प्रकार

वन परिसर फदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

इरकहा

The 9th January 1953.

1211

NOTICE—10154/52—145.R.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Forest Act, 1927 (Act XVI of 1927), the Governor of Bihar is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable, from the date of this notification, to the forest-lands and wastelands specified in the Schedule hereto annexed and situated in the District of Palamau.

The forest-lands and wastelands comprised in this notification shall be called a "protected forest".

The nature and extent of the rights of Government and of private persons in or over the forest-lands and waste-lands comprised in this notification have not yet been enquired into and recorded as laid down in sub-section (3) of section 29 of the said Act, but as the State Government thinks that such enquiry and record will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of Government and as the enquiry and record of rights will hereafter be made, this notification is issued subject to all existing rights of individuals or communities.

SCHEDULE.

Serial no.	Name of owner.	Village.	Thana.	Thana no.	District.	Area.	Plot no.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	State of Bihar.	Khandhara Khurd.	Hasianganj.	223	Palamau	Acres. 527-38	977, 979, 1, 2, 3, 8, 25, 27, 28, 29, 31, 41, 44, 51, 56, 61, 66, 69, 71, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 86, 97, 98, 99, 112, 117, 133, 130, 137, 139, 140, 147, 149, 151, 158, 164, 180, 221, 237, 236, 260, 303, 339, 352, 601, 700, 703, 708, 733, 734, 749, 742, 761, 765, 768, 774, 782, 790, 794, 798, 800, 806, 811, 814, 816, 819, 821, 823, 830, 864, 870, 880, 886, 923, 941, 945, 972, 975, 981, 996, 998, 1004, 1010, 1011, 1018, 1023, 1025, 1029, 1032, 1039, 1040, 1043, 1053, 1056, 1057, 1084, 1082, 1093, 1103, 1110, 1112, 1117, 1119, 1124, 1139, 1152 and 968/1169.
2	DR...	Karuima	Ohhatapur.	376	Do.	246-80	1, 2, 3, 17, 18, 20, 29 to 33, 35, 37, 40, 48, 51, 53, 58, 60, 63, 65, 68, 73, 77, 78, 79, 83, 86, 89, 98, 100, 105, 114, 115, 119, 128, 137, 141, 143, 151, 153, 156, 167, 169, 161, 162, 163, 175 and 95/176.

Handwritten signature and date: 21/4/53

सहायक प्रसिद्धि निदेशक
बिहार राज्य वन विभाग
मंत्रालय सचिवालय
बिहार न.क. 12 नं. 1000015

1228

96
THE BIHAR GAZETTE, MAY 18, 1933

[PART I]

Serial no.	Name of owner.	Village.	Thana	Thana no.	District.	Area.	Plot no.
1	2	3	4	5	6	7	8
102	State of Bihar.	Palwa	Ohhatarpur	308	Palamau	308.92	3, 41, 43, 76, 80, 83, 86, 91, 110, 737, 130, 132, 137, 147, 144, 1/149, 189, 162 and 165.
163	Ditto	Basantpur	Ditto	312	Do.	1015.28	1, 2, 11, 14, 133/132.
164	Ditto	Laidag	Ditto	313	Do.	338.50	1, 2, 3, 24, 41, 42, 59, 74, 125, 131, 138 and 137.
165	Ditto	Chipo	Ditto	315	Do.	618.46	1, 12, 20, 97, 142, 147, 152, 164, 158 and 140.
166	Ditto	Rajdarwa	Ditto	316	Do.	619.56	1, 64, 68 and 72.
167	Ditto	Hulsam	Ditto	317	Do.	1197.49	770, 1131, 1139 to 1144, 1167, 1210, 1224, 1312, 1391, 1412, 1420, 1442 to 1467, 1467, 1496, 1550, 1560, 1563, 1566, 1583, 1588, 1595, 1607 and 1648.
168	Ditto	Barantam alias Kahuakhanr.	Ditto	321	Do.	1282.42	10, 30, 39, 60, 66, 69, 94, 101, 108, 109, 111, 119, 120, 124, 125, 130, 140, 142, 146, 152, 154, 172, 210 and 254.
169	Ditto	Guadag	Ditto	322	Do.	570.26	2, 29, 81, 113 and 162.
170	Ditto	Hulukdag	Ditto	325	Do.	335.76	2, 13, 18, 19, 22, 26, 46, 50, 52, 88, 93, 181, 183, 259, 339, 498, 504, 509, 530, 542, 545, 668, 753, 775, 792, 796 to 799, 808, 853, 874, 892, 938, 968, 1001, 1003, 1029, 1035, 1045, 1058, 1064, 1072, 1078, 1079, 1088, 1105, 1122, 1125, 1126, 1155, 1157, 1160, 1164 and 1183.
171	Ditto	Itakdag	Ditto	326	Do.	122.05	1, 222, 253 and 255.
172	Ditto	Buchkoma	Ditto	327	Do.	665.38	2, 5, 9, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26 to 31, 38, 43, 44, 49, 50, 56, 58, 62, 64, 74, 88, 82, 124, 127 to 129, 201, 25, 223 to 228, 231, 233, 240, 248, 255, 262, 268, 401, 366, 378, 379, 481, 476, 482, 512, 524, 538, 540, 544, 646, 648, 550, 554, 565, 570, 571, 572, 581, 589, 296, 600, 605, 606, 607, 82/612, 129/617, 129/618, and 43/633.

Sl. no.	Name of owner.	Village.	Thana.	Thana no.	District.	Area.	Plot nos.
1	2	3	4	5	6	7	8
37	State of Bihar	Khaparimanda	Ditto	336	Palamau	196.02	1 and 2b.
38	Ditto	Beski	Ditto	340	Do	1242.16	1, 9, 14, 16, 25, 52, 61, 81, 93, 98, 107, 120, 122, 130, 132, 133, 136, 146, 156, 159, 186, 212, 289, 335, 372, 376, 383, 388, 396, 402, 460, 484, 489, 494, 503, 534, 553, 559, 567, 574, 585, 599, 575/600 and 601.
39	Ditto	Hulsi Khurd	Chhatarpur	387	Do	381.39	1, 8, 30 to 34, 48, 64, 65, 92, 93, 121, 181, 183, 240, 241 and 74.
40	Ditto	Gajna	Ditto	18	Do	230.50	1, 2, 3, 5, 6, 10 and 11.
41	Ditto	Ghansikhap	Ditto	54	Do	...	98, 107, 131, 156 and 166.
42	Ditto	Galsora	Ditto	146	Do	37.90	2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 20, 27, 23, 25, 31, 32, 39, 47, 49 to 51, 53, 55, 60, 73 and 148.
43	Ditto	Nawadiha	Ditto	231	Do	30.68	2, 43, 45, 82, 927, 953, 912, 901, 906, 157, 160, 164, 377 and 286.
44	Ditto	Rajbandh	Ditto	300	Do	306.78	22, 58, 66, 69, 84, 81/197 and 113, 195.
45	Ditto	Bh. dolah	Ditto	323	Do	275.50	4, 5, 54, 56, 57, 58 and 60.
46	Ditto	Banadaha	Ditto	379	Do	96.73	314, 320, 328, 332, 337, 340, 353, 779, 1158, 1160, 1621/1622, 1184, 1438 and 1519.

By order of the Governor of Bihar,

(Signature)
 21/5/53

G. RODA

Secretary.

सहायक जमिंदार विभाग
 बिहार सरकार
 जमिंदारों के सम्बन्ध में विभाग
 बिहार सरकार का कार्यालय नं० 403/015

सेवा में,

उपायुक्त, पलामू।
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।
अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर
जिला खनन पदाधिकारी, पलामू।

विषय:-

वन विभाग की टीम एवं अंचल अधिकारी, छतरपुर द्वारा मेरे पक्ष में स्वीकृत Legal पत्थर खदान मौजा नावा बाजार, थाना नावा बाजार थाना संख्या 148, खाता संख्या 11, प्लॉट संख्या 1085 रकबा 6.00 एकड़ से गैर कानूनी तरीके से स्टोन लदे वाहनों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करने पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय आप सभी को सादर जोहार। बड़े ही दुख के साथ सूचित करना है कि उपायुक्त महोदय द्वारा मुझे मौजा नावा बाजार, थाना नावा बाजार थाना संख्या 148, खाता संख्या 11, प्लॉट संख्या 1085 रकबा 6.00 एकड़ में पत्थर खनन हेतु खदान आवंटित है। मैं सरकार को करोड़ों रुपये का खनन रायल्टी, DMFT, Managemnt fee, Income Tax, Environmental cess देकर खदान का संचालन कर रहा हूँ। वन विभाग के वनरक्षी श्री जितेन्द्र कुमार के द्वारा कई दिनों से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को गलत जानकारी देकर गुमराह करते हुए आज दिनांक 21.02.2025 को लगभग 12:30 बजे मेरे पत्थर खदान में गैर कानूनी तरीके से बिना किसी सूचना के जांच करने पहुँचे एवं मेरे खदान के अन्दर से 02 हाईवा को पकड़कर जबरन नावा थाना में लगाकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिस पर मेरा पक्ष निम्न प्रकार है -

1. जांच के दौरान उपस्थित वन कर्मियों एवं अंचल अधिकारी को The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम 11 के तहत खनन पट्टा क्षेत्र में जांच एवं जब्ती की शक्ति प्राप्त नहीं है।
2. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 54 के तहत अवैध परिवहन के दौरान ही वाहन को जब्त करने का प्रावधान है। जबकि जांचकर्मियों द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से ही वाहन को जब्त किया गया है।
3. The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम 9 के तहत खनिजों के परिवहन में ही परिवहन चालान दिया जाना है।
4. मेरे द्वारा अब तक खनन रायल्टी, DMFT, Managemnt fee, Income Tax, Environmental cess के मद में करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया है।
5. उपायुक्त महोदय एवं मेरे बीच सम्पादित लीज डीड के भाग-8 की कंडिका 01 के अनुसार मुझे उक्त पट्टा क्षेत्र में शांतिपूर्वक कार्य करने तथा बिना किसी व्यवधान के सारे अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति है।

मुकुन्द कुमार सिंह



कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

प्राप्त पत्र सं० 925

दिनांक 3/3/25

99

2.

6. मेरे द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर लीज डीड के भाग-9 के कंडिका 03 के अनुसार 30 दिनों का नोटिस देकर सुधार करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाना है। लेकिन मुझे इस प्रकार का कोई निर्देश दिये बिना ही गैर कानूनी तरीके से कानूनी कार्रवाई कर दी गयी है।
7. मुझे लीज डीड के भाग-02 के कंडिका-01 के अनुसार खनिज प्राप्त करने कंडिका-02 के अनुसार मशीन लगाने, कंडिका-03 के अनुसार निकासी सड़क अथवा मार्ग बनाने, कंडिका-05 के अनुसार खनिजों का अम्बार लगाने, एवं कंडिका-06 के अनुसार झाड़ी साफ करने एवं पेड़ काटने की शक्ति प्रदत्त है।
8. खदान से गाड़ियों को जख्त करने का विडियो फुटेज उपलब्ध है, जो मैं संलग्न कर रहा हूँ।

उपरोक्त परिस्थितियों के मदेनजर आप सभी महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे न्याय देते हुए मेरे उपर किये जाने वाले किसी भी कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए श्रीमान द्वारा जांच में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा की जाय, इस कार्य के लिए आप सभी को आजीवन आभारी रहूँगा।

आपका विश्वासी

मुकेश कुमार सिंह

01/03/2025

M/S TIRUPATI CONSTRUCTION, Partner-

- (1). श्री मुकेश कुमार सिंह, पिता श्री अवधि बिहारी सिंह, ग्राम नौडीहा, पोस्ट खजुरी नौडीहा, थाना छतरपुर, पलामू
- 2). श्री मनोज कुमार, पिता श्री शिवशंकर पाण्डेय, ग्राम पतरा, पोस्ट लामी पतरा, थाना पंडवा, पलामू एवं अन्य

प्रति :- अंचल अधिकारी, छतरपुर।

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 486 / दिनांक 3/3/25 /

प्रतिलिपि वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

03/03/25

99A

कार्यालय:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र ।

ज्ञापांक 87 / दिनांक 08/03/2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी वनपाल, छतरपुर वन परिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jansijorawan
08-03-2025

J. J. J. J.
skb

वन क्षेत्र पदाधिकारी
छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

carrying the minerals/ore from the mine or other source or storage and seize the same as required within the jurisdiction as specified below:

(i)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary/ Commissioner, Mines	In the entire State.
(ii)	Director of mines	In the entire State.
(iii)	Additional Director of mine	-do-
(iv)	Deputy Director of mine	Within their respective Jurisdictions.
(v)	District Collector/Deputy Commissioner	Within their respective Jurisdictions.
(vi)	District/Assistant Mining Officer	Within their respective Jurisdictions.
(vii)	Sub Divisional Magistrate/Any other officer authorized by the collector	Within their respective Jurisdictions. Jurisdiction authorized by the Collector in the District
(viii)	Mining Inspector.	-do-
(ix)	In-charge check-gate	-do-

It shall be the responsibility of the mining lessee/dealers to ensure that their carriers afford all assistance and co-operation for such inspection.

(ii) The dealer/lessee shall allow any competent authority/competent officer or any such officer authorized by competent authority to inspect the place where mining, storage and processing unit exists to verify the stocks of ore and minerals and take sample or the abstract from the records maintained by him.

(iii) Every dealer shall allow competent authority competent officer or any officer authorised by the Director, Mines/Commissioner, Mines or Secretary, Department of Industries, Mines and Geology, Jharkhand to enter and inspect the premises, where the mineral is kept or stored. Inspection of such documents as desired in writing and furnishing of information as directed in writing shall be obligatory for such dealer.

(iv) Every officer making a seizure, under these rules shall prepare a list of minerals, tools equipment, vehicles or any other article, so seized and deliver a copy thereof signed by him to the person found in possession of such minerals. Such officer shall keep such seized property under proper custody with proper official seal and with detailed information.

(v) Any minerals, tool, equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

12. Custody of the seized property.—The competent Officer shall keep the seized material or properties under the custody of an institution belonging to Government or any responsible official of the Government as far as possible.

13. Penalties.—(i) Any person, who contravenes any of the provision of these rules, or buys or sells or stores minerals except under and in accordance with the terms and conditions of dealers registration or who transports the minerals except as mentioned in the transport challan or transport minerals without transport

Handwritten signature/initials in Devanagari script.

वन विभाग, झारखण्ड

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल मेदिनीनगर
अपराध रिपोर्ट सं० 03P ता० 30/05/2025

छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र (राजस्व केन्द्र)
(रेंज)

कम्पलेन वाद संख्या-898/25

अपराध का स्वरूप

अवैध खनन एवं परिवहन।

पता चलने की तारीख और समय - दिनांक- 18.02.2025 समय- दोपहर लगभग 12:00 बजे

घटना-स्थल- मौजा-बरडीहा एवं चराई (हुटुगदाग पी0एफ0 एवं चराई पी0एफ0)

किसने लगाया - श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, वनरक्षी

वन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा का निर्देश!

(यह प्रमण्डल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

~~भारतीय वन अधिनियम 1927 (खिहार सेक्शन 1990) की धारा 33, 41 एवं 42~~

अभियुक्तों के नाम

नाम	पिता	निवास स्थान		
		गांव	थाना	जिला
1- महादेवा स्टोन चिप्स, प्रो०- बसंत कुमार गुप्ता,	ललन प्रसाद गुप्ता	करकी खुर्द	छतरपुर	पलामू।
2- माँ स्टोन क्रशर, प्रो०- कृष्णा प्रसाद साहू,	भगवान साहू	चराई	छतरपुर	पलामू।
3- मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स, प्रो०- पप्पु कुमार,	कपिलदेव सिंह	मसिहानी	छतरपुर	पलामू।
4- सर्व श्री जय माँ लिलोरी स्टोन क्रशर, प्रो०-ओम प्रकाश जायसवाल,	स्व० राम सुन्दर जायसवाल	जम्होर, पो०- जम्होर	औरंगाबाद	औरंगाबाद।
5- मेसर्स गुप्ता स्टोन चिप्स, प्रो०- मायानंद प्रसाद,	रामजी साव	जौरा	छतरपुर	पलामू।
6- सर्व श्री जय माँ लिलोरी स्टोन क्रशर, पार्टनर- दीपक कुमार,	उदय शंकर प्रसाद	जम्होर, पो०- जम्होर	औरंगाबाद	औरंगाबाद।

साक्षियों के नाम

1- मोहाफिज अंसारी	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	पलामू
2- राहुल कुमार	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		
3- विनोद कुमार	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		
4- राजू कुमार	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		
5- पंकज कुमार	वनरक्षी	छतरपुर पश्चिमी वन प्रक्षेत्र		
6- सरसिज उराँव,	प्र० वनपाल	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		
7- लक्ष्मीकान्त पाण्डेय,	वनरक्षी	छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र		

तथ्यों की पूरी रिपोर्ट पन्ने की दूसरी ओर है:-

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट
(यह घटना के दूसरे दिन तक ही तैयार कर ली जाए।)

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

द्वारा:-

उचित माध्यम।

विषय :- कम्प्लेन वाद संख्या-898/2025 का जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि कम्प्लेन वाद संख्या-898/2025 का अपराध प्रतिवेदन संख्या 2158 दिनांक 18.02.2025 श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, वनरक्षी, बरडीहा एवं हुटुकदाग उप वन परिसर, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र द्वारा समर्पित किया गया है। जिसकी मूल प्रति माननीय न्यायालय को इस कार्यालय के पत्रांक 24 दिनांक-18.02.2025 के द्वारा समर्पित किया गया है तथा इसकी प्रतिलिपि श्रीमान् को उचित माध्यम द्वारा समर्पित किया गया है। उक्त दायर वाद में 1-महादेवा स्टोन चिप्स, प्रो० बसंत कुमार गुप्ता, पिता-श्री ललन प्रसाद गुप्ता, ग्राम- केरकी खुर्द, थाना-छतरपुर, पलामू, 2-माँ स्टोन क्रशर, प्रो०-कृष्णा प्रसाद साहू, पिता-श्री भगवान साहू, ग्राम-चराई, थाना-छतरपुर, पलामू, 3-मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स, प्रो०-पप्पु कुमार, पिता-कपिलदेव सिंह, ग्राम-मसिहानी, थाना-छतरपुर, पलामू, 4-सर्व श्री जय माँ लिलोरी स्टोन क्रशर, पार्टनर ओम प्रकाश जायसवाल, पिता-स्व० राम सुन्दर जायसवाल, ग्राम- जम्होर, पो०- जम्होर, थाना- औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद एवं 5-मेसर्स गुप्ता स्टोन चिप्स, प्रो०-मायानन्द प्रसाद, पिता- श्री रामजी साव, ग्राम-जौरा, थाना-छतरपुर, पलामू के क्रशरों पर लगभग (100-100 सी०एफ०टी०) कुल 500 सी०एफ०टी० पत्थर, जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन, 1990) की धारा-33, 41 एवं 42 के उल्लंघन के आरोप तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन, 1990) की धारा 52 के तहत जप्त किया गया। जप्त पत्थरों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रक्षेत्र कार्यालय प्रांगण, छतरपुर में लाकर रखा गया है।

इस संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 15.02.2025 को बचकोमा पी०एफ० में अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर वनकर्मियों के साथ गश्ती करते हुए अवैध खनन की रोकथाम हेतु जा रहे थे। इसी बीच असमाजिक तत्वों द्वारा वनकर्मियों को घेरकर पथराव किया गया। वनकर्मियों द्वारा थाना प्रभारी को सूचित किया गया, परन्तु पुलिस बल नहीं पहुँच पाए तथा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भी दी गयी।

सरकारी कर्मियों पर जानलेवा हमला करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के कारण लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, वनरक्षी द्वारा छतरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जिसका छतरपुर थाना काण्ड संख्या-26/2025 दिनांक 17.02.2025 है (छाया प्रति संलग्न)।

दिनांक 17.02.2025 को हुटुकदाग एवं चराई पी०एफ० का निरीक्षण श्री नवनीत बी०आर०, भा०व०से०, परीक्ष्यमान पदाधिकारी, प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कुमार टोप्पो, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन वनरोपण प्रक्षेत्र एवं अन्य कर्मियों के साथ उक्त पी०एफ० का निरीक्षण किया गया था तथा अवैध खनन किया हुआ पाया गया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर पत्थर का उत्खनन उल्टे पृष्ठ लिखे अभियुक्तों के द्वारा करवाकर उनके निजी क्रशर में लाकर चिप्स बनाकर बेचा जाता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर अनुमण्डल द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी अंचल पदाधिकारी, छतरपुर एवं पुलिस बल के साथ दिनांक 18.02.2025 को भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन, 1990) की धारा 52 (D) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में श्री नवनीत बी०आर०, भा.व.से., परीक्ष्यमान पदाधिकारी, प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कुमार टोप्पो, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन वनरोपण क्षेत्र, श्री उमेश कुमार दूबे, वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन वन प्रक्षेत्र एवं अन्य वन कर्मियों के साथ बरडीहा एवं चराई स्थित क्रशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पता चला कि अभियुक्तों के द्वारा जंगल से पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन एवं परिवहन कर क्रशर पर लाकर चिप्स बनाकर बेचा जाता है।

जांच के दौरान 1—महादेवा स्टोन चिप्स, प्रो० बसंत कुमार गुप्ता के क्रशर से जंगल से उत्खनित लगभग 100 सी०एफ०टी० पत्थर, 2— माँ स्टोन क्रशर, प्रो०— कृष्णा प्रसाद साहू के क्रशर से जंगल से उत्खनित लगभग 100 सी०एफ०टी० पत्थर, 3—मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स के क्रशर से जंगल से उत्खनित लगभग 100 सी०एफ०टी० पत्थर, 4—सर्व श्री जय माँ लिलोरी स्टोन क्रशर से जंगल से उत्खनित लगभग 100 सी०एफ०टी० पत्थर, एवं 5—मेसर्स गुप्ता स्टोन चिप्स, से जंगल से उत्खनित लगभग 100 सी०एफ०टी० पत्थर, कुल 500 सी०एफ०टी० जिसमें कुछ बिना टूटा हुआ गोलकार पत्थर था, जो कि Mines के Blasting के बाद बिना टूटा हुआ पाया जाना संभव नहीं है। जप्त पत्थर को वन क्षेत्र कार्यालय प्रांगण, छतरपुर में लाया गया।

अंचल अधिकारी, छतरपुर जो अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर को संबंधित अभियुक्तों के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त पत्र की प्रति वन विभाग को भी प्रेषित की गयी है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। उक्त प्रतिवेदन में सूचित किया गया है कि किसी भी क्रशर संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आस-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैर मजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र का ज्ञापांक 145 दिनांक 17.04.2025 द्वारा प्राप्त जिला खनन पदाधिकारी, पलामू का पत्रांक 913 दिनांक 17.04.2025 (छाया प्रति संलग्न) प्राप्त हुआ है, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी ने 1— महादेवा स्टोन चिप्स क्रशर, प्रो—

बसंत कुमार गुप्ता 2- माँ स्टोन क्रशर, प्रो0- कृष्णा प्रसाद साहू 3- मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स, प्रो0- पप्पु कुमार 4- सर्वश्री जय माँ लिलोरी स्टोन क्रशर, पार्टनर- ओम प्रकाश जायसवाल एवं 5-मेसर्स गुप्ता स्टोन चिप्स, प्रो0-मायानन्द प्रसाद के क्रशरों का जॉच किया गया, जॉच में अनियमितता पाये जाने के कारण उक्त क्रशरों का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है।

उपरोक्त निरीक्षण से स्पष्ट से है कि उक्त क्रशर स्वामियों द्वारा वन भूमि एवं गैर मजरूआ भूमि से अवैध पत्थर का उत्खनन कर अपने क्रशर पर Crushing करते हैं।

वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर का पत्रांक 34 दिनांक 28.02.2025, पत्रांक 35 दिनांक 28.02.2025, पत्रांक 36 दिनांक 28.02.2025, पत्रांक 37 दिनांक 28.02.2025 एवं पत्रांक 38 दिनांक 28.02.2025 के द्वारा अभियुक्तों को नोटिस निर्गत किया गया।

मेसर्स गुप्ता स्टोन चिप्स, प्रो0-मायानंद प्रसाद पिता-श्री रामजी साव, ग्राम-जौरा, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया कि उनका क्रशर थाना काण्ड सं0-160/2022 दर्ज होने के चलते दो सालो से बंद है, परंतु इस संबंध में उनके द्वारा कोई प्रमाण नहीं दिया गया।

जॉच में पता चला कि अभियुक्त मायानंद प्रसाद द्वारा जंगल से पत्थर लाकर रखा जाता है तथा उसे बेचा जाता है।

मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स, प्रो0- पप्पु कुमार, पिता-कपिलदेव सिंह, ग्राम-मसिहानी, थाना-छतरपुर, पलामू उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया कि वह अपने क्रशर पर पत्थर तेलाड़ी माईस और नौडीहा माईस से लाते हैं, परंतु इस संबंध में उनके द्वारा कोई भी अभिलेख यथा स्टॉक पंजी, आयात/निर्यात पंजी नहीं दिखाया गया।

जॉच के क्रम में पाया गया कि अपराध प्रतिवेदन में अंकित सर्वश्री जय माँ लिलोरी के दो पार्टनर 1 ओमप्रकाश जायसवाल, पिता-स्व0 रामसुन्दर जायसवाल एवं दीपक कुमार, पिता-उदय शंकर प्रसाद, दोनों ग्राम+पो0-जम्होर, थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, राज्य-बिहार है।

पुनः शेष अभियुक्तों को इस कार्यालय के पत्रांक 64 दिनांक 11.03.2025, पत्रांक 65 दिनांक 11.03.2025, पत्रांक 70 दिनांक 18.03.2025, पत्रांक 71 दिनांक 18.03.2025, पत्रांक 72 दिनांक 18.03.2025, पत्रांक 107 दिनांक 25.04.2025, पत्रांक 109 दिनांक 25.04.2025, पत्रांक 119 दिनांक 02.05.2025 पत्रांक 120 दिनांक 02.05.2025 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु निर्धारित तिथियों पर कोई उपस्थित नहीं हुए।

दिनांक 16.05.2025 को संबंधित वनरक्षी, उल्टे पृष्ठ पर लिखे गवाहों, मूल मानचित्र एवं अन्य अभिलेखों तथा जप्त पत्थर के नमूना के साथ चराई पी0एफ0 एवं हुटुकदाग पी0एफ0 गया। चराई पी0एफ0 एवं हुटुकदाग पी0एफ0 में पत्थर के उत्खनित गढ़े का साक्ष्य

मिला। हुटुकदाग पी0एफ0 के उत्खनित स्थल पर पड़े पत्थर, जप्त पत्थर में एकरूपता पायी गयी। इसके अलावे उक्त क्रशर स्वामियों द्वारा चराई पी0एफ0 से भी अवैध खनन कराया गया है। वनरक्षी का कथन सत्य पाया।

घटना स्थल हुटुकदाग पी0एफ0 का मूल मानचित्र से मिलान किया तो पाया गया कि उक्त घटना हुटुकदाग पी0एफ0, थाना-छतरपुर, थाना संख्या-325, जिला-पलामू के प्लॉट संख्या-504 में है। अभियुक्तों द्वारा हुटुकदाग पी0एफ0 के प्लॉट संख्या 504 में लगभग 34 डिसमील वन भूमि खनन एवं क्षति कर लगभग 10,500 सी0एफ0टी0 पत्थर उत्खनन कर परिवहन किया गया है। उक्त प्लॉट अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि है जिसका अधिसूचना सं0-10154/52-145R दिनांक- 09.01.53 है।

घटना स्थल चराई पी0एफ0 का मूल मानचित्र से मिलान किया तो पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा चराई पी0एफ0 के प्लॉट सं0-11,19 एवं 712 में भी लगभग 26 डिसमील वन भूमि खनन एवं क्षति कर लगभग 8500 सी0एफ0टी0 पत्थर का उत्खनन कर परिवहन किया गया है, उक्त उक्त प्लॉट अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि है जिसका अधिसूचना सं0-10154/52-145R दिनांक-09.01.53 है।

घटना स्थल का मानचित्र गवाहों के समक्ष तैयार किया गया। अधिसूचित क्षेत्र के वन भूमि पर अवैध रूप से पत्थर तोड़ना एवं परिवहन करना निषिद्ध एवं संज्ञेय अपराध है, जिससे पर्यावरण को क्षति के साथ-साथ राष्ट्रीय सम्पदा का नुकसान हुआ है।

आस पास के ग्रामीणों एवं चरवाहों से पूछताछ करने पर पता चला कि अभियुक्तों द्वारा ही उक्त अधिसूचित वनों से अवैध पत्थर का उत्खनन करवा कर अपने क्रशर पर परिवहन कर ले जाया जाता है।

मेसर्स गुप्ता स्टोन चिप्स, प्रो0-मायानंद प्रसाद पिता-श्री रामजी साव, ग्राम-जौरा, थाना-छतरपुर, जिला-पलामू उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया कि उनका क्रशर थाना काण्ड सं0-160/2022 दर्ज होने के चलते दो सालो से बंद है, परंतु इस संबंध में उनके द्वारा कोई प्रमाण नहीं दिया गया। जाँच में पता चला कि अभियुक्त मायानंद प्रसाद द्वारा जंगल से पत्थर लाकर रखा जाता है तथा उसे बेचा जाता है। मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स, प्रो0- पप्पु कुमार, पिता-कपिलदेव सिंह, ग्राम- मसिहानी, थाना-छतरपुर, पलामू उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया कि वह अपने क्रशर पर पत्थर तेलाड़ी माईस और नौडीहा माईस से लाते हैं, परंतु इस संबंध में उनके द्वारा कोई भी अभिलेख यथा स्टॉक पंजी, आयात/निर्यात पंजी नहीं दिखाया गया। शेष अभियुक्तों को बार-बार नोटिश निर्गत करने के बावजूद उपस्थित नहीं होने एवं अभियुक्तों द्वारा किसी भी प्रकार के संधारित पंजी को क्रशर पर नहीं दिखाया जाना, जिला खनन पदाधिकारी, पलामू का पत्रांक 913 दिनांक 17.04.2025 द्वारा जाँच में अनियमितता पाये जाने के कारण उक्त वाद में संलिप्त क्रशरों का अनुज्ञप्ति रद्द करने से अभियुक्तों का जंगल से अवैध पत्थर का खनन कर कारोबार करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1990) की धारा 33,41 एवं 42 का उल्लंघन किया गया है, जो संज्ञेय, गैर जमानतीय एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः अनुरोध है कि इस वाद को न्याय हेतु न्यायालय में भेजने की कृपा की जाए।

अवैध खनित पत्थर का राजस्व एवं क्षतिपूर्ति निम्नवत् है:-

पत्थर का राजस्व 19000 Cft @ 1500/- प्रति 100 Cft =	285000.00
वन भूमि का क्षति 60 डी० @ 3878/- प्रति डी० =	232680.00
क्षतिपूर्ति - =	<u>855000.00</u>
कुल =	1372680.00

(तेरह लाख बहत्तर हजार छः सौ अस्सी रूपये मात्र)

संलग्न-

- 1-अग्रसारण की छाया प्रति।
- 2-अपराध प्रतिवेदन संख्या-2158
दिनांक 18.02.2025 की छाया प्रति।
- 3-जप्ती सूची।
- 4-छतरपुर थाना में दायर प्राथमिकी।
छतरपुर थाना काण्ड संख्या-26/2025 की छाया प्रति संलग्न।
- 5-नोटिस की मूल प्रति।
- 6-अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन।
- 7-वन क्षेत्र पदाधिकारी का ज्ञापांक 145 दिनांक 17.04.2025
तत्संबंधित जिला खनन पदाधिकारी, पलामू का पत्रांक 913
दिनांक 17.04.2025 की छाया प्रति।
- 8-अभियुक्त संख्या 3 पप्पु कुमार एवं
अभियुक्त संख्या 5 मायानन्द प्रसाद का ब्यान की प्रति।
- 9-घटना स्थल का ट्रेस मानचित्र। (हुटुकदाग पी०एफ० एवं चराई पी०एफ०)
- 10-अधिसूचना संख्या-10154/52-145R दिनांक 09.01.1953 की
अभिप्रमाणित प्रति।

विश्वासभाजन,
सरसिज ड्रॉव
16-05-2025

प्रभारी वनपाल,
छतरपुर वन परिसर।

अनुसूची 18 फारम सं0 21

7

सेवा में,


वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

महाशय,

दिनांक- 26/05/2025 को उक्त वाद का जाँच किया। जाँच में प्रभारी वनपाल का जाँच प्रतिवेदन सत्य पाया।

अतः अनुरोध है कि इस वन वाद को उचित न्याय हेतु न्यायालय भेजने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी


26.05.2025

वन क्षेत्र पदाधिकारी
छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

वन विभाग, झारखण्ड

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

अपराध रिपोर्ट सं० 03 P

ता० 30/05/2025

छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र (राजस्व केन्द्र।)
(रेंज।)

ज्ञाप सं० 172

ता० 30/05/2025

उप वन संरक्षक मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

को जप्ती रिपोर्ट की एक प्राते और आदेशिका जारी

करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

प्रभारी पदाधिकारी।

Range Forest Officer (राजस्व केन्द्र)

Chhatrapur East Range

(रेंज।)

ज्ञाप सं० 1587

ता० 20/06/25

श्री बन्धु भस्ती, प्रभाष, मजिस्ट्रेट, पणाम को

आदेशिका तामिल करने के लिए एक आवेदन और
निम्नलिखित दस्तावेजें भेजी जाती है :-जैसा की अनियोजित खसिबेन में
अडित को स्वीकृत किया जाता है।

प्रभारी वन - संरक्षक

प्रमण्डल

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

पता:- वन परिसर पहलवाकरी
हतरपुर वन परिसर हतरपुर

पत्रांक-24

दिनांक- 15-02-2025

श्रेव में,
मुख्य न्यायिक दफ्तरधरारी
मेरिनीनगर पलामू ।

विषय:- अ.प्र.सं.- 2158 दिनांक- 15-02-2025 की सूचना समर्पित करने
के संबंध में।

गणेश,

उपरिक्र विषय के संबंध में सादर सूचना करना है कि वनरक्षी श्री
अश्वीकान्त पांडेय का अ.प्र.सं.- 2158 दिनांक 15-02-2025 प्राप्त हुआ।
घटना का पूर्ण विवरण वनरक्षी के अपराध प्रतिवेदन में संकेत है।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1924 (बिसर वन संगोप
अधिनियम, 1989-90) की धारा 33 एवं 41, 42 के तहत दण्डनीय एवं
गैर जमानतीय अपराध किया गया है।

अतः प्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्तों के उपर सुसंगत
दण्डों के तहत कानूनी कारवाई प्रारंभ करने की कृपा करें। गाननीय
न्यायालय को ऑनचोपरान्त उद्दिष्ट है उचित माध्यम द्वारा पूर्ण विवरण
प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

अनुनायक

① अ.प्र.सं.- 2158
दिनांक - 15-02-2025

② जारी मान्य

आपका विजवाही

सरसिज उराव

प्रभारी वनपाल हतरपुर वन
परिसर हतरपुर पूर्वी प्रखंड

दिनांक- 15-02-2025

वन परिसर पहलवाकरी
हतरपुर वन परिसर हतरपुर

098/25
19-2-25

द्वारा उचित माध्यम

महाशय,

साथर सूचित करना है कि दिनांक 17.02.2025 को इंदूर कदाग एवं पराई पी.० रूफो में अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 17.02.2025 को सुबह लगभग 10 बजे उक्त ^{दोनों स्थानों} पी.० रूफो का निरीक्षण करी-करी श्री नवनीत वी० आर० मा.व.से. (परीक्ष्यमान) वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वापरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कुं टोपपो, वन क्षेत्र पदाधिकारी पाटन वनरोपण प्रक्षेत्र एवं अन्य वनकर्मियों के साथ अधोस्तराक्षरी द्वारा किया गया। उक्त निरीक्षण में दोनों पी.० रूफो में अवैध खनन किया पाया गया। स्थानीय ग्रामिणों द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर पत्थर का उत्खनन पिछले छह पर लिखे अभियुक्तों एवं क्रेशर संचालकों के संरक्षण एवं मिलीजुत से कराया जाता है।

तदपरचात दिनांक 18.02.2025 को श्री नवनीत वी० आर० मा.व.से. (परीक्ष्यमान) प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, द्वापरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र, श्री अजय कुं टोपपो, वन क्षेत्र पदाधिकारी पाटन वनरोपण प्रक्षेत्र, श्री उमेश कुं डूबे, वन क्षेत्र पदाधिकारी पाटन वन प्रक्षेत्र एवं अन्य वनकर्मियों द्वारा बरडीहा एवं पराई में स्थित पिछले छह पर लिखे क्रेशरों सभी क्रेशरों से 100-100 (एकलौ-एकसौ) CFT जंगल से उत्खनित पत्थर को जप्त कर वन क्षेत्र कार्यालय परिसर, द्वापरपुर लाया गया।

इस प्रकार पर छह पर लिखे अभियुक्तों द्वारा जंगल से पत्थर का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कराया गया जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, पाठ 42 के तहत सख्त एवं गैर-जमाननीय अपराध किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त सभी अभियुक्तों पर सूक्ष्मत धाराओं के तहत उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी
 लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (वनरक्षी)
 इंदूर कदाग एवं बरडीहा-सबकीर
 द्वापरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र
 दि० 18.02.2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- माहादेवा स्टेशन चिखर क्षेत्र प्रो. श्री बंसन कुमार गुप्ता
गोंजा - नरहीडा वामन - हतरपुर खण्ड संख्या-21 टर्नोवर संख्या-59

जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय: लगभग दोपहर 12:00 बजे
दिनांक - 15-02-2025

किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41, 42
के अन्तर्गत के कारण आ. व. अ. की धारा 52 के तहत

जप्त पदार्थ का विवरण :- 100 cft पत्थर

(क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) माहादेवा स्टेशन चिखर क्षेत्र प्रो. बंसन कुमार गुप्ता पिता - श्री लालन
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) प्रसाद गुप्ता ग्राम + पोस्ट + वामन - हतरपुर पलामू

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर

गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

- | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|
| 1 | माहादेवा अंसारी | हतरपुर पूर्व प्रसाद |
| 2 | चिखर कुमार | नरहीडा वामन |
| 3 | लक्ष्मीकांत पाण्डे | मोहादेवा अंसारी |
| 4 | गुरुदत्त कुमार | किशोर कुमार |
| 5 | पंकज कुमार | नरहीडा वामन |
| 6 | गजेंद्र राजक | कांत पाण्डे (नरहीडा) |
| | | शशक कुमार |
| | | हतरपुर पश्चिमी प्रसाद - पंकज कुमार |
| | | शशक कुमार |

जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उरांव प्र. वनपाल
हतरपुर वन परिसर
सरसिज उरांव

वेत्तिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पलामू, डालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज (उत्तरी) / वनों के
पदाधिकारी, हतरपुर पूर्व प्रसाद को जुर्म प्रतिवेदन संख्या 2158
नांक 15-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरसिज उरांव
पाल/व.क्षे.पदाधिकारी

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- एवं श्री जय में त्पिपेरी स्टोन क्रुडर पार्क, श्री ओमप्रकाश जयसवाल एवं अन्य मोंला - चराई, जामा - हनरपुर जामा संख्या-29
जामा संख्या- 05 एतौर संख्या- 673

जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय :- लगभग दोपहर 12:20 बजे
दिनांक - 15-02-2025

किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32 एवं 41, 42 के अन्तर्गत के कारण गा. व. अ. की धारा 52 के तहत

जप्त पदार्थ का विवरण :- 100 cft पत्थर

(क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके जम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) एवं श्री जय में त्पिपेरी स्टोन क्रुडर पार्क, श्री ओमप्रकाश जयसवाल एवं अन्य मोंला - चराई, जामा - हनरपुर जामा संख्या- 295
जामा संख्या- 05 एतौर संख्या- 673

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर -

गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

- ① माधुजी लाल शर्मा, मीथलीज कंटारी
 - ② विनाय कुमार
 - ③ लक्ष्मीकांत पाण्डेय
 - ④ गहन कुमार
 - ⑤ पंकज कुमार
 - ⑥ राजू राजू
- विनाय कुमार
लक्ष्मीकांत पाण्डेय (वकील)
शहज कुमार
पंकज कुमार
राजू (वकील)

जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उरोव प्रभारी व.पता
हनरपुर व. परिसर
सरसिज उरोव

नोट :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज (उत्तरी) वनों के
दाधिकारी, हनरपुर पूर्व प्रभेन को जुर्म प्रतिवेदन संख्या 2158

15-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरसिज उरोव व.पता
ल/व.क्षे.पदाधिकारी

वन विभाग, झाखण्ड सरकार
जप्ती सूची

जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- M/s Gupta Stone Chips प्रो. पी. महाजनन्द प्रसाद
मौजा - बरसीदा नामा - धनरपुर उमरा संरक्षा - 41 एनए.संख्या -
597

जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय - लगभग दोपहर 12:30 बजे
दिनांक - 18-02-2024

किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41, 42 के अन्तर्गत
के कारण 2010 में भी धारा 52 के तहत

जप्त पदार्थ का विवरण :- 100 cft पत्थर

(क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) M/s Gupta Stone Chips प्रो. पी. महाजनन्द प्रसाद
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) पता - रामजी राठ उमरा - 401 संरक्षित धनरपुर उमरा

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर

- ① मोहनजी अंसारी वनरही मोहनजी अंसारी
- ② विनोद कुमार " विनोद कुमार
- ③ लक्ष्मीकांत पाण्डेय " लक्ष्मीकांत पाण्डेय
- ④ राहुल कुमार " राहुल कुमार
- ⑤ पंकज कुमार " पंकज कुमार
- ⑥ राज रजस " राज रजस

गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर

राज रजस

जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्र. वनपाल
धनरपुर वन उमरा
सरसिज उराँव

वि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज (उत्तरी) / वनों के
धिकारी, धनरपुर पूरा प्रमण्डल को जुर्म प्रतिवेदन संख्या 2158

15-02-2025

के साथ क्रम में सचित्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सरसिज उराँव

/व.क्षे.पदाधिकारी

15-02-2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स क्रगर, प्रो० पप्पू कुमार
मौजा - चराई थाना - इतरपुर खाता सं०-०४ प्लॉट सं०- 673
2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय - दोपहर लगभग 12:50 बजे
दिनांक - 18-02-2025
3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41, 42
के उल्लंघन के कारण भा० व० अ० की धारा 52 के तहत
4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 100 CFM पत्थर

5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स प्रो० श्री पप्पू कुमार
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) पिता - श्री कृपिन्देव सिंह, ग्राम - मसिहानी, पो० - थाना - इतरपुर
पलामू

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर

6. गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर
 - ① मोहाफीज अंसारी वनरही मोहाफीज कंतारी
 - ② विनोद कुमार " विनोद कुमार
 - ③ लक्ष्मीकांत पाण्डेय " लक्ष्मीकांत पाण्डेय
 - ④ राहुल कुमार " राहुल कुमार
 - ⑤ पंकज कुमार " पंकज कुमार
 - ⑥ राजू राजकु " राजू राजकु
7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज इरॉव प्र० वनपाल
'इतरपुर वन परिसर'
सरसिज इरॉव

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज (उत्तरी) / वनों के
क्षेत्र पदाधिकारी, इतरपुर पूर्वी प्रखण्ड को जुर्म प्रतिवेदन संख्या 2158
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरसिज इरॉव
प्र० वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी

दि० - 18-02-2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- माँ स्टोन क्रवार प्रो० श्री कृष्ण प्रसाद साहू
मौजा - चराई, थाना - इतरपुर, खाना स० - 08 प्लॉट सं० - 673
2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय - दोपहर लगभग 1:00 बजे
दिनांक - 18-02-2025
3. किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 42.42
के उल्लंघन के कारण भा० व० अ० की धारा 52 के तहत
4. जप्त पदार्थ का विवरण :- 100 cft पत्थर
5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) माँ स्टोन क्रवार प्रो० श्री कृष्ण प्रसाद साहू पिता - श्री
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई) भगवान साहू ग्राम - चराई, इतरपुर पलामू

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर

- 1 मोहाफीज अंसारी वनरक्षी मौलाफीज अंसारी
 - 2 विनोद कुमार " विनोद कुमार
 - 3 लक्ष्मीकांत पाण्डेय " लक्ष्मीकांत पाण्डेय
 - 4 शशूल कुमार " शशूल कुमार
 - 5 पंकज कुमार " पंकज कुमार
 - 6 राजू राजू " राजू राजू
7. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर सरसिज उराँव प्र० वनपाल
इतरपुर वन परिसर
सरसिज उराँव

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, झालदनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झालदनगंज (उत्तरी) / वनों के
क्षेत्र पदाधिकारी, इतरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र को जुर्म प्रतिवेदन संख्या 2158
दिनांक 18-02-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरसिज उराँव
प्र० वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी

दि० - 18-02-2025

शाना प्रभारी महोदय
दतपुर शाना, पलामू

विषय:- FIR दर्ज कराने के संबंध में।

महोदय,

निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (उम्र 36 वर्ष), पिता- लालन पाण्डेय, ग्राम- महुलिया शाना पाटन, जिला- पलामू का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं दतपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र अंतर्गत डूडूकडाग सब-बीट में पदस्थापित हूँ। दिनांक 15.02.2025 को शाम लगभग साढ़े दू. बजे अपने सहयोगी वनकर्मियों के साथ नियमित गश्ती पर था। हमलोग गश्ती के दौरान जैसे ही वनकोमा-डूडूकडाग रास्ते पर पहुँचे तभी (1) सरफूदिन अंसारी पिता स्व. बिजन अंसारी उर्फ जमीर-दिन अंसारी ग्राम वनकोमा (मूलमडाग) शाना- दतपुर, पलामू के नेतृत्व में 30-35 अज्ञात हमलावरों ने हम वनरक्षियों को निशाना बना कर हमला कर दिया जिससे हमारा सरकारी वाहन G.M.01 0985 केवल मार्शल की क्षतिग्रस्त कर दिया सभी वनकर्मियों इसी वाहन में सवार थे। सभी हमलावर लाठी-डंडे, परखर एवं शेंड जैसे हथियारों से लैस थे। तत्काल इसकी सूचना हमने सहयोगी के दूरभाष के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों एवं आपकी दूरभाष के माध्यम से दिया। वहाँ से हमलोग किसी तरह बच कर निकले उनलोगों ने हमारा पिछा कुदिली मोड़ तक किया। हमलावरों की संशा हमें भारी जान-माल की क्षति पहुँचाकर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना एवं सरकारी कर्मियों में भय उत्पन्न करना था ताकि वे अपना वन अपराध खिना किसी बाधा के लगातार जारी रख सकें।

आतंकीयता से निवेदन है कि हमलावरों की पहचान कर तत्काल उन पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी
लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (36 वर्ष)
पिता- लालन पाण्डेय
ग्राम- महुलिया, शाना- पाटन
जिला- पलामू।
मौ. - 6201721479

Registered Chaturpuri PS Case no - 26/25 dt - 17/02/25
U/S - 191(2)/191(3)/190/22/132 BNS 2023 & 3 provided on
of Damage to public property Act, 1984. SI & Sub SI Ordon
will be investigate the case
P. Prasad
D. Prasad

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 34 / दिनांक 28-02-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	महादेवा स्टोन चिप्स क्रशर, प्रो०- बसंत कुमार गुप्ता	ललन पसाद गुप्ता	बरडीहा	छतरपुर	पलामू

बत्तरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 09.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिद्ध उराँव
प्र० वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 35 / दिनांक 28-02-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	माँ स्टोन क्रशर, प्र०- कृष्णा प्रसाद साहु	भगवान साहु	चराई	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 09.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराँव
वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 36 / दिनांक 28-02-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	मेसर्स वैष्णो माता स्टोन चिप्स, प्रो०- पप्पु कुमार	कपिलदेव सिंह	मसिहानी	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 09.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराँव
प्र-वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

छतरपुर वन परिसर, पत्रांक 36

श्री आप दिनांक 09.03.2025
को नोटिस के अंतर्गत
उपस्थित होकर

पप्पु कुमार

वैष्णो माता स्टोन चिप्स

09.03.2025

नोटिस

कार्यालय:— वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 37 / दिनांक 28-02-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	सर्वश्री जय माँ लिलोरी स्टोन क्रशर, पार्टनर ओमप्रकाश जायसवाल	स्व० रामसुन्दर जायसवाल	जमहोर	औरंगाबाद	औरंगाबाद

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०— 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक— 09.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराँव
प्र०वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 38 / दिनांक 28-02-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	एम एस गुप्ता स्टोन चिप्स, प्रो०- मायानंद प्रसाद गुप्ता	श्री रामजी साव	जौरा	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 09.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराँव
वन परिसर पदाधिकारी,

छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

4/1/25 2/6/5 22/1

छतरपुर वन परिसर कार्यालय

नोटिस

कार्यालय:— वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक... 64 / दिनांक 11-03-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	सर्वश्री जय माँ लिलोरी स्टोन क्रशर, पार्टनर ओमप्रकाश जायसवाल	स्व० रामसुन्दर जायसवाल	जमहोर	औरंगाबाद	औरंगाबाद

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०— 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक— 18.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज डरौव
वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रकाश
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक... 65 / दिनांक... 11-03-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	महादेवा स्टोन चिप्स क्रशर, प्रो०- बसंत कुमार गुप्ता	ललन पसाद गुप्ता	बरडीहा	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 18.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज
प्र-वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रकारी
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक...70...../दिनांक...18-03-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	महादेवा स्टोन चिप्स क्रशर, प्रो०- बसंत कुमार गुप्ता	ललन पसाद गुप्ता	बरडीहा	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 24.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

अरविन्द झा
वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 71 / दिनांक 18-03-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	माँ स्टोन क्रशर, प्र०- कृष्ण प्रसाद साहु	भगवान साहु	चराई	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 24.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज डराव
प्र० वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रसादी
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 72 / दिनांक 18-03-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	सर्वश्री जय माँ लिलोरी स्टोन क्रशर, पार्टनर ओमप्रकाश जायसवाल	स्व० रामसुन्दर जायसवाल	जमहोर	औरंगाबाद	औरंगाबाद

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 24.03.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरस्विती डेवाँ
 वन परिसर पदाधिकारी,
 छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।
 प्रभारी
 वन परिसर पदाधिकारी
 छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस¹²³

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक...107...../दिनांक...25-04-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	महादेवा स्टोन चिप्स क्रशर, प्रो०- बसंत कुमार गुप्ता	ललन पसाद गुप्ता	केरकी खुर्द, पो०- चराई	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 02.05.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराँव

वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस ¹²⁴

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक...109...../दिनांक...25-04-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	सर्वश्री जय माँ लिलोरी स्टोन क्रशर, पार्टनर दीपक कुमार	श्री उदय शंकर प्रसाद	जम्होर, पो०- जम्होर	औरंगाबाद	औरंगाबाद

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 02.05.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज राव
वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रभारी
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 119 / दिनांक 02-05-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	महादेवा स्टोन चिप्स क्रशर, प्रो०- बसंत कुमार गुप्ता	ललन पसाद गुप्ता	केरकी खुर्द, पो०- चराई	छतरपुर	पलामू

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 07.05.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायलय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराव
वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।

प्रभारी
वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

नोटिस ¹²⁶

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, छतरपुर वन परिसर ।

पत्रांक 120 / दिनांक 02-05-2025

क्र० सं०	आरोपी का नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
			गांव	थाना	जिला
1	सर्वश्री जय माँ लिलोरी स्टोन क्रशर, पार्टनर दिपक कुमार	श्री उदय शंकर प्रसाद	जमहोर	औरंगाबाद	औरंगाबाद

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि हुटुकदाग पी० एफ० एवं चराई पी० एफ० में अवैध उत्खनन एवं परिवहन आपके द्वारा किया गया है जिसके विरुद्ध न्यायालय में वन वाद सं०- 898/2025 दर्ज है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 07.05.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में वन परिसर कार्यालय में उपस्थित होकर इस वन वाद में पक्ष रखें अन्यथा एकतरफा अभियोजन न्यायालय को भेज दिया जाएगा।

सरसिज उराव

वन परिसर पदाधिकारी,
छतरपुर वन परिसर, छतरपुर ।
प्रभारी

वन परिसर पदाधिकारी
छतरपुर वन परिसर छतरपुर

127



कार्यालय :- अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।

E-mail- coehhattarpur@gmail.com

पत्रांक दिनांक

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

विषय :- क्रशर प्लांट का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में;

प्रसंग :- भवदीय झापांक 200 / दिनांक 17.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि भवदीय निर्देशानुसार छत्तरपुर अंचल अंतर्गत संचालित कुल 12 क्रशर प्लांट का वन क्षेत्र पदाधिकारी, छत्तरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र एवं सशस्त्र बलों के साथ दिनांक 18.02.2025 दिन मंगलवार को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:30 बजे अपराह्न तक बरडीहा, कैंसकी खुर्द, मुरुमदाग, बचकोमा इत्यादि जगहों पर अवस्थित क्रशर प्लांट का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसका संशोधित जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अप्रैतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक :- कुल 12 पन्नों में 12 क्रशरों
का जाँच प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

झापांक 273 दिनांक 10.03.2025

प्रतिलिपि:-

वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, छत्तरपुर को सूचनाथ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।

10/03/25

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

महादेव स्टोन चिप्स क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
महादेव स्टोन चिप्स क्रशर	मौजा-बरडीहा, खाता सं०-21, प्लॉट सं०-597	0.48 एकड़	31.03.2025

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-

1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मी मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-18685181/2024/519, Dated 26.03.2024 बैधता की तिथि 31.03.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजराआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अमीन
तरपुर।


राजेश्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

M/S माँ स्टोन क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
M/S माँ स्टोन क्रशर	मौजा-चराई, खाता सं०-08, प्लॉट सं०-673	1.00 एकड़	30.06.2025

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औद्योगिक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मि मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-14754026/2023/68, Dated 09.01.2023 बैधता की तिथि 30.06.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाइन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाइट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि 'क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी
छत्तरपुर, पलामू।

M/S माँ स्टोन क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
M/S माँ स्टोन क्रशर	मौजा-चराई, खाता सं०-08, प्लॉट सं०-673	1.00 एकड़	30.06.2025

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मी मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-14754026/2023/68, Dated 09.01.2023 बैधता की तिथि 30.06.2025 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाइट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

M/S वैष्णों माता स्टोन चिप्स क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
M/S वैष्णों माता स्टोन चिप्स क्रशर	मौजा-चराई, खाता सं०-08, प्लॉट सं०-673	0.50 एकड़	30.06.2026


भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्पीकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं पौधा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मी मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सीटीओ की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-16017436/2023/891, Dated 21.05.2023 बैधता की तिथि 30.06.2026 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाइट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-वास के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरूआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजस्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू!

132

10.

जय माँ लिलोरी स्टोन चिप्स क्रशर का जाँच प्रतिवेदन।

क्रशर प्लांट का नाम	स्थल का विवरणी	आवेदित क्षेत्रफल	CTO की अवधि
जय माँ लिलोरी स्टोन चिप्स क्रशर (वर्तमान संचालक - ओमप्रकाश जयसवाल एवं दीपक कुमार जयसवाल)	मौजा-चराई, खाता सं०-08, प्लॉट सं०-673	1.00 एकड़	31.03.2026

भौतिक निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :-


1. क्रशर प्लांट की चहारदीवारी नहीं की गई है।
2. क्रशर प्लांट पर धूल से नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रींकलर की व्यवस्था नहीं है।
3. क्रशर प्लांट पर पर्यावरण नियंत्रण हेतु हरियाली एवं घोंघा रोपण नहीं किया गया है।
4. औचक निरीक्षण के समय क्रशर संचालक/कर्मि मौजूद नहीं थे। बाद में क्रशर संचालक द्वारा सी०टी०ओ० की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसका Ref. No.- JSPCB/HO/RNC/CTO-16018236/2023/960, Dated 29.05.2023 बैधता की तिथि 31.03.2026 दर्ज है, परन्तु स्टॉक्स से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. क्रशर संचालक से अमीन द्वारा आवेदित क्रशर का मूल नक्शा की मांग की गई। अमीन द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल नक्शा अद्यतन तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. संचालक द्वारा स्टॉक एवं डिस्पैच रजिस्टर या ऑनलाईन रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया है।
7. क्रशर स्थल पर मौजूद पत्थर प्रथम दृष्टया ग्रेनाईट किस्म के काले पत्थर प्रतीत होते हैं।

स्थानीय लोगों से यह सूचना प्राप्त है कि क्रशर संचालक के द्वारा आप-पांस के जंगल क्षेत्र एवं गैरमजरुआ क्षेत्र की भूमि से पत्थर खनन करवा कर ट्रैक्टर द्वारा अवैध पत्थर लाया जाता है। संचालक द्वारा स्टॉक्स से संबंधित दस्तावेज नहीं देने से उपरोक्त आरोप की पुष्टि होती है।


अंचल अमीन
छत्तरपुर।


राजेश्व उपनिरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल निरीक्षक
छत्तरपुर


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।



133

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

जिला खनन कार्यालय, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक 913 / एम०,
दिनांक 17-04-25

18/10
17/4/25
प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

विषय :- दिनांक 05.03.2025 को जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद तथा जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त, पलामू की अध्यक्षता में परिसदन, पलामू के सभा कक्ष में आयोजित अन्तरराज्यीय जिला समन्वयक (Interstate District Co-ordination) से संबंधित बैठक के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय ज्ञापांक 921, दिनांक 07.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि पलामू जिलान्तर्गत स्वीकृत पत्थर खनन पट्टों एवं भंडारण अनुज्ञप्ति के जांच के क्रम में अनियमितता पाये जाने पर रद्द किये गये खनन पट्टों एवं भंडारण अनुज्ञप्ति की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय को अवलोकनार्थ भेजी जा रही है।
अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/4/25
जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर।

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 1041 / दिनांक 17/4/25

प्रतिलिपि वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/04/2025
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।


17/4/25

133A

कार्यालय:— वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

ज्ञापांक 145 / दिनांक 17/04/2025 /

प्रतिलिपि:— प्रभारी वनपाल, छतरपुर वन परिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


17.04.2025
वन क्षेत्र पदाधिकारी,
छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

कार्यालय, जिला खनन पदाधिकारी, पलामू, मेदिनीनगर।

e-mail :- dno-palamau@gjharkhandmail.gov.in

पलामू जिलान्तर्गत लघु खनिज के रदद अनुज्ञप्तिधारियों (डीलर लाईसेंस) की सूची।

अनुज्ञप्तिधारियों का नाम एवं पता	क्षेत्र का विवरण	लाईसेंस संख्या	लाईसेंस रदद का पत्रांक/दिनांक	ख
सर्वश्री बालाजी ट्रेडिंग, प्रो० श्री प्रदीप केजरीवाल, कृष्ण मुहल्ला, डालटनगंज, पलामू।	मौजा नावाडीह, थाना चैनपुर थाना संख्या 10, खाता संख्या 120,17 प्लॉट संख्या 297, 314, 318 एवं 359 रकबा 3.54 एकड़	J041106230	162,28.01.25	प
2 M/s PAWAN KUMAR, Prop- श्री सपेन्द्र प्रसाद, पिता श्री सुर्यदेव साव, ग्राम करसी, थाना चैनपुर, पलामू	मौजा करसी, थाना चैनपुर खाता संख्या 58, प्लॉट संख्या 1733(P) रकबा 00.37½ डी०	J041118013	161,28.01.25	प
3 सर्वश्री जय माता दी स्टोन एण्ड चिप्स, पार्ट० श्री दया नन्द प्रसाद वल्द स्व० यमुना साव, 2 श्री रंजीत कुमार वल्द श्री शिवचन्द प्रसाद, नावाडीह, रामगढ़, चैनपुर, पलामू	मौजा नावाडीह, थाना रामगढ़, चैनपुर, खाता संख्या 82, प्लॉट संख्या 549, रकबा 1.00 एकड़।	J041114406	163,28.01.25	प
4 मेसर्स जय माता स्टोन क्रसर, प्रो० श्री राम प्रवेश प्रसाद, पिता श्री राजेश्वर साव, ग्राम बरडीहा, पोस्ट चराई, छतरपुर, पलामू।	मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर, खाता संख्या 14, प्लॉट संख्या 596, रकबा 00.54 एकड़	J041110354	398,04.03.25	प
5 मेसर्स जय माँ सतवण्डी स्टोन क्रसर, प्रो० श्री बोरबल यादव, पिता श्री बालकेश्वर यादव, बसडीहा, छतरपुर, पलामू।	मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर, खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 597, रकबा 00.50 एकड़	J041111317	451,07.03.25	प
6 सर्वश्री जय माँ विधासनी स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री राकेश कु० सिंह, वल्द श्री अवध बिहारी सिंह ग्राम+पो०+थाना छतरपुर, पलामू।	मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर थाना सं० 294, खाता सं० 25, प्लॉट संख्या 600(अंश), रकबा 00.48 एकड़	J041114287	397,04.03.25	प
7 M/S Gupta Stone chips प्रो० श्री मायानन्द प्रसाद, पिता श्री रामजी साव, ग्राम जौरा, मंझौली, छतरपुर, पलामू।	मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर, खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 597, रकबा 00.40 एकड़	J041115644	396,04.03.25	प
8 सर्वश्री जय माँ लिलोरी स्टोन क्रसर, पार्ट० श्री ओम प्रकाश जयसवाल, वल्द स्व० राम सुन्दर जयसवाल एवं श्री दीपक कुमार, वल्द श्री उत्तय शंकर प्रसाद, ग्राम+पो० जम्होर, औरंगाबाद, बिहार।	मौजा चराई, थाना छतरपुर थाना सं० 298, खाता संख्या 08, प्लॉट संख्या 673, रकबा 1.00 एकड़	J041115058	447,07.03.25	प
9 मेसर्स वैष्णव माता स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री पप्पू कुमार, श्री कपिलदेव सिंह, ग्राम मसिहानी, पोस्ट एवं थाना छतरपुर, पलामू।	मौजा चराई, थाना छतरपुर खाता संख्या 08, प्लॉट संख्या 673, रकबा 00.50 एकड़	J041115277	448,07.03.25	प
10 महादेवा स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री बसंत कुमार गुप्ता, पिता श्री ललन प्रसाद गुप्ता, ग्राम पोस्ट एवं थाना छतरपुर, पलामू	मौजा बरडीहा, थाना छतरपुर खाता संख्या 21, प्लॉट संख्या 597, रकबा 00.48 एकड़	J041121027	450,07.03.25	प
11 माँ स्टोन क्रसर, प्रो० श्री कृष्ण प्रसाद साहु, पिता श्री भगवान साहु, ग्राम चराई, छतरपुर, पलामू।	मौजा चराई, थाना छतरपुर, खाता संख्या 08, प्लॉट संख्या 673, रकबा 1.00 एकड़	J041123679	449,07.03.25	प
12 मेसर्स बाबा भोले स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री प्रतीक कुमार, पिता श्री प्रमोद कुमार, देवी मंदिर शाहपुर, चैनपुर, पलामू	मौजा खुरा खुर्द, थाना चैनपुर, थाना संख्या 94, खाता संख्या 30, प्लॉट संख्या 192/3, रकबा 00.20 एकड़	J041114620	638,26.03.25	प
13 श्री सुधीर भाई, वल्द श्री अभिमन्यु तिवारी मुहल्ला जेलहाता, पोस्ट मेदिनीनगर, पलामू।	मौजा खुरा खुर्द, थाना चैनपुर, थाना सं० 94, खाता संख्या 16 एवं 24, प्लॉट संख्या 194 एवं 195 रकबा 00.43 एकड़	37/14-15	640,26.03.25	प
14 मेसर्स आयुष स्टोन चिप्स, प्रो० श्री सतीश कुमार, वल्द स्व० राम स्वरूप राम, नई मुहल्ला, डालटनगंज, पलामू।	मौजा खुरा खुर्द, थाना चैनपुर, थाना संख्या 94, खाता संख्या 15, प्लॉट संख्या 178, रकबा 00.37½ एकड़।	J041114215	639,26.03.25	प
15 मेसर्स सिंह स्टोन क्रसर, प्रो० श्री राजन कुमार, पिता स्व० बृजमोहन प्रसाद, ग्राम लादी, पोस्ट एवं थाना चैनपुर, पलामू	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, खाता संख्या 185, प्लॉट संख्या 1786, रकबा 00.37 एकड़	J041123024	650,26.03.25	प
16 सर्वश्री न्यू सत्यम प्रो० श्री राजीव रंजन, वल्द स्व० हरिनन्दन सिंह, मुहल्ला आबादगंज, डालटनगंज, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना संख्या 97, खाता संख्या 185, प्लॉट संख्या 1792, रकबा 1.78 एकड़।	J041115489	649,26.03.25	प
17 बारुणी स्टोन चिप्स, प्रो० श्री सुमिल प्रसाद गुप्ता, पिता श्री राजेश्वर गुप्ता, ग्राम सलतुआ, चैनपुर, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना संख्या 97, खाता संख्या 80, प्लॉट संख्या 1740, रकबा 00.50 एकड़।	J041114095	648,26.03.25	प
18 मेसर्स माँ वैष्णवी स्टोन चिप्स क्रसर, प्रो० श्री पिन्दू प्रसाद, पिता श्री संतोष कुमार गुप्ता, ग्राम सलतुआ, चैनपुर, पलामू	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना संख्या 97, खाता संख्या 185, प्लॉट संख्या 1792, रकबा 00.76 एकड़।	J041114105	647,26.03.25	प
19 मेसर्स भवानी स्टोन क्रसर, प्रो० श्री उदय प्रताप सिंह, पिता स्व० बृज मोहन सिंह, ग्राम लादीगंज, थाना चैनपुर, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना संख्या 97, खाता संख्या 185 एवं 18 प्लॉट संख्या 1786 एवं 1792, रकबा 00.37½ एकड़	J041113539	645,26.03.25	प
20 मेसर्स संतोष कुमार स्टोन चिप्स, प्रो० श्री संतोष कुमार, पिता श्री तुलसी प्रसाद, ग्राम सलतुआ, चैनपुर, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना संख्या 97, खाता संख्या 18, प्लॉट संख्या 1786, रकबा 00.80 एकड़।	J041113146	644,26.03.25	प
21 सर्वश्री माँ इन्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राघवेंद्र नारायण सिंह, वल्द श्री श्यामा प्रसाद सिंह, हनीदगंज, 2 श्री अखिलेश प्रसाद वल्द श्री इन्द्रदेव प्रसाद, जेलहाता, डालटनगंज, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, थाना सं० 97, खाता संख्या 185 एवं 218 प्लॉट सं० 1786 एवं 1792, रकबा 00.37½ एकड़।	J041110898	643,26.03.25	प
22 मेसर्स महादेव स्टोन क्रसर, प्रो० श्री दिलीप प्रसाद, पिता श्री अयोध्या साव, ग्राम एवं पोस्ट सलतुआ, चैनपुर, पलामू।	मौजा सलतुआ, थाना चैनपुर, खाता संख्या 18 एवं 185, प्लॉट संख्या 1786 एवं 1792, रकबा 00.37½ एकड़	J041113796	642,26.03.25	प
23 जय माँ काली इन्टरप्राइजेज प्रो० श्री अनिल कुमार सिंह, पिता स्व० राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम लादी, पोस्ट एवं थाना चैनपुर, पलामू	मौजा सलतुआ थाना चैनपुर, खाता संख्या 185 प्लॉट संख्या 1786 रकबा 10 कट्टा	J041109907	641,26.03.25	प

पलामू जिलान्तर्गत लघु खनिज के रदद खनन पट्टा की सूची।

खनन पट्टाधारियों का नाम एवं पता	क्षेत्र का विवरण	अवधि	खनन पट्टा रदद का पत्रांक/दिनांक	अभियुक्ति
1 माँ विन्धवासिनी कन्सट्रक्सन, पार्ट० श्री शिव कुमार सिंह, वल्द श्री कृष्णा सिंह, 2). श्री राजेश कुमार सिंह, वल्द श्री शेषनाथ सिंह, दोनों का ग्राम बन्दुआ, पोस्ट शाहपुर, थाना चैनपुर, पलामू।	मौजा बन्दुआ, थाना चैनपुर थाना संख्या 109, खाता संख्या 63 एवं 145, प्लॉट संख्या 1041, 1042, 1065, 1023 एवं 1038, रकबा 2.31 एकड़, पत्थर	09.11.17 से 10 वर्ष	2292, 22.10.24	-
2 मेसर्स जय माँ शेरवाली स्टोन चिप्स, पार्ट० श्री गणेश यादव, वल्द श्री रामदेव यादव, ग्राम चिरु टोला, मुनकेरी, छत्तरपुर, पलामू एवं अन्य।	मौजा रसीदा, थाना नौडीहा बाजार (छत्तरपुर), थाना संख्या 367 खाता संख्या 23, प्लॉट संख्या 413, 415 एवं 416 (अंश), रकबा 8.00 एकड़ पत्थर	06.11.17 से 10 वर्ष	2293, 22.10.24	माननीय खान आयु के न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण वाद संख 37/2024 में पारि न्यायादेश दिनांक 24.01.2025 पत्रांक 512, दिनांक 20.02.2025 के अनुपालन में उपायुक्त महोदय द्वारा सुनवाई कर परिष्कार आदेश वापस किया गया
3) श्री मुकेश कुमार सिंह, वल्द श्री अवध बिहारी सिंह, ग्राम नौडीहा, थाना छत्तरपुर, पलामू।	मौजा बसडीहा, थाना छत्तरपुर, खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या 139, रकबा 2.35 एकड़ पत्थर	25.06.15 से 10 वर्ष	781, 28.03.25	-

कार्यालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू, मेदिनीनगर।

पत्रांक 781 / एम०, दिनांक 28.03.25।

प्रेषित,

श्री मुकेश कुमार सिंह, वल्द श्री अवध बिहारी सिंह,
ग्राम नौडीहा, थाना छत्तरपुर, पलामू।

विषय:-

पलामू जिलान्तर्गत मौजा बसडीहा, थाना छत्तरपुर, थाना संख्या 280, खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या 139, रकबा 2.35 एकड़ क्षेत्र पर धारित पत्थर लघु खनिज के खनन पट्टा को शेष अवधि के लिए परिसमाप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :-

जिला खनन कार्यालय, पलामू का पत्रांक 43, दिनांक 07.01.2025

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि पलामू जिला के मौजा बसडीहा, थाना छत्तरपुर, थाना संख्या 280, खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या 139, रकबा 2.35 एकड़ क्षेत्र में दिनांक 25.06.2015 से 24.06.2025 तक के लिए पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे का निरीक्षण जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा दिनांक 04.01.2025 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में उक्त स्थल पर निम्न अनियमितताएँ पायी गयी थी :-

1. पट्टा क्षेत्र में पक्का सीमा स्तम्भ नहीं लगाया गया है।
2. स्थल पर उत्पादन एवं प्रेषण पंजी नहीं पाया गया है।
3. स्थल पर पत्थर का भंडार शुन्य पाया गया।
4. स्थल से काफी कम मात्रा में पत्थर खनिज का उत्खनन किया गया है।
5. पौधा रोपण नहीं पाया गया।
6. स्थल पर खनन कार्य खनन योजना के अनुरूप नहीं किया गया है।
7. उत्खनित ओभरबर्डन का स्टॉक खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर किया गया है।
8. पट्टा स्थल के समीप घर, स्कूल, नदी आदि अवस्थित है। तथा खान को मजबूत एवं आधार प्रदान नहीं किया गया है जिससे समीप के बच्चे खदान में डुबने/गिरने की प्रबल संभावना है।

उपरोक्त अनियमितता के बावत जिला खनन पदाधिकारी, पलामू द्वारा आपको प्रसांगिक पत्रांक 43, दिनांक 07.01.2025 के माध्यम से 30 दिनों का वैधानिक नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण दाखिल करने हेतु निदेश दिया गया था। दो माह के अवधि व्यतित हो जाने के बाद भी आपके द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर/पक्ष दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आपको नियम संगत तरीके से खनन पट्टा के संचालन में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम-27(2) के तहत आपके पक्ष में स्वीकृत पत्थर खनन पट्टा को शेष अवधि के लिए परिसमाप्त किया जाता है।

आपको निदेश दिया जाता है कि पट्टा क्षेत्र में लगाये गये सभी मशीनरी, संयंत्र, भवन अथवा अन्य कार्यों सुविधाओं को जिन्हें आपके द्वारा स्थापित किया गया है, बनाया गया है अथवा उक्त भूमि पर खड़ा किया गया है उसे सात दिनों के अंदर अविलंब हटाना सुनिश्चित करें, तथा जिला खनन कार्यालय, पलामू को क्षेत्र का क्षेत्राधिकार सौंप दें।

इसे अतिआवश्यक समझें।

जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर

ज्ञापांक 781 / एम०, दिनांक 28.03.25।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, छत्तरपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थल पर भविष्य में अवैध खनन न हो यह सुनिश्चित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी,
पलामू, मेदिनीनगर

उपायुक्त
पलामू

उपायुक्त
पलामू

आशिमर - वन परिसर पर्यावरण संरक्षण वन परिसर

शिका - श्री वंशुजी मारा हरीन चौ (1) वृद्ध पं. पल्लु वृद्ध
शिका - श्री सुनीलदास शिंदे वृद्ध - महीशम शाना. वृद्ध
शिका - पं. मारा

पुणे - महाराष्ट्र वन परिसर 36 शिका. 28.2.2025 व
संरक्षण

महाराष्ट्र

शिवेदन पुर्वेक वनादेश/श्री श्री श्री वन शिका
से परम वही माया वृद्ध अथ श्री अथ वृद्ध पं
वंध मारीक से ~~वंध~~ वंध से, अथ वंध
मारीक से परम अथ उथ वंध सीना हरीन
शिका) से माया वन शिका श्री श्री अथ उथ
वही शिका वृद्ध

अथ: श्री शान व शिवेदन वृद्ध श्री वृद्ध वन
शिका 898/25 व शिका शिका वृद्ध

शिका

श्री शान व शिवेदन
वंशुजी मारा हरीन चौ (1) वृद्ध
पं. पल्लु वृद्ध
Date - 9.3.2025

दिनांक

138

दिनांक: 09-03-2025-

मायानेंड प्रदास गडा- पीर रानगी सि. प्रान- 2004 बागा दलपु-
जीमा- पलासू- के निवासी कुं में मास गुदा- एरोन का प्रोप्राइटर
मेरे उपर न्यायलय में 898/2025 जंगल से पलासू गोक- अमल
अवेध- परीण- कर्ण का वनवास दाय- किया गया है
उपरोक्त सम्वध में मुझे कना- है कि मेरा कुशल शक्ति से (दीवक)
से बन्- है जल- पर न्यायलय प्रमथगं- में मामला- चल
रहा- है जीमरी- case No- दारपुल बागा- में 160/22 मामला दल
है जो कि अर- कुशल अभी संचालन- के स्थिति- में नही- है
और- वर्तमान- समय में सुन्द- पडा- है
जो मामला- वनवास 898/2025- दाय- किया गया- का निराधार
है

अमल

गुदा- एरोन जीमा-
92561-


मायानेंड प्रदास गडा-
9110986144

दिनांक- 09-03-2025-

139

सम्राट्टर नाम - चवहार, था.नं. - १
 थाणा - हतरपुर ताम्बर - २६८
 जिला - पलामू
 पैमाणा कक्षाब १६" = १ भील
 वर्ष १९१५ - १६ ई०

आधिसूचना नं. - 10154/52-145 R
 दिनांक - ०९.०१.१९५३
 आधिकारिक वनभूमि - ११,१६ स्क्वैर फीट
 चवगा स्थल - XXX
 वन सीमा - 



सरसिंज शर्मा

प्रमोदी
 वन परिसर कर्ताधिकारी
 छत्तारपुर वन परिसर छत्तारपुर

मशहूर नाम - कुटुकदाग


शाना - छतरपुर नं. 325

जिला - पलामू, वर्ष 1915-16

पैमाना - 16 इंच = 1 मील

घटना स्थल - XX
XX

वन सीमा -



The 9th January 1953.

... 10154/52-145-B—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act XVI of 1927), the Governor of Bihar is pleased to declare the forest-lands and waste-lands specified in the Schedule hereto annexed and situated in the district of Palamou.

The forest-lands and waste-lands comprised in this notification shall be called a "protected forest".

The nature and extent of the rights of Government and of private persons in or over the forest-lands and waste-lands comprised in this notification have not yet been enquired into and recorded as laid down in sub-section (3) of section 29 of the said Act, but as the State Government thinks that such enquiry and record will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of Government and as the enquiry and record-of-rights will hereafter be made, this notification is issued subject to all existing rights of individuals or communities.

SCHEDULE.

Serial no.	Name of owner.	Village.	Thana.	Thana no.	District.	Area.	Plot no.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Acres.	
1	State of Bihar.	Khandhra Khurd.	Harihar-ganj.	228	Palamau	527 38	977, 979, 1, 2, 3, 8, 25, 27, 28, 29, 31, 41, 44, 51, 55, 61, 66, 69, 71, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 97, 98, 99, 112, 117, 123, 130, 137, 139, 140, 147, 149, 161, 158, 164, 180, 221, 217, 235, 230, 305, 319, 352, 607, 700, 703, 708, 739, 734, 719, 742, 761, 765, 738, 774, 782, 790, 704, 708, 800, 805, 811, 814, 816, 818, 831, 823, 880, 854, 870, 880, 886, 923, 941, 948, 972, 975, 931, 996, 998, 1004, 1010, 1011, 1013, 1023, 1025, 1029, 1036, 1039, 1040, 1043, 1053, 1056, 1057, 1084, 1082, 1093, 1108, 1110, 1112, 1117, 1119, 1124, 1130, 1152 and 986/1163.
2	Ditto ..	Kassiana	Ohhalapur.	374	Do.	246 89	1, 2, 3, 17, 18, 20, 29 to 33, 35 37, 40, 48, 51, 52, 59, 60, 63, 65, 68 73, 77, 78, 79, 85 88, 90, 95, 100, 105, 114 115, 119, 123, 137, 141, 141 151, 154, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 175 and 95/176.

Handwritten signature and date: 21/4/53

881 पक प्रमिलित निदेशक
बिहार राज्य वन विभाग
बनियमवल सहायक वन सहायक विभाग
बिहार सरकार, नया: 881015

1218

THE BIHAR GAZETTE, MAY 13, 1953.

[PART II

Serial no.	Name of owner.	Village.	Thana.	Thana no.	District.	Area.	Plot nos.
1	2	3	4	5	6	7	8
71	State of Bihar	Tuktuka alias Kartuka.	Chhatarpur	284	Palamau..	373.83	1, 5, 10, 31, 90, 216, 268, 269, 271, 279, 284, 291, 292, 302, 306, 307, 5/318, 98, 108, 111, 213, 269 and 313.
72	Ditto ..	Belwar ..	Ditto ..	286	Do. ..	62.41	11, 20, 34, 94, 103, 110, 115, 119, 121, 135 and 144.
73	Ditto ..	Rohra	Ditto ..	287	Do. ..	168.48	13, 15, 17, 19, 23, 25, 50, 56, 58, 60, 27, 28 to 34, 39, 73, 76, 78, 81, 88, 94, 96, 58, 106, 101, 103, 105, 110, 111, 112 to 118, 117, 121, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 8, 142, 145, 147, 161, 153 and 163.
74	Ditto ..	Salais ..	Ditto ..	293	Do. ..	431.63	2, 4, 10, 11, 19, 135, 136, 141, 149, 150, 164, 166, 176, 181, 189, 197, 199, 205, 268, 273, 323, 324, 339 and 349.
75	Ditto ..	Bardiha ..	Ditto ..	294	Do. ..	170.17	1, 6, 37, 41, 44, 49, 51, 54, 55, 159, 168, 171, 172 to 174, 184, 425 to 436, 439, 508, 513, 551, 559, 566 and 505.
76	Ditto ..	Kokro ..	Ditto ..	295	Do. ..	177.90	4, 61, 80, 92, 285, 286, 288, 290, 293, 307, 415, 445, 449, 452, 459, 470, 474, 478, 488, 511, 539, 543, 548, 552, 553, 556, 557, 560 and 81/563.
77	Ditto ..	Obaral ..	Ditto ..	298	Do. ..	362.28	11, 19, 21, 23, 29, 58, 64, 111, 117, 121, 125, 449, 453, 482, 484, 563, 564, 665, 689, 687, 700, 698, 697, 708, 19/712.
78	Ditto ..	Majhauili ..	Ditto ..	301	Do. ..	52.32	15, 38, 465, 507, 512, 521, 527, 541, 545, 550, 564, 566, 573, 578, 585 and 777.

Name of panch.	Village.	Tbana.	Tbana No.	District.	Area.	Plot nos.
1	2	3	4	5	6	7
227	State of Bihar.	Khaparmanda	Patan	Palnman	196-92	1 and 2b.
228	Ditto ..	Buchi	Ditto ..	Do.	1242-16	1, 9, 14, 16, 25, 52, 61, 81, 93, 98, 107, 120, 122, 130, 132, 133, 136, 146, 156, 169, 186, 212, 289, 335, 372, 376, 383, 388, 396, 402, 460, 484, 489, 494, 503, 534, 553, 569, 567, 574, 585, 599, 575/600 and 601.
229	Ditto ..	Hulsi Khurd ..	Chhatarpur	Do.	381-39	1, 8, 30 to 34, 48, 64, 65, 92, 93, 121, 181, 183, 240, 241 and 74.
230	Ditto ..	Gajna	Ditto ..	Do.	230-60	1, 2, 3, 5, 6, 10 and 11.
231	Ditto ..	Ghansikhap ..	Ditto ..	Do.	..	98, 107, 131, 156 and 166.
232	Ditto ..	Gabor.	Ditto ..	Do.	37-90	2, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 20, 27, 23, 25, 31, 32, 39, 47, 49 to 51, 53, 55, 60, 73 and 148.
233	Ditto ..	Nawadiha ..	Ditto ..	Do.	30-68	2, 43, 45, 822, 927, 953, 913, 901, 906, 157, 160, 164, 377 and 296.
234	Ditto ..	Rajmundh ..	Ditto ..	Do.	306-78	12, 58, 66, 69, 84, 81/197 and 113, 198.
235	Ditto ..	Biwadohar ..	Ditto ..	Do.	275-80	4, 5, 54, 56, 57, 58 and 60.
236	Ditto ..	Saraidih ..	Ditto ..	Do.	96-73	314, 320, 328, 332, 337, 340, 353, 779, 1158, 1160, 1621/1622, 1164, 1436 and 1519.

By order of the Governor of Bihar,

(Handwritten signature)

Q. HODA

Secretary.

(Handwritten signature and date)
21/5/52

सहायक जिल्हा मंत्रिदफ्तार
बिलासपुर
सचिवालय, जिल्हा मंत्रिदफ्तार, बिलासपुर
Bilaspur, Bihar, India

PART II.]

THE BIHAR GAZETTE, MAY 13, 1953.

The 6th January 1953.

1211

... F-10154/52-145.R — In exercise of the powers conferred by section 29 of the Bihar Forest Act, 1927 (Act XXV of 1927), the Governor of Bihar is pleased to declare the forest-lands and waste-lands specified in the Schedule hereto annexed and situated in the District of Patna as

The forest-lands and waste-lands comprised in this notification shall be called a "protected forest".

The nature and extent of the rights of Government and of private persons in or over the forest-lands and waste-lands comprised in this notification have not yet been enquired into and recorded as laid down in sub-section (3) of section 29 of the said Act, but as the State Government thinks that such enquiry and record will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of Government and as the enquiry and record of rights will hereafter be made, this notification is issued subject to all existing rights of individuals or communities.

SCHEDULE.

Serial no.	Name of owner.	Village.	Thana.	Thana no.	District.	Area	Plot no.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	State of Bihar.	Khondhra Khurd.	Harinagarj.	228	Palamau	Acres. 527.38	977, 979, 1, 2, 3, 8, 25, 27, 28, 29, 31, 41, 44, 51, 56, 61, 66, 69, 71, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 86, 97, 98, 99, 112, 117, 123, 180, 187, 139, 140, 147, 149, 151, 158, 164, 180, 221, 217, 235, 240, 305, 318, 352, 601, 700, 713, 708, 733, 784, 719, 742, 761, 765, 738, 774, 782, 790, 714, 798, 800, 805, 811, 814, 815, 818, 811, 822, 830, 854, 870, 880, 885, 923, 911, 946, 972, 975, 931, 996, 998, 1004, 1010, 1011, 1018, 1023, 1025, 1029, 1035, 1080, 1040, 1043, 1053, 1056, 1057, 1084, 1092, 1093, 1103, 1110, 1112, 1117, 1119, 1124, 1159, 1152 and 986/1168.
2	Ditto	Karuima	Ohhatapur.	376	Do.	246.89	1, 2, 3, 17, 18, 20, 29 to 33, 35, 37, 40, 48, 51, 52, 58, 60, 63, 65, 68, 73, 77, 78, 79, 83, 85, 89, 98, 100, 105, 114, 115, 119, 128, 137, 141, 141, 151, 154, 160, 167, 160, 161, 162, 163, 176 and 95/176.

Handwritten signature and date: 21/4/53

उद्योगिक प्रोत्साहन निदेशक
 बिहार राज्य, पटना
 नवनिर्वाहक सचिव एवं प्रमुख विभागाध्यक्ष
 बिहार राज्य, पटना 800015

Serial no.	Name of owner.	Village.	Thana	Tassa no.	District.	Area.	Plot no.
1	2	3	4	5	6	7	8
162	State of Bihar.	Palwa	Ohhatarpur	308	Palamou	308.92	Acres 3, 41, 43, 76, 80, 83, 86, 91, 110, 727, 130, 132, 137, 147, 144, 1/149, 168, 162 and 166.
163	Ditto	Basantpur	Ditto	312	Do.	1018.28	1, 2, 11, 14, 133/152
164	Ditto	Laldag	Ditto	313	Do.	338.50	1, 2, 3, 24, 41, 42, 59, 74, 125, 131, 138 and 197.
165	Ditto	Chipo	Ditto	315	Do.	618.46	1, 12, 20, 97, 142, 147, 152, 154, 158 and 170.
166	Ditto	Rajderwa	Ditto	316	Do.	619.66	1, 64, 68 and 72.
167	Ditto	Hulsam	Ditto	317	Do.	1197.49	770, 1131, 1139 to 1144, 1167, 1210, 1224, 1312, 1391, 1412, 1420, 1442 to 1467, 1467, 1496, 1550, 1560, 1568, 1566, 1583, 1588, 1595, 1607 and 1648
168	Ditto	Barangan alias Kahuakhanr.	Ditto	321	Do.	1282.42	10, 30, 39, 60, 66, 69, 94, 101, 108, 109, 111, 119, 120, 124, 125, 130, 140, 142, 146, 152, 154, 172, 210 and 254.
169	Ditto	Gusdag	Ditto	322	Do.	570.26	2, 29, 81, 118 and 162.
170	Ditto	Hutukdag	Ditto	325	Do.	335.76	2, 13, 18, 19, 22, 25, 46, 50, 52, 88, 93, 181, 183, 259, 330, 498, 504, 509, 530, 542, 545, 668, 753, 775, 792, 796 to 799, 808, 853, 874, 892, 938, 968, 1001, 1003, 1029, 1034, 1045, 1053, 1054, 1072, 1078, 1079, 1088, 1105, 1122, 1125, 1126, 1155, 1157, 1160, 1164 and 1183.
171	Ditto	Itukdag	Ditto	326	Do.	122.05	1, 222, 253 and 265.
172	Ditto	Bachkoma	Ditto	327	Do.	665.38	2, 5, 9, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26 to 31, 38, 43, 44, 49, 50, 55, 58, 62, 64, 74, 88, 82, 124, 127 to 129, 204, 2 5, 223 to 228, 231, 233, 240, 248, 255, 282, 268, 401, 360, 378, 379, 481, 478, 482, 512, 524, 538, 540, 544, 646, 548, 550, 554, 565, 570, 571, 572, 581, 589, 296, 600, 605, 606, 607, 82/612, 129/617, 129/618, and 43/693.

No.	Name of owner.	Village.	Thana.	Thana no.	District.	Area.	Plot nos.
1	2	3	4	5	6	7	8
327	State of Bihar.	Khaspurnanda	Patan	339	Palamau	Acres. 196.02	1 and 25.
328	Ditto	Ditto	Ditto	340	Do	1242.16	1, 9, 14, 16, 25, 52, 61, 81, 93, 98, 107, 120, 122, 130, 132, 133, 136, 146, 156, 169, 186, 212, 289, 325, 372, 376, 383, 388, 396, 402, 460, 484, 489, 494, 503, 534, 553, 555, 567, 574, 585, 589, 575/600 and 601.
329	Ditto	Mulsi Khurd	Chhatarpur	387	Do	381.39	1, 8, 30 to 34, 48, 64, 65, 92, 93, 121, 181, 183, 240, 241 and 74.
330	Ditto	Gajna	Ditto	18	Do	230.50	1, 2, 3, 5, 6, 10 and 11.
331	Ditto	Ghansikhap	Ditto	54	Do	..	98, 107, 131, 156 and 164.
332	Ditto	Gadara	Ditto	146	Do	37.90	2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 20, 27, 23, 25, 31, 32, 39, 47, 49 to 51, 53, 55, 60, 73 and 148.
333	Ditto	Nawadiha	Ditto	281	Do	30.66	2, 43, 45, 82, 927, 953, 912, 901, 906, 157, 160, 164, 277 and 286.
334	Ditto	Rajbandh	Ditto	300	Do	306.78	22, 58, 66, 69, 84, 81/197 and 113, 195.
335	Ditto	Biwadhar	Ditto	323	Do	273.50	4, 5, 54, 56, 57, 63 and 60.
336	Ditto	Saranib	Ditto	379	Do	96.73	314, 320, 328, 332, 337, 340, 363, 779, 1158, 1180, 1621/1622, 1164, 1436 and 1512.

Handwritten signature and date
 21/1/53

By order of the Governor of Bihar,

G. HODA

Secretary.

बिहार अधिनियम क्र. 15
 1953
 बिहार अधिनियम क्र. 15
 1953

पत्रांक...../ दिनांक

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
मेदिनीनगर, पलामू।

विषय:- अपराध प्रतिवेदन संख्या- 2164 दिनांक 22.03.2025 की सूचना समर्पित करने
के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री आशुतोष कुमार तिवारी, वनरक्षी
का अपराध प्रतिवेदन संख्या- 2164 दिनांक 22.03.2025 प्राप्त हुआ।

इस संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 22.03.2025 को गश्ती के क्रम में वन
कर्मियों को गुप्त सूचना के आधार पर बसडीहा पी0एफ0 के अंदर 1-ट्रैक्टर JOHN DEERE कम्पनी,
जिसका मॉडल नंबर-5039, चेचिस नंबर-1VY5039DHLA008654, ईन्जन नंबर-
PY3029D590730, टेलर संख्या-शून्य एवं उस पर लदे पत्थर एवं 2-महेन्द्रा ट्रैक्टर, जिसका मॉडल
नंबर-B275DI, सीरियल नंबर-PYNB00177GE ईन्जन नंबर एवं चेचिस नंबर-अपठनीय, टेलर
संख्या-शून्य एवं उस पर लदे पत्थर को भारतीय वन अधिनियम,1927 (बिहार संशोधन,1990) की
धारा 52 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में जप्त किया गया।

उक्त जप्त वाहनों एवं उस पर लदे पत्थर एवं एक चालक को गिरफ्तार कर लाने
के क्रम में जप्त वाहन के स्वामियों ने 35-40 की संख्या में वन कर्मियों पर हमला कर वाहनों एवं
उस पर लदे पत्थर एवं गिरफ्तार चालक को छुड़ा कर ले जाया गया तथा वन कर्मियों के साथ
मार-पीट की गयी। उक्त मारपीट की घटना की प्राथमिकी श्री राहुल कुमार, वनरक्षी, छतरपुर पूर्वी
वन प्रक्षेत्र द्वारा छतरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जिसका थाना काण्ड
संख्या-52/2025 है।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम,1927 (बिहार संशोधन,1990) की धारा 33, 41
एवं 42 का उल्लंघन किया गया है, जो दण्डनीय एवं गैर जमानतीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त सभी अभियुक्तों पर उचित कानूनी कार्रवाई करने
की कृपा की जाय। माननीय न्यायालय को जांचोपरांत शीघ्र ही उचित माध्यम से पूर्ण विवरणी
समर्पित किया जाएगा।

अनु0-1-अपराध प्रतिवेदन संख्या 2164 दिनांक 22.03.2025।

2- जप्ती सूची।

3-प्राथमिकी की प्रति।

4-घायल वन कर्मियों का चिकित्सा पूर्जा।
की छाया प्रति।

आपका विश्वासी,

ह0/-

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
छतरपुर पूर्वी वन क्षेत्र।

20/3/2025
1247/2025

ज्ञापांक- 98 दिनांक- 23.03.2025

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

4/3/25

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
छतरपुर पूर्वी वन क्षेत्र।

3/24/3/25

संख्या 1202
दिनांक 24/3/25

149A

द्वारा - उच्चि माध्यम
माहात्म्य

सावर सुनि करा है कि दिनांक 22.03.2025 को जबर

क्रम के गुप्त सूचना के आधार पर बसडीया P.F में सड़कनीली के साथ
गंगा एवं देहा कि वस P.F के अन्दर दो ट्रेन्स के डेकार पर पत्थर
लोड किया जा रहा है, हम लोगों के देखने ही चालक एवं पत्थर
लोड करते वक़्त अशरही गाँवों में पिछा कर एक गालुब को हम लोगों
के ड्राय पन्दा गंगा एवं अन्य अशरही गाँवों में खामला रहे। पन्डे गरीब
नालक के बाग एवं पत्ता पुका पर अपना नाम संपन्न भादव पिला सोबु
भादव गंगा बसडीया चाना धरपुल बतमाना गंगा। दूसरे नालक का नाम
पिलक भादव पिला - अमेरिका भादव गंगा करवा चाना धरपुल (पिला
पत्ता नू उनके ड्राय बतमाना गंगा। पकड़ा गंगा नालक संपन्न भादव
ने बतला ही वह बसडीया जंगल में पत्थर चणन कर भुके अछि र
के भादव पर ले जाया है और पिला सुकेम सिट्टे के कहे के अनुसार

बसडीया फसल पर गिराव है इसी पुधक के दोहे देना (संज्ञा 1)
जिन JOHN DEERE कंपनी जिस नॉडल नंबर - 50399 - गैरि संज्ञा
1445039DHLA008654 (संज्ञा) नंबर - PYNB001727 नंबर PY30293
590730 देना संज्ञा सुन्ना (संज्ञा) एवं 2) बडेजा देना जिस भादव नंबर
827DE सीरिलम नंबर - PYNB001727 नंबर एवं पिल्लि नंबर
अपवकीय देना संज्ञा सुन्ना (संज्ञा) नंबर 35-40 लोगों के ड्राय
उट कर ले जाया गया। उक्त घटना ही उल्टे पृष्ठ पर लिखे
अभिप्रायों द्वारा भारतीय धन अद्विनिमय 1924 (बिना संशोधन
1979) की सुयोग्य धाराओं का उल्लंघन किया गया है।

अतः श्रीमान के अनुसंधान है कि सभी अभिप्रायों पर
उच्चि मातृनी कारवाई करे कि क्या कि पला।

आपका निम्नलिखित
अभुमेय कुला (निवा)
कनका
दत्तपुर प्रवी वन प्रदेस
दिनांक 22-03-2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

- जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- बसडीहा पी-एफ, थाना-इत्तरपुर
- जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय :- रात्रि 10:00 बजे लगभग
दिनांक :- 22-03-2025
- किस धारा के अन्तर्गत जप्त की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, एवं 41, 42 के अतिरिक्त के कारण भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 के तहत
- जप्त पदार्थ का विवरण :-
 - पत्थर से बना ट्रैक्टर JOHN DEERE कंपनी मॉडल नं- 50391
चेन्नीस नं- 1VY5039DHLA008654 इंजन नं- PY3029D59
REG. NO. - मिटा हुआ टैबर सहित
 - महिन्द्रा बाल रंग का मॉडल नं- B275DI, सिरियल नं- PYNB0017
REG. Nं- , इंजन नं. एवं चेन्नीस नं मिटा हुआ टैबर सहित एवं पल
 - मोबाइल REDMI 9 5G ब्ल्यू रंग का
- (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके)
जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्त की गई
 - संजय बाबू पिता- खोनू बाबू
ग्राम- बसडीहा, थाना- इत्तरपुर
जिला- पलामू
 - विनय बाबू, पिता- अमेरिका बाबू, ग्राम- रुदवा, थाना- इत्तरपुर, जिला
- (ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर -
 - आशुतोष कु- तिवारी वनरक्षी - *[Signature]*
 - बहमीकान फाउंडेय प्र० वनपाल सरडडीहा वन परिसर *[Signature]*
 - राजेश रौशन प्र० वनपाल लहेया वन परिसर *[Signature]*
 - अजय कु- साव प्र० वनपाल हरिहरगंज वन परिसर *[Signature]*
 - पंकज कुमार वनरक्षी इत्तरपुर *[Signature]*
 - विनोद कुमार वनरक्षी " " *[Signature]*
 - शहज कुमार " " *[Signature]*
 - राजू रजक " " *[Signature]*
 - मोहाफीज अंसारी " " *[Signature]*
 - अभिमान्यु कुमार वनरक्षी इत्तरपुर *[Signature]*
 - संतोष उराँव " " *[Signature]*
- गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर
 - सरसिज उराँव प्र० वनपाल इत्तरपुर वन परिसर इत्तरपुर *[Signature]*
- जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर
 - सरसिज उराँव प्र० वनपाल इत्तरपुर वन परिसर इत्तरपुर *[Signature]*

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू, डालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज (उत्तरी) / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, इत्तरपुर पूर्वी वन प्रमण्डल को जुर्म प्रतिवेदन संख्या 2164
दिनांक 22-03-2025 के साथ क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सरसिज उराँव
प्र० वनपाल/व.क्षे.पदाधिकारी

दिनांक 22-03-2025

वन परिसर पदाधिकारी
इत्तरपुर वन परिसर इत्तरपुर

सेवा में,

थाना प्रभारी,

छतरपुर, पलामू

विषय:- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं राहुल कुमार, उम्र- 30 वर्ष, पिता- रामदीप राम, वर्तमान में मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत वनरक्षी पद पर पदस्थापित हूँ। वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र के मौखिक आदेश पर प्रतिदिन की भाँती दिनांक- 22.03.2025 को शाम करीब 06:30 बजे गश्ती हेतु प्रस्थान किया। गश्ती दल में मेरे साथ 1. सरसिज उराँव, प्रभारी वनपाल, छतरपुर वन परिसर 2. लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, प्रभारी वनपाल, सरईडीहा वन परिसर 3. राकेश कुमार रौशन, प्रभारी वनपाल, लठेया वन परिसर 4. अजय कुं0 साव, प्रभारी वनपाल, हरिहरगंज वन परिसर, 5. पंकज कुमार, वनरक्षी, 6. विनोद कुमार, वनरक्षी 7. आशुतोष कुं0 तिवारी, 8. राजु रजक, वनरक्षी, 9. मोहाफिज अंसारी, वनरक्षी 10. अभिमन्यु कुमार, वनरक्षी 11. संतोष उराँव, वनरक्षी थे। गश्ती के क्रम में हमलोग समय करीब 09:45 बजे बसडीहा सुरक्षित वन क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान लगभग 10:00 बजे रात्री में दो ट्रैक्टर ट्रेलर सहित जिस पर अवैध पत्थर लदा हुआ पकड़ा गया। जिसमें एक ट्रैक्टर का चालक भागने में सफल रहा एवं दूसरे ट्रैक्टर का चालक पकड़ा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम संजय यादव, पिता- सोनू यादव, ग्राम- बसडीहा, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू बताया। इसी बीच समय करीब 10:30 बजे रात्री में फोन के माध्यम से छतरपुर पुलिस को खबर किया गया। पूनः भागे हुए ट्रैक्टर चालक का नाम पूछने पर विनय यादव, पिता- अमेरिका यादव, ग्राम- रूदवा, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू बताए आगे पूछने पर बताया कि हमलोग बसडीहा जंगल क्षेत्र से पत्थर निकाल कर बसडीहा स्थित मुकेश कुमार सिंह के माइन्स पर गिराते हैं फिर वहाँ से बरडीहा क्रशर पर ले जाते हैं। दोनो ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि पहला ट्रैक्टर JOHN DEERE कम्पनी, जिसका मॉडल नं0- 5039D चेचिस नं0- 1VY5039DHLA008654 इंजन नं0- PY3029D590730, रजिस्ट्रेशन नं0 मिटा हुआ था दूसरा ट्रैक्टर महिन्द्रा लाल रंग का, जिसका मॉडल नं0- B275DI सिरियल नं0- PYNB00177GE एवं रजिस्ट्रेशन नं0, इंजन नं0 और चेचिस नं0 मिटा हुआ था। इसी क्रम में लगभग 35-40 की सं0 में जिसमें 1. लालदेव यादव, पिता- रामकेश यादव, 2. बिशुनदेव यादव, पिता- रामकेश यादव 3. उदेश्वर यादव, पिता- रामकेश यादव 4. धन्जय भुईयाँ, पिता- प्रकाश भुईयाँ 5. मनोज यादव, पिता- युगेश यादव, सभी का ग्राम- बसडीहा, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू को पहचानते थे एवं अन्य को पहचान नहीं सका। ये सभी लोग लाठी- डन्डा, सबल एवं धारदार हथियार लेकर हमलोगो को घेरकर जान मारने की नियत से मारपीट एवं गाली- ग्लौज करने लगे। इसी बीच रूदवा निवासी विनय यादव एवं संजय यादव दोनो गाडी को छुड़ा कर भाग गए। मारपीट का विडियो विलप लिया गया है। हमले के क्रम में 1 सरसिज उराँव, प्रभारी वनपाल, छतरपुर वन परिसर 2. लक्ष्मीकान्त पाण्डेय,

152

भारी वनपाल, सरईडीह वन परिसर 3. राकेश कुमार रौशन, प्रभारी वनपाल, लठैया वन परिसर 4. पंकज कुमार, वनरक्षी, 5. आशुतोष कु0 तिवारी, वनरक्षी को लाठी डन्डा एवं सबल से मारा गया जिससे पाँचों को गंभीर चोटें आई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुकेश कु0 सिंह के द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर जान से मारने की साजिश की गयी हो, हमलोगों ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचायी। समय करीब 11:30 बजे पुलिस के आने के उपरांत हमलोगों ने पुलिस के सहयोग से गंभीर जखमी साथियों को अनुमण्डल अस्पताल, छतरपुर पहुँचे, डॉक्टर के द्वारा चोटिल वनकर्मियों को प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए एमएमसीएच मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त जानलेवा हमले में शामिल अपराधियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

श. दुल. कुमार, वनरक्षी

छतरपुर पूर्वी प्रदेस

Mob - 7277139688

दिनांक :- 23/03/2025

Registered Chhatrapur P.S. No- 52/25,
dt - 23/03/2025, U/S - 191(2)/191(3)/190/126(2)/
127(2)/115(2)/117(2)/121(1)/121(2)/109/352/-
61(2) BNS-2023, 21 MMDR & 13 Jharkhand
Minerals (Prevention of Illegal Mining,
Transportation and Storage) Rules 2017,
& 33 Indian Forest Act. S.I Ashok
TOPPO will pl. investigate the case

Amir in Rajke
23/03/2025
S.I CTRPS
Palam

अनुमंडलीय अस्पताल, छत्तरपुर (पलामू)



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

सं०-

7326

झारखण्ड सरकार

दिनांक -

22/3/25

निबंधन शुल्क रु-5/-

वाह्य रोगी पर्ची

निबंधन संख्या-

pital

नाम... सरदीज उरॉय ... पिता/पति सुर उरॉय

उम्र/लिंग... 22/M ... पता कुलडा

मो०

मुख्य तकलीफ

ep Asult

CR 1191

चिकित्सकीय सलाह :-

CT Scan of Brain

Antiseptic Dressing & Bandage

R q Dilone
1 ep instat

q Telvac
1 ep instat

q cefotaxim 1gm
1 raif ^{iv} _{in} stat

R cur

Refer to MCH Dept

Handwritten note: X-ray skull

154

Medinirai Medical College Hospital
Hospital Road, Hamidganj, Medininagar

Registration No: 20250038709

Age / Sex: 14 / M

Group: Blood Group: A, Blood Bank Group: A

OUT PATIENT RECORD (Casualty)

Mr. Sandip Oraon

Registration Amount: Rs. 5

Mobile No: 9999999999

Address: CHITARPUR, PALAMUCHI, JHARKHAND

Date of Registration: 23/03/2025 11:08 AM

Age/Sex: 14 / M
Admission: Casualty

Referral type: General
Referral Name: SPM ORAON (Father)
Referral Hospital: NO
Referral Doctor: P. K. SINGH
Referral Date: 23/03/2025

Referral No: NO

Refer from Chitarpur

c/o

do 23/3/25

- Bruise @ Buttock
size 5x3 cm
- Still used @ a
Frontal view of chest
(2 sheets)

Qx - ~~open~~ Body
Mr. Dilong 14y Fr M
admission 19 m 4
Tf 0.5 ml om sy
4 dose 1g or 0.5g
Shoulder + arm - I

Hand key
X-ray @
X-ray @

23/3/25

23/3/25

Medinirai Medical College Hospital
Hospital Road, Hamidganj, Medininagar

Registration No. 20250038712

Case No. / OPD No. 17

Room No. Blood Bank Campus A, Blood Bank, Ground, 1

OUT PATIENT RECORD (Casualty)

Name: Mr. Pankaj Kumar

Registration Amount: Rs. 5

Age/Sex: 30Y / M

Mobile No.: 7-88188050

Department: Casualty

Address: KACTIRAKACARPUR, PALAMU, JHARKHAND

Date of Registration: 23/03/2025 03:11 AM

Specialty: General

Medicines: Nil

Presented with: RIPPIN PASWAN (Father)

Known Patient: NO

Known Dead Patient: NO

Refer from Chatterpur

①
②

d/o → c/o Assault

U/R - Stitch wound @ a lower front right eyelid. Size 2x1 cm.
- Boundry @ elbow. Size 2x2 cm.

Stitch
Laceration

Rx → Antiseptic cream + Stitches

23/3/25

W	Dr. Dilwara / Dr. ...	or	ny
AC of leg	ny
Chg. at elbow	TT 0.5ml	...	ny
X R. 10 palm	ny
...	pan to	...	ny

Date Time: 23/3/25

डलीय अस्पताल, छतरपुर (पलामू)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

झारखण्ड सरकार

दिनांक - 22/02/25

शुल्क रु. 5/-

वाह्य रोगी पर्ची

निबंधन संख्या-

ospital
inagar

पिता/पति मिलन पांडे
उम्र/लिंग 38 वर्ष पता ज. वि. ह. 2
मो 0

मुख्य तकलीफ



MR 1188

चिकित्सकीय सलाह :-

CT Scarn of Brain

Antiseptic Dressing

R. M. Dalans 1-1 op 1mslet

M. Tetrae 1-1 op 1mslet

M. Cefotaxim 1gm

1-1 val - 1/1 in sel

Refer to MMCH D. J. J.

158

Medinirai Medical College Hospital
Hospital Road, Hamidganj, Medininagar

Distric No : 20250038711
Sl No / Token No : 16
Campus : Blood Bank Campus A, Blood Bank, Ground

OUT PATIENT RECORD (Casualty)

Name : Mr. Laxmi Kant Pandey
Age/Sex : 35Y / M
Admission : Casualty

Registration Amount : Rs

Mobile No : 975

Address : BANBIGHWA PALAMU (Jharkhand)

Date of Registration : 23/03/2025 03.10 AM

Patient Type : General

Guardian Name : LAXMI PANDEY (Father)

Known Patient : NO

Brought Dead Patient : NO

M. C Patient

Refer from Chhatrapati

do
date of assault

Rt

to Q/Ota 1 mly mly

to under 4 g m

to Xone 1 g m

to ff 0.5 ml m

to
Hcp kept

X mly of shildu - As

(4 shield)
- shield used on

Head (frontal region)

size 6x10cm

23/3/25

Draw of sketch - forehead

मंडलीय अस्पताल, छतरपुर (पलामू)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
सं०-7323 झारखण्ड सरकार दिनांक - 23/09/25

159

निबंधन शुल्क रु-5/- वाह्य रोगी पर्ची निबंधन संख्या-

Spital
Inapar

नाम... रा. कि. ... रोजाना पिता/पति ...
उम्र/लिंग ... 35 व. प. पता ...
मो०

मुख्य तकलीफ

[Blank box]

CR 1189

चिकित्सकीय सलाह :-

N. say R+Leg
Antiseptic Dressing

R₁ ~~dy. Diclofenac~~
 1 -> p insert
~~dy. Tetrae~~
 1 -> p insert
~~dy. Cefotaxim~~
 1 rail - W
 m

Refer to MNC H Dgn

160

Medinirai Medical College Hospital
Hospital Road, Hamidganj, Medininagar

Registration No: 70250038710
Book No: 15
Blood Bank Campus A, Blood Bank, Ground, 1

OUT PATIENT RECORD (Casualty)

Name: Rakesh Kr Raushari
Sex: M
Age: Casualty

Registration Amount: Rs. 5

Mobile No: 8804312166

Address: ...

Date of Registration: 23/03/2025 10:00 AM

Referral: ...
Referral: ...
Referral: ...

Refer for Chatur pu

Result

Rt
to sulona 1 by my
L1 onely y to ay
L2 pan to 1 by my

- Brain @ Km
size 3x2cm
- ... @ Km
size 2x1cm

3/3/25

L
x ps of BK lens
x ps of ② palm, eye

Pay
Date: 23/03/2025 10:00 AM
23/3/25

अनुमंडलीय अस्पताल, छतरपुर (पलामू)

क्रम सं०-

7320

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
झारखण्ड सरकार

दिनांक - 21/03/25

निबंधन शुल्क ₹-5/-

वाह्य रोगी पर्ची

निबंधन संख्या-

नाम... आसोरोसु... पिता/पति... वि. पी. डी. मिश्रा
उम्र/लिंग... 34 वर्ष... पता... कुमहीय... मो०

मुख्य तकलीफ

Dr. Aswif

MR 1186

चिकित्सकीय सलाह :-

Antiseptic dressing of leg

Antiseptic dressing of bandages

4. J. Diflor
1 - 1 meter

4. Telvax
1 - 1 meter

4. cefotaxime 1gm
1 vial in 24 hrs

Refer to MM CH D. J. J.

सेवा में,

थाना प्रभारी,

छतरपुर, पलामू

विषय:- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं राहुल कुमार, उम्र- 30 वर्ष, पिता- रामदीप राम, वर्तमान में मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत वनरक्षी पद पर पदस्थापित हूँ। वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र के मौखिक आदेश पर प्रतिदिन की भाँती दिनांक- 22.03.2025 को शाम करीब 06:30 बजे गश्ती हेतु प्रस्थान किया। गश्ती दल में मेरे साथ 1. सरसिज उराँव, प्रभारी वनपाल, छतरपुर वन परिसर 2. लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, प्रभारी वनपाल, सरईडीहा वन परिसर 3. राकेश कुमार रौशन, प्रभारी वनपाल, लठेया वन परिसर 4. अजय कु० साव, प्रभारी वनपाल, हरिहरगंज वन परिसर, 5. पंकज कुमार, वनरक्षी, 6. विनोद कुमार, वनरक्षी 7. आशुतोष कु० तिवारी, 8. राजु रजक, वनरक्षी, 9. मोहाफिज अंसारी, वनरक्षी 10. अभिमन्यु कुमार, वनरक्षी 11. संतोष उराँव, वनरक्षी थे। गश्ती के क्रम में हमलोग समय करीब 09:45 बजे बसडीहा सुरक्षित वन क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान लगभग 10:00 बजे रात्री में दो ट्रैक्टर ट्रैलर सहित जिस पर अवैध पत्थर लदा हुआ पकड़ा गया। जिसमें एक ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा एवं दूसरे ट्रैक्टर का चालक पकड़ा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम संजय यादव, पिता- सोनू यादव, ग्राम- बसडीहा, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू बताया। इसी बीच समय करीब 10:30 बजे रात्री में फोन के माध्यम से छतरपुर पुलिस को खबर किया गया। पूनः भागे हुए ट्रैक्टर चालक का नाम पूछने पर विनय यादव, पिता- अमेरिका यादव, ग्राम- रूदवा, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू बताए आगे पूछने पर बताया कि हमलोग बसडीहा जंगल क्षेत्र से पत्थर निकाल कर बसडीहा स्थित मुकेश कुमार सिंह के माइन्स पर गिराते हैं फिर वहाँ से बरडीहा क्रशर पर ले जाते हैं। दोनो ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि पहला ट्रैक्टर JOHN DEERE कम्पनी, जिसका मॉडल नं०- 5039D चेचिस नं०- 1VY5039DHLA008654 इंजन नं०- PY3029D590730, रजिस्ट्रेशन नं० मिटा हुआ था दूसरा ट्रैक्टर महिन्द्रा लाल रंग का, जिसका मॉडल नं०- B275DI सिरियल नं०- PYNB00177GE एवं रजिस्ट्रेशन नं०, इंजन नं० और चेचिस नं० मिटा हुआ था। इसी क्रम में लगभग 35-40 की सं० में जिसमें 1. लालदेव यादव, पिता- रामकेश यादव, 2. बिशुनदेव यादव, पिता- रामकेश यादव 3. उदेश्वर यादव, पिता- रामकेश यादव 4. धन्जय भुईयाँ, पिता- प्रकाश भुईयाँ 5. मनोज यादव, पिता- युगेश यादव, सभी का ग्राम- बसडीहा, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू को पहचानते थे एवं अन्य को पहचान नहीं सका। ये सभी लोग लाठी- डन्डा, सबल एवं धारदार हथियार लेकर हमलोगो को घेरकर जान मारने की नियत से मारपीट एवं गाली- ग्लौज करने लगे। इसी बीच रूदवा निवासी विनय यादव एवं संजय यादव दोनो गाडी को छुड़ा कर भाग गए। मारपीट का विडियो क्लिप लिया गया है। हमले के क्रम में 1 सरसिज उराँव, प्रभारी वनपाल, छतरपुर वन परिसर 2. लक्ष्मीकान्त पाण्डेय,

भारी वनपाल, सरईडीह वन परिसर 3. राकेश कुमार रौशन, प्रभारी वनपाल, लठैया वन परिसर 4. पंकज कुमार, वनरक्षी, 5. आशुतोष कु0 तिवारी, वनरक्षी को लाठी डन्डा एवं सबल से मारा गया जिससे पाँचों को गंभीर चोटें आई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुकेश कु0 सिंह के द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर जान से मारने की साजिश की गयी हो, हमलोगों ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचायी। समय करीब 11:30 बजे पुलिस के आने के उपरांत हमलोगों ने पुलिस के सहयोग से गंभीर जखमी साथियों को अनुमण्डल अस्पताल, छतरपुर पहुँचे, डॉक्टर के द्वारा चोटिल वनकर्मियों को प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए एमएमसीएच मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त जानलेवा हमले में शामिल अपराधियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

श.दुल कुमार, वनरक्षी

छतरपुर पूर्वी प्रदेस

Mob - 7277139688

दिनांक :- 23/03/2025

Registered Chhatrapur P.S.No-52/25,
dt-23/03/2025, U/s-191(2)/191(3)/190/126(2)/
127(2)/115(2)/117(2)/121(1)/121(2)/109/352/-
61(2) BNS-2023, 21 MMDR & 13 Jharkhand
Minerals (Prevention of Illegal Mining,
Transportation and Storage) Rules 2017,
& 33 Indian Forest Act. S.I Ashok
TOPPO will pl. investigate the case.

Amir in Rajke
23/03/2025
S.I CTRPS
falam



184
कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,
मेदिनीनगर।

Annexure-J

188



Email-dfomedininagarforestdivision@gmail.com&dfomedininagar@gov.in

Phone No-06562-222536

पत्रांक- दिनांक-

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
पलामू।

मेदिनीनगर, दिनांक..... /

विषय :-

दिनांक 22.03.2025 को जप्त 1-ट्रैक्टर JOHN DEERE कम्पनी, जिसका मॉडल नंबर-5039D, चेचिस नंबर-1VY5039DHL A008654, ईन्जन नंबर-PY3029D590730, टेलर संख्या-शून्य एवं उस पर लदे पत्थर एवं 2-महेन्द्रा ट्रैक्टर, जिसका मॉडल नंबर-B275DI, सीरियल नंबर-PYNB00177GE ईन्जन नंबर एवं चेचिस नंबर-अपठनीय, टेलर संख्या-शून्य एवं उस पर लदे पत्थर को लूट कर ले जाये गये एवं वन कर्मियों के साथ मार-पीट के संबंध में।

प्रसंग:-

वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र का ज्ञापांक 96 दिनांक 23.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र ने अपने ज्ञापांक 96 दिनांक 23.03.2025 द्वारा सूचित किये है कि दिनांक 22.03.2025 को बसडीहा पी0एफ0 में वनकर्मियों द्वारा अधिसूचित वन से पत्थर उत्खनन के आरोप में जप्त 1-ट्रैक्टर JOHN DEERE कम्पनी, जिसका मॉडल नंबर-5039D, चेचिस नंबर-1VY5039DHLA008654, ईन्जन नंबर-PY3029D590730, टेलर संख्या-शून्य एवं उस पर लदे पत्थर एवं 2-महेन्द्रा ट्रैक्टर, जिसका मॉडल नंबर-B275DI, सीरियल नंबर-PYNB00177GE ईन्जन नंबर एवं चेचिस नंबर-अपठनीय, टेलर संख्या-शून्य एवं उस पर लदे पत्थर को प्रक्षेत्र कार्यालय लाने के क्रम में जप्त वाहन स्वामियों एवं अवैध उत्खननकर्ताओं ने 35-40 की संख्या में वाहन को लूट कर ले जाया गया तथा वनकर्मियों पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। वर्तमान में घायल वनकर्मी एम0एम0सी0एच0, मेदिनीनगर में भर्ती है। इस घटना की प्राथमिकी श्री राहुल कुमार, वनरक्षी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र द्वारा छतरपुर थाना में दर्ज करायी गयी है, जिसका थाना काण्ड संख्या-52/2025 है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दिनांक 22.03.2025 को वन कर्मियों से लूटकर ले जाये गये जप्त वाहनों एवं उस पर लदे पत्थरों को पुर्नजप्ती एवं घटना में सम्मिलित अभियुक्तों को अविलम्ब गिरफ्तार करने हेतु अपने स्तर से थाना प्रभारी, छतरपुर थाना को निर्देशित करने की कृपा की जाय। साथ ही यह भी अनुरोध है कि छतरपुर पूर्वी एवं छतरपुर पश्चिमी वन प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अपने स्तर से अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक:-767 / दिनांक 25-03-25

प्रतिलिपि:-वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देशित किया जाता है कि छतरपुर थाना प्रभारी से सम्पर्क कर लूटकर ले जाये गये जप्त वाहनों एवं उस पर लदे पत्थरों को पुर्नजप्ती हेतु अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चत किया जाए।

K. S. K. S.
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।
25/03/25

सेवा में,

थाना प्रभारी,

छतरपुर, पलामू

विषय:- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं राहुल कुमार, उम्र- 30 वर्ष, पिता- रामदीप राम, वर्तमान में मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत वनरक्षी पद पर पदस्थापित हूँ। वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र के मौखिक आदेश पर प्रतिदिन की भाँती दिनांक- 22.03.2025 को शाम करीब 06:30 बजे गश्ती हेतु प्रस्थान किया। गश्ती दल में मेरे साथ 1. सरसिज उराँव, प्रभारी वनपाल, छतरपुर वन परिसर 2. लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, प्रभारी वनपाल, सरईडीहा वन परिसर 3. राकेश कुमार रौशन, प्रभारी वनपाल, लठेया वन परिसर 4. अजय कु0 साव, प्रभारी वनपाल, हरिहरगंज वन परिसर, 5. पंकज कुमार, वनरक्षी, 6. विनोद कुमार, वनरक्षी 7. आशुतोष कु0 तिवारी, 8. राजु रजक, वनरक्षी, 9. मोहाफिज अंसारी, वनरक्षी 10. अभिमन्यु कुमार, वनरक्षी 11. संतोष उराँव, वनरक्षी थे। गश्ती के क्रम में हमलोग समय करीब 09:45 बजे बसडीहा सुरक्षित वन क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान लगभग 10:00 बजे रात्री में दो ट्रैक्टर ट्रैलर सहित जिस पर अवैध पत्थर लदा हुआ पकड़ा गया। जिसमें एक ट्रैक्टर का चालक भागने में सफल रहा एवं दूसरे ट्रैक्टर का चालक पकड़ा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम संजय यादव, पिता- सोनू यादव, ग्राम- बसडीहा, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू बताया। इसी बीच समय करीब 10:30 बजे रात्री में फोन के माध्यम से छतरपुर पुलिस को खबर किया गया। पूनः भागे हुए ट्रैक्टर चालक का नाम पूछने पर विनय यादव, पिता- अमेरिका यादव, ग्राम- रूदवा, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू बताए आगे पूछने पर बताया कि हमलोग बसडीहा जंगल क्षेत्र से पत्थर निकाल कर बसडीहा स्थित मुकेश कुमार सिंह के माइन्स पर गिराते हैं फिर वहाँ से बरडीहा क्रशर पर ले जाते हैं। दोनो ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि पहला ट्रैक्टर JOHN DEERE कम्पनी, जिसका मॉडल नं0- 5039D चेचिस नं0- 1VY5039DHLA008654 इंजन नं0- PY3029D590730, रजिस्ट्रेशन नं0 मिटा हुआ था दूसरा ट्रैक्टर महिन्द्रा लाल रंग का, जिसका मॉडल नं0- B275DI सिरियल नं0- PYNB00177GE एवं रजिस्ट्रेशन नं0, इंजन नं0 और चेचिस नं0 मिटा हुआ था। इसी क्रम में लगभग 35-40 की सं0 में जिसमें 1. लालदेव यादव, पिता- रामकेश यादव, 2. विशुनदेव यादव, पिता- रामकेश यादव 3. उदेश्वर यादव, पिता- रामकेश यादव 4. धन्जय भुईयाँ, पिता- प्रकाश भुईयाँ 5. मनोज यादव, पिता- युगेश यादव, सभी का ग्राम- बसडीहा, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू को पहचानते थे एवं अन्य को पहचान नहीं सका। ये सभी लोग लाठी- डन्डा, सबल एवं धारदार हथियार लेकर हमलोगो को घेरकर जान मारने की नियत से मारपीट एवं गाली- गलौज करने लगे। इसी बीच रूदवा निवासी विनय यादव एवं संजय यादव दोनो गाड़ी को छुड़ा कर भाग गए। मारपीट का विडियो क्लिप लिया गया है। हमले के क्रम में 1 सरसिज उराँव, प्रभारी वनपाल, छतरपुर वन परिसर 2. लक्ष्मीकान्त पाण्डेय,

प्रभारी वनपाल, सरईडीह वन परिसर 3. राकेश कुमार रौशन, प्रभारी वनपाल, लठेया वन परिसर 4. पंकज कुमार, वनरक्षी, 5. आशुतोष कु0 तिवारी, वनरक्षी को लाठी डन्डा एवं सबल से मारा गया जिससे पाँचों को गंभीर चोटें आई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुकेश कु0 सिंह के द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर जान से मारने की साजिश की गयी हो, हमलोगों ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचायी। समय करीब 11:30 बजे पुलिस के आने के उपरांत हमलोगों ने पुलिस के सहयोग से गंभीर जखमी साथियों को अनुमण्डल अस्पताल, छतरपुर पहुँचे, डॉक्टर के द्वारा चोटिल वनकर्मियों को प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए एमएमसीएच मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त जानलेवा हमले में शामिल अपराधियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

श.कुमार, वनरक्षी
छतरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र

Mob - 7277139688

दिनांक :- 23/03/2025

Registered Chhatrapur P.S. No- 52/25,
dt- 23/03/2025, CHS- 191(2)/191(3)/190/126(2)/
127(2)/115(2)/117(2)/121(1)/121(2)/109/352/-
61(2) BNS-2023, 21 MMDR & 13 Jharkhand
Minerals (Prevention of Illegal Mining,
Transportation and Storage) Rules 2017,
& 33 Indian Forest Act. S.I Ashok
TOPPO will pl. investigate the case.

Amir in Charge
23/03/2025
S.I CTRPS
Talema

प्रतिलिपि :- वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श.कुमार, वनरक्षी

छतरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र

दिनांक :- 23/03/2025

कार्यालय : वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

ज्ञापांक 96 / दिनांक 23.03.2025 /

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन क्षेत्र पदाधिकारी,

छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

1201

24/3/25

कार्यालय :- वन परिसर पदाधिकारी
छत्तरपुर वन परिसर, छत्तरपुर

पत्रांक :- 78

दिनांक :- 26.03.2025

सेवा में,

मुख्य -आयिक दण्डाधिकारी
मेदिनीनगर पलामू ।

विषय : अ.प्र.स. 2165 दिनांक - 26.03.2025 की सूचना सम्बन्धित
करी के संबंध में

प्रदेश

उपरोक्त विषयक के संबंध में साबर सूचित करना है कि
श्री मोहाफीज अहमदी, वनरही का अ.प्र.स. 2165, दिनांक 26.03.2025
जफ्ती सूची सहित प्राप्त हुआ। भारतीय वन अधिनियम 1927
(बिहार संशोधन अधिनियम 1990) के धारा 52 में प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए वन अपराध में प्रयुक्त वाहन पकड़ लिया हुआ
जफ्ती कर जफ्ती सूची तैयार किया गया। धरणा अ पूर्ण विवरण
वनरही के अपराध प्रविर्धन में उल्लिखित है।

अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार
वन संशोधन अधिनियम 1990) के धारा 33, 41 स्त 42 के
तहत दण्डनीय एवं गैर जमानतीय अपराध किया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्तों के उपर
सुहांगत धाराओं के तहत वानरही कारवाई प्रारंभ करने की
कृपा करे। भारतीय न्यायालय से जांचोपचार समित को उचित
माध्यम द्वारा पूर्ण विवरण प्रविर्धन सम्बन्धित किया जाएगा।

अनुलग्नक :-

- (i) अ.प्र.स. - 2165
- (ii) जफ्ती सूची -

आपका विश्वासी

शहजुल कुमार

प्रभारी वनपाल

छत्तरपुर वन परिसर, छत्तरपुर

दिनांक :- 26.03.2025

प्रभारी

वन परिसर पदाधिकारी

छत्तरपुर वन परिसर छत्तरपुर

emp
1283/2025

W

M
27-3-25

168A

प्रतिलिपि:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित ।

शुभल कुमार, प्र. वनपाल

प्रभारी वनपाल,
छतरपुर वन परिसर ।

¹¹⁰
कार्यालय:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

ज्ञापांक.....110..... / दिनांक.....28.03.2025..... /

✓ प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित। उक्त वाद में जप्त वाहन एवं उस पर लदे पत्थर के विरुद्ध अधिहरण वाद प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है।

A E
28/3/25

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र।

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

द फाइल नं. 1353

दिनांक 7/3/25

Forest Department, Jharkhand.

जंगल विभाग।

अपराध प्रतिवेदन सं० 2165

Division
मीरझोर डिवीजन।

Note - This report is to be submitted within 24 hours of the detection.
नोट : यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

Offence Report No.

Date

जुर्म नम्बर

तारीख 26/03/2025

- Place of occurrence-
घटना स्थान - बचकौमा पीठ एफ०, थाना-धरपुर
- Date and hour of detection -
पकड़ने का समय और तारीख- समय : शाम 4:20 बजे लगभग
दिनांक - 26/03/2025
- Name(s), parentage and residence
of offenders - ① इश्वरखार अंसारी, पिता - सैराज अंसारी
नाम अपराधी और उसके पिता का नाम ग्राम-बचकौमा, थाना-धरपुर, जिला-पलामू
और पता - एवं अन्य
- Property seized, if any-
जपती माल, अगर कोई - लाल रंग का मछिल्ल ट्रैक्टर तेलर पंथर लका हुआ
मोडल नं०-B275 DI प्रजन नं०- RAED02976
ट्रैक्टर संख्या-शून्य, तेलर संख्या-शून्य
- Custody of seized property
जपती माल का जिम्मेवार वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर, धरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र
- Name (s), parentage and residence
of witness (es) if any-
नाम, गवाह और उसके पिता का नाम और पता ① राहुल कुमार प्र० वनपाल धरपुर पूर्वी प्रक्षेत्र
② अभिमन्यु कुमार, वनरक्षी, धरपुर पश्चिमी प्रक्षेत्र
③ कमेश्वर राम, वनरक्षी " "
④ अजय कुमार साव प्र० वनपाल, धरपुर पश्चिमी प्रक्षेत्र
⑤ संतोष ठराव, वनरक्षी, धरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र
⑥ राजू रजक, वनरक्षी, " "
⑦ जितेंद्र कुमार, वनरक्षी, " "
- Nature of offence and facts the case
तफसील और बयान जुर्म - सेवा में,
श्रीमान वन ईं प्रकाधिकारी धरपुर पूर्वी
धरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र

द्वारा - उचित माध्यम।

महाशाय

सादर सूचित करना है कि दिनांक 26/03/2025 को हमलोग उल्टे पृष्ठ पर अक्रिय वनकर्मियों के साथ सामूहिक गश्ती कर रहे थे। गश्ती के क्रम में जंगलीयों द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि बचकौमा पी० एफ० में ट्रैक्टर, टेलर पर पत्थर लोड किया जा रहा है। जंगलीयों के सूचना के आधार पर बचकौमा पी० एफ० पहुँचा, तो देखा कि बचकौमा पी० एफ० के ऊपर अवैध रखन कर एक ट्रैक्टर टेलर पर पत्थर लोड किया जा रहा है। हम वन कर्मियों को देखते ही चालक एवं मजदूर भागने लगे। वन कर्मियों द्वारा अक्रियुक्तों का पीछा किया गया, परन्तु वे जंगल का लाभ उठाते हुए भागने लगे एवं भागने में सफल रहे। एक लाल रंग का मछिला ट्रैक्टर संख्या-शून्य, जिसका मॉडल नंबर- B 275 DI, इंजन नंबर- RAED 02976, टेलर संख्या-शून्य एवं उस पर लगे लगभग 35 सी० एफ० टी० पत्थर को जप्त किया गया। अक्रियुक्त द्वारा लगभग पाँच डिसग्रेज वन भूमी क्षति कर पत्थर उत्खनित किया गया। घटना स्थल पर लगभग 300 सी० एफ० टी० उत्खनित पत्थर पाया गया। आसपास के मवेशी चरा रहे लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त जप्त वाहन इशतेखार अँसारी, पिता-सैराज अँसारी, ग्राम-बचकौमा, थाना-धनपुर का है। अक्रियुक्त द्वारा जंगल से अवैध पत्थर रखन कर अपने वाहन से परिवहन कर बरडीहा स्थित कुशरी पर बेचा जाता है। उक्त घटना की उल्टे पृष्ठ पर लिखे अक्रियुक्त एवं उनके अन्य सहयोगी द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1990) की सुसंगत धाराओं के उल्लंघन किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त अक्रियुक्तों के उपर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासही

महाशाय अँसारी

(वनरक्षी)

धनपुर पूर्वी वनपट्टे

दिनांक - 26/03/2025

वन विभाग, झारखण्ड सरकार
जप्ती सूची

1. जप्ती का स्थान एवं स्थान का विवरण :- खचकीमा पि.ए.क., थाना - हतपुर

2. जप्ती का समय एवं दिनांक :- समय : शाम 4:20 बजे
दिनांक : 26.03.2025

3. किस धारा के अन्तर्गत जप्ती की गई :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं 41.42 के अन्तर्गत के वरुण भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 के तहत ।

4. जप्ती पदार्थ का विवरण :-
① पत्थर से बड़ा ट्रैक्टर टैलर बहित, ट्रैक्टर मॉडल नं. - B275 DI इंजन नं. - RAE002976
टैलर नं. मिटा हुआ (शून्य)

5. (क) व्यक्ति का नाम एवं पता (जिसके) जिम्मे से उक्त पदार्थ जप्ती की गई
① इश्वर आंसारी, पिता - सुरज आंसारी
ग्राम - खचकीमा, थाना - हतपुर, जिला - पलामु

(ख) उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर

6. गवाह का नाम, पता एवं हस्ताक्षर
① अभिमन्यु कुमार, वनकी, हतपुर पश्चिमी प्रखंड Abhimanyu Kumar
② कमेश राम, वनकी, " " Kamesh Ram
③ अजय कुमार साव, प्र. वनपाल, " " Ajay Kumar
④ संतोष उराँव, वनकी, हतपुर पूर्वी प्रखंड संतोष उराँव
⑤ राजू शर्मा, वनकी " " राजू शर्मा
⑥ जितेंद्र कुमार, वनकी " " Jitendra Kumar

7. जप्ती करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर
शहूल कुमार, प्र. वनपाल
हतपुर वन परिसर, हतपुर शहूल कुमार

प्रतिलिपि :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पलामु, डालटनगंज / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनगंज (उत्तरी) / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, हतपुर पूर्वी वन प्रखंड को जुर्र प्रतिवेदन संख्या 2165 दिनांक 26.03.2025 के साथ क्रम में सचिवालय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

शहूल कुमार

प्र. वनपाल/च.क्षे.पदाधिकारी

26.03.2025

प्रणारी

वन परिसर पदाधिकारी